वार्षिक रिपोर्ट

2012-2013

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली

वार्षिक प्रतिवेदन

2012-2013

.....

हिंदी रूपांतर

.....

विषय वस्तु

पृष्ठ

अध्याय-1	**प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना**	1-4
	(क) प्रस्तावना	1-2
	(ख) संगठनात्मक संरचना	2-3
	(ग) संगठनात्मक चार्ट	4
अध्याय-2	**संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान**	**5-7**
	(क) सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान	5
	(ख) सत्र	6
	(i) बुलाया जाना	6
	(ii) सत्रावसान	6-7
	(ग) लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखें (पहली से पंद्रहवीं लोक सभा)	7
अध्याय-3	**राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश**	**8-12**
	(क) राष्ट्रपति का अभिभाषण	8
	(ख) अध्यादेशों के बारे में प्रावधान	9
	(ग) अध्यादेश	9-10
	(घ) वर्ष 1952 - 31.12.2012 के दौरान राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश	10-12
अध्याय-4	**संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण**	**13-19**
	(क) सरकारी कार्य	13
	(ख) सरकारी कार्य की आयोजना	13-14
	(ग) सरकारी कार्य का प्रबंधन	15
	(घ) निष्पादित सरकारी कार्य का सार	15-16
	(i) विधायी	15
	(ii) वित्तीय	15-16
	(iii) बजट	16
	(iv) अन्य सरकारी कार्य	16-17
	(अ) मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव	16
	(आ) स्वीकृत सरकारी सांविधिक संकल्प	17
	(ङ) सरकारी समय का मुख्य आबंटन	17

	(छ) अन्य गैर-सरकारी कार्य	18
	(ज) बैठकों की संख्या	19
अध्याय-5	**गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य**	**20-29**
	(क) लोक सभा	20-23
	(i) स्थगन प्रस्ताव	20
	(ii) नियम 193 के अंतर्गत चर्चा	21-22
	(iii) नियम 184 के अंतर्गत चर्चा	22
	(iv) सांविधिक प्रस्ताव पर चर्चा	22-23
	(ख) राज्य सभा	23-25
	(i) नियम 176 के अंतर्गत चर्चा	23-24
	(ii) नियम 168 के अंतर्गत चर्चा	24
	(iii) सांविधिक प्रस्ताव पर चर्चा	24-25
	(iv) मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा	25
	(ग) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख	25-26
	(घ) दिनांक 1.1.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	26-27
	(ङ) दिनांक 1.1.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	27
	(च) संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2012 के दौरान पारित किए गए गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक	28-29
	(छ) लोक सभा में स्वीकृत गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प	29
अध्याय-6	**आश्वासनों के कार्यान्वयन का प्रबोधन (मानीटरिंग)**	**30-34**
	(क) सामान्य प्रक्रिया	30-31
	(ख) लोक सभा	31-32
	(ग) राज्य सभा	32-33
	(घ) लंबित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई	34
	(ङ) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन	34
	(च) व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय	18

अध्याय-7	**लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले तथा राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख**	**35-37**
	(क) नियम 377 (लोक सभा) के अधीन उठाए गए मामले	35
	(ख) नियम 180 ए-ई (राज्य सभा) के अधीन विशेष उल्लेख	35-36
	(ग) अनुवर्ती कार्रवाई	36
	(घ) प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई	36-37
अध्याय-8	**परामर्शदात्री समितियां**	**38-41**
अध्याय-9	**सरकार द्वारा प्रायोजित संसदविदों के शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान**	**42-51**
	(क) संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों के विदेश दौरे	42-45
	(ख) विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन	45-49
	(ग) संसदीय शिष्टमंडलों के साथ बैठकें	49-50
	(घ) संसद सदस्यों के विदेश दौरे	50
	(ङ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति	50-51
	(च) विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति	51
अध्याय-10	**युवा संसद योजना**	**52-61**
	(क) प्रस्तावना	52-53
	(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता	53-54
	(i) 47वीं युवा संसद प्रतियोगिता	53-54
	(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	55-57
	(i) 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह	55-56
	(ii) अभिविन्यास पाठ्यक्रम	56-57
	(iii) 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	57
	(घ) जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	57-59

	(i) 15वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह	58
	(ii) जवाहर नवोदय विद्यालयों में 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम।	59
	(iii) जवाहर नवोदय विद्यालयों में 16वीं युवा संसद प्रतियोगिता	59
	(ङ) विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता	59-60
	(च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता	60-61
	(छ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद योजना आरंभ करने के लिए प्रशिक्षण	61

अध्याय-11	**मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग**	**62-64**
अध्याय-12	**सामान्य**	**65-73**
	(क) सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन	65
	(ख) हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन	65
	(ग) संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई	65-66
	(घ) संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते	66
	(ङ) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई	67
	(च) संसद सदस्यों का कल्याण	67
	(छ) संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रि भोजन की व्यवस्था	68
	(ज) फिल्म शो	68
	(झ) महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य	68
	(ञ) संसद में विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं के साथ संपर्क	68-69
	(ट) नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों के संस्थान	69
	(ठ) संसद में विभिन्न राजनैतिक दलों/ग्रुपों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें	69
	(ड) केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	69-70
	(ढ) अनुसंधान कार्य	70-71
	(ण) बजट स्थिति	72
	(त) वित्तीय वर्ष 2012-13 में लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति	73
	(थ) अक्षम व्यक्तियों के लाभार्थ किए गए कार्यकलाप	73

परिशिष्ट

		पृष्ठ
परिशिष्ट-1	संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य	74-75
परिशिष्ट-2	दिनांक 1.1.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	76-78
परिशिष्ट-3	लोक सभा के 12वें सत्र और राज्य सभा के 227वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लम्बित सरकारी विधेयकों की सूची	79-82
परिशिष्ट-4	दिनांक 1.1.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान रेल तथा सामान्य बजट पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण	83-86
परिशिष्ट-5	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण	87-88
परिशिष्ट-6	दिनांक 1.1.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुर:स्थापित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	89-97
परिशिष्ट-7	विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितंबर, 2005 में बनाए गए संशोधित दिशा-निर्देश	98-104
परिशिष्ट-8	15वीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची	105-106
परिशिष्ट-9	परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय	107-112
परिशिष्ट-10	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों, परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन	113-117
परिशिष्ट-11	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन	118
परिशिष्ट-12	संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण	119-124
परिशिष्ट-13	पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं	125-126

अध्याय-1
प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना

प्रस्तावना

1.1 संसदीय प्रणाली की सरकार में, सभी मंत्रालयों/विभागों के समय और संसाधनों का एक बहुत बड़ा भाग संसदीय प्रणाली के दिन-प्रतिदिन के कार्यचालन पर व्यय होता है। संसदीय कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बहुत से जटिल मामले - वित्तीय, विधायी और गैर-विधायी शामिल होते हैं। संसद में सरकार की ओर से इस विविध संसदीय कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार मंत्रालय, संसद में सरकारी कार्य के संबंध में एक ओर सरकार एवं दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह मई, 1949 में एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया था और बृहत जिम्मदारियों और कार्यों के साथ यह शीघ्र ही एक सम्पूर्ण मंत्रालय बन गया।

1.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए गए भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को आबंटित कार्य **परिशिष्ट-1** में दिए गए हैं।

1.3 यह मंत्रालय संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति को सचिवालयिक सहायता प्रदान करता है जो संसद के दोनों सदनों को बुलाने और सत्रावसान की तारीखों की सिफारिश करने तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का अनुमोदन करने के अतिरिक्त संसद में सरकारी कार्य की प्रगति पर नजर रखती है और ऐसे कार्य के सुचारू और कुशल संचालन के लिए यथा अपेक्षित निदेश देती है।

1.4 मंत्रालय सरकार के मंत्रालयों/विभागों से संसद में लम्बित विधेयकों, पुर:स्थापित किए जाने वाले नए विधेयकों और अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों के संबंध में निकट सम्पर्क बनाए रखता है। मंत्रालय संसद के दोनों सदनों में विधेयकों की प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखता है। संसद में विधेयकों के पारित होने संबंधी कार्रवाई के सुचारू रूप से पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय के अधिकारी विधेयक प्रायोजित करने वाले मंत्रालयों/विभागों तथा विधि और न्याय मंत्रालय, जोकि विधेयकों का प्रारूपण करता है, के अधिकारियों के सतत सम्पर्क में रहते हैं।

1.5 मंत्रालय संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियां गठित करता है तथा सत्रावधि और अन्त:सत्रावधि दोनों ही के दौरान इनकी बैठकें आयोजित करने के लिए व्यवस्था करता है। वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध 35 परामर्शदात्री समितियां हैं। मंत्रिमंडल के अनुमोदन से इन समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा-निर्देश इस मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए हैं। मंत्रालय

जब भी अपेक्षित हो, सरकार द्वारा गठित आयोगों, समितियों, निकायों इत्यादि पर संसद सदस्यों को नामित भी करता है।

1.6 यह मंत्रालय संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के शीघ्र और उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ कार्रवाई करता है।

1.7 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के कल्याण संबंधी कार्यों की देख-रेख करता है। संसदीय कार्य मंत्री विदेश दौरा करने वाले विभिन्न सरकारी शिष्टमण्डलों पर संसद सदस्यों का नामांकन करते हैं।

1.8 प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने तथा विद्यार्थी समुदाय में अनुशासन और सहनशीलता जैसी स्वस्थ आदतों को डालने और उन्हें संसद के कार्यचालन की पूर्ण जानकारी देने के लिए यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्यालयों; पूरे देश के केन्द्रीय विद्यालयों; जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है।

1.9 किसी भी देश में संसदविद् विदेश नीति को स्वरूप प्रदान करने और अन्य देशों से संबंधों को बनाने में योगदान देते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, भारत लिए यह आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों का चयन करें ताकि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, उपलब्धियों, समस्याओं और भविष्य निरूपण को स्पष्ट करके उनको अपने पक्ष में करने के लिए अपनी सुविज्ञता और सेवाओं का प्रभावी रूप में उपयोग कर सकें। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के सरकारी शिष्टमण्डलों के अन्य देशों के दौरे प्रायोजित करता है और अन्य देशों की सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों के भारत के दौरों का आयोजन भी करता है।

1.10 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

संगठनात्मक संरचना

1.11 श्री पवन कुमार बंसल दिनांक 28.10.2012 तक संसदीय कार्य मंत्री बने रहे। दिनांक 28.10.2012 को उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रभारी कैबिनेट मंत्री के पद को त्याग दिया। श्री हरीश रावत भी दिनांक 28.10.2012 तक संसदीय कार्य मंत्रालय में बतौर राज्य मंत्री बने रहे। दिनांक 28.10.2012 से श्री कमल नाथ ने बतौर कैबिनेट मंत्री संसदीय कार्य मंत्री का पदभार संभाला। मंत्रालय अब एक कैबीनेट मंत्री के अधीन कार्य कर रहा है, उनकी सहायतार्थ दो राज्य मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के नाम आदि निम्न प्रकार हैं जिन्होंने प्रतिवेदित अवधि के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला :-

I. मंत्री जिन्होंने मंत्रालय का कार्यभार संभाला

1. श्री पवन कुमार बंसल,
   कैबिनेट मंत्री - दिनांक 28.5.2009 से 28.10.2012 तक

2. श्री कमलनाथ,
   कैबिनेट मंत्री - दिनांक 28.10.2012 से आगे

3. श्री राजीव शुक्ल,
   राज्य मंत्री - दिनांक 12.7.2011 से आगे

4. श्री हरीश रावत,
   राज्य मंत्री - दिनांक 12.7.2011 से 28.10.2012 तक

5. श्री पबन सिंह घाटोवार,
   राज्य मंत्री - दिनांक 20.7.2011 से आगे

संसदीय कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट (दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार)

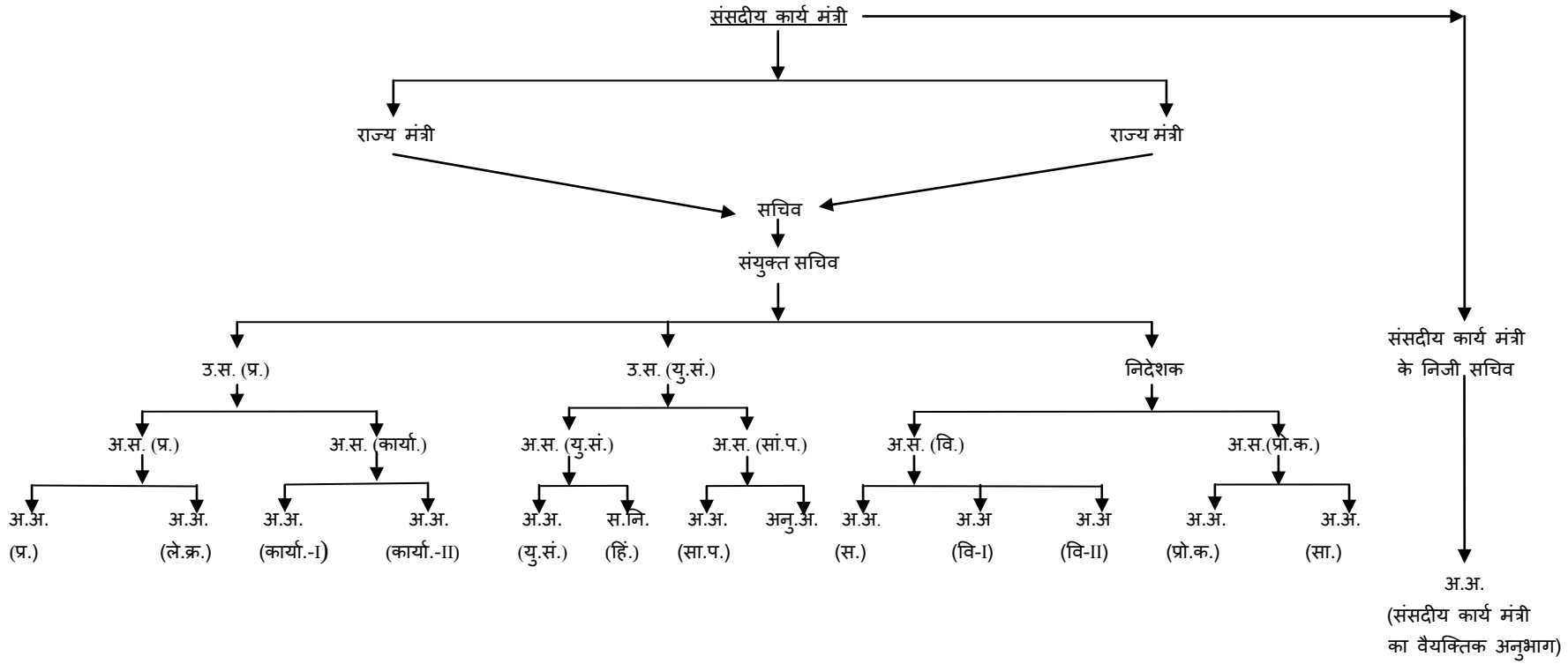

आख्यान

उ.स. - उप सचिव
अ.स. - अवर सचिव
अ.अ. - अनुभाग अधिकारी
स.नि. - सहायक निदेशक
अनु.अ. - अनुसंधान अधिकारी

प्र. - प्रशासन
वि. - विधायी
यु.सं. - युवा संसद
कार्या.- कार्यान्वयन
हि. - हिंदी

सा. - सामान्य
स. - समिति
सां.प. - सांसद परिलब्धियां
ले.क्र. - लेखा और क्रय
प्रो.क. - प्रोटोकॉल और कल्याण

अध्याय-2

संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान

एक झलक

- 1.1.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान तीन सत्रों में लोक सभा और राज्य सभा प्रत्येक की 73 बैठकें हुई।
- रविवार, 13 मई, 2012 को लोक सभा और राज्य सभा की एक विशेष बैठक हुई।

सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान

2.1 संविधान के अनुच्छेद 85(1) के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के प्रत्येक सदन की बैठक ऐसे समय और स्थान पर बुला सकते हैं जैसा कि वे उचित समझें। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति सदनों अथवा किसी एक सदन का समय-समय पर सत्रावसान अथवा लोक सभा को भंग कर सकते है। संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए कार्य आबंटन नियमों के द्वारा यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित और लोक हित के विषयों पर चर्चा के लिए संसद सदस्यों द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले समय का निर्धारण किए जाने के पश्चात संसद के सत्र के प्रारम्भ किए जाने की तिथि और इसकी संभावित अवधि की सिफारिश करने के लिए एक टिप्पण (नोट) संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति के समक्ष रखा जाता है। प्रस्ताव (प्रस्तावों) पर संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, प्रधान मंत्री की सहमति मांगी जाती है। यदि संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति गठित नहीं की गई हो, तो प्रस्ताव (प्रस्तावों) सहित एक नोट मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति/कैबीनेट की सिफारिशों (सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख के संबंध में) को राष्ट्रपति को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख और उसकी समयावधि की सूचना लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों को, संसद सदस्यों को समन जारी करने के लिए भेज दी जाती है।

सत्र

(i) बुलाया जाना

2.2(क) दिनांक 1.1.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा प्रत्येक के तीन-तीन सत्र बुलाए गए। इन सत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

पंद्रहवीं लोक सभा			
सत्र	**अवधि**	**बैठक**	**दिन**
10वां	12 मार्च, 2012 से 22 मई, 2012	34	72
11वां	8 अगस्त, 2012 से 7 सितंबर, 2012	19	31
12वां	22 नवंबर, 2012 से 20 दिसंबर, 2012	20	29
राज्य सभा			
225वां	12 मार्च, 2012 से 22 मई, 2012	34	72
226वां	8 अगस्त, 2012 से 7 सितंबर, 2012	19	31
227वां	22 नवंबर, 2012 से 20 दिसंबर, 2012	20	29

2.2(ख) इसके अतिरिक्त, संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में रविवार, 13 मई, 2012 को लोक सभा और राज्य सभा की एक विशेष बैठक हुई थी।

(ii) सत्रावसान

2.3 सदनों के सत्रावसान के प्रस्ताव के लिए संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, सरकार का निर्णय संसद के दोनों सचिवालयों को राष्ट्रपति के आदेश को जारी करने तथा इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन और सत्रावसान की तारीखों का विवरण निम्नलिखित है:-

पंद्रहवीं लोक सभा		
सत्र	**तारीख**	
	अनिश्चित काल के लिए स्थगन	**सत्रावसान**
10वां	22 मई, 2012	28 मई, 2012
11वां	7 सितंबर, 2012	12 सितंबर, 2012
12वां	20 दिसंबर, 2012	24 दिसंबर, 2012
राज्य सभा		

225वां	22 मई, 2012	28 मई, 2012
226वां	7 सितंबर, 2012	12 सितंबर, 2012
227वां	20 दिसंबर, 2012	24 दिसंबर, 2012

लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखों का विवरण
(पहली से पंद्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा	मतदान की अंतिम तारीख	गठन की तारीख	पहली बैठक की तारीख	कार्यकाल पूरा होने की तारीख [संविधान का अनुच्छेद 83(2)]	भंग होने की तारीख
1	2	3	4	5	6
पहली	21.02.52	02.04.52	13.05.52	12.05.57	04.04.57
दूसरी	15.03.57	05.04.57	10.05.57	09.05.62	31.03.62
तीसरी	25.02.62	02.04.62	16.04.62	15.04.67	03.03.67
चौथी	21.02.67	04.03.67	16.03.67	15.03.72	*27.12.70
पांचवी	10.03.71	15.03.71	19.03.71	18.03.77	*18.01.77
छठी	20.03.77	23.03.77	25.03.77	24.03.82	*22.08.79
सातवीं	06.01.80	10.01.80	21.01.80	20.01.85	31.12.84
आठवीं	28.12.84	31.12.84	15.01.85	14.01.90	27.11.89
नौंवी	26.11.89	02.12.89	18.12.89	17.12.94	*13.03.91
दसवीं	15.06.91	20.06.91	09.07.91	08.07.96	10.05.96
ग्यारहवीं	07.05.96	15.05.96	22.05.96	21.05.2001	*04.12.97
बारहवीं	07.03.98	10.03.98	23.03.98	22.03.2003	*26.04.99
तेरहवीं	04.10.99	10.10.99	20.10.99	19.10.2004	*06.02.04
चौदहवीं	10.05.04	17.05.04	02.06.04	01.06.2009	18.5.2009
पंद्रहवीं	13.05.2009	18.5.2009	1.6.2009	31.5.2014	

*1. मध्यावधि चुनाव हुए, चुनावों से पहले ही लोक सभा भंग कर दी गई थी।

2. कालम (2) में दी गई मतदान की अंतिम तारीखें निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

अध्याय-3

राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश

राष्ट्रपति का अभिभाषण

3.1 संविधान का अनुच्छेद 87(1) आज्ञापक है क्योंकि यह राष्ट्रपति को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में भी संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक में अभिभाषण करने के लिए आदिष्ट करता है।

3.2 अनुच्छेद 87 के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर चर्चा के लिए लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया नियमों में प्रावधान किया गया है। दोनों सदनों में चर्चा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा पेश और अनुमोदित किए गए धन्यवाद के प्रस्ताव पर होती है। इन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद के संबंधित सचिवालय को भेजा जाता है। अभिभाषण पर चर्चा काफी व्यापक होती है और सदस्य किसी भी विषय पर चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो, बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यहां तक कि उन मामलों पर जिनका अभिभाषण में विशिष्ट उल्लेख नहीं हो, उन पर भी सदस्यगण अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन पेश करके अथवा चर्चा में भाग लेकर बोलते हैं। अभिभाषण में उल्लिखित किसी भी बात के लिए राष्ट्रपति के पद की आलोचना नहीं की जाती है क्योंकि अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। आलोचना यदि की जानी है तो सरकार की होनी चाहिए।

3.3 कलैंडर वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में दिनांक 12 मार्च, 2012 को राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण दिया गया। नीचे दी गई तालिका में धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावकों और अनुमोदकों के नाम और उस पर चर्चा की तारीखें दर्शाई गई हैं:-

15वीं लोक सभा का 10वां सत्र	
धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम	चर्चा की तारीखें
डॉ. गिरिजा व्यास (प्रस्तावक) डॉ. शशि थरूर (अनुमोदक)	13, 14, 15 और 19 मार्च, 2012 **(स्वीकृत)**
राज्य सभा का 222वां सत्र	
श्री सत्यवृत्त चतुर्वेदी (प्रस्तावक) डॉ. ई.एम.एस. नचियप्पन (अनुमोदक)	14, 15, 19 और 20 मार्च, 2012 **(स्वीकृत)**

अध्यादेशों के बारे में प्रावधान

3.4 अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि किसी समय (जबकि संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो) राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण उनको तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया हो, तो वे परिस्थितियों की अपेक्षानुसार ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। ऐसे अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान शक्तिमान और प्रभावी होंगे। लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिसके लिए संविधान के अधीन संसद अधिनियम बनाने के लिए सक्षम नहीं हो। उक्त अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि अध्यादेशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। इसका निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पेश करने के लिए भी प्रावधान है। संविधान के अन्तर्गत एक अध्यादेश संसद के पुन: सत्रारम्भ से छ: सप्ताह की समाप्ति पर अथवा यदि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उसका निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाते हैं तो इन संकल्पों के दूसरे संकल्प के पारित होने पर, निष्प्रभाव हो जाता है। जब संसद के सदनों के सत्रारम्भ भिन्न-भिन्न तारीखों को होते हैं तो छ: सप्ताह की अवधि की गणना इसमें से बाद की तारीख से की जाएगी।

3.5 दोनों सदनों के प्रक्रिया नियमों में अध्यादेशों के प्रख्यापन के लिए परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाले विवरण सभा-पटल पर रखने का प्रावधान किया गया है ताकि अध्यादेशों पर विचार करते समय सदस्यगण उसका उपयोग कर सकें।

3.6 संसदीय कार्य मंत्रालय अध्यादेशों की प्रतियों को सभा-पटल पर रख कर, मंत्रालयों से स्पष्टीकरण-विवरण को सभा-पटल पर रखने का निवेदन करके और संबंधित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर विचार के साथ-साथ उनके प्रतिस्थापन में विधेयकों पर विचार के लिए समय की व्यवस्था करके भारत के संविधान तथा संसद के दोनों सदनों में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करता है। यह सारी कार्रवाई संविधान में निर्धारित छ: सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

अध्यादेश

3.7 दिनांक 1.1.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान, एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। इस अध्यादेश के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर की एक प्रति संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखी गई। उसके प्रख्यापन, सभा पटल पर रखने, संसद

द्वारा अधिनियमों के प्रतिस्थापन इत्यादि की तारीखों संबंधी विभिन्न ब्यौरों की सूचना नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	अध्यादेश का शीर्षक और प्रख्यापन की तारीख	सभा पटल पर रखने की तारीख		अध्यादेश के प्रतिस्थापक विधेयक का पुरःस्थापन	विधेयक पर विचार करने और पारित करने की तारीख		स्वीकृति की तारीख और अधिनियम संख्या
		लोक सभा	राज्य सभा		लोक सभा	राज्य सभा	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का संख्या 1) (16.7.2012)	8.8.2012	8.8.2012	27.8.2012 (लो.स.)	30.8.2012	4.9.2012	12.9.2012 2012 का 37

3.8 राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 2012 तक प्रख्यापित अध्यादेश

वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या	वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या
1952	09	1953	07
1954	09	1955	07
1956	09	1957	06
1958	07	1959	03
1960	01	1961	03
1962	08	1963	-
1964	03	1965	07
1966	13	1967	09
1968	13	1969	10
1970	05	1971	23
1972	09	1973	04
1974	15	1975	29
1976	16	1977	16
1978	06	1979	10
1980	10	1981	12
1982	01	1983	11
1984	15	1985	08
1986	08	1987	10
1988	07	1989	02
1990	10	1991	09
1992	21	1993	34
1994	14	1995	15
1996	32	1997	31
1998	20	1999	10

2000	05	2001	12
2002	07	2003	08
2004	08	2005	04
2006	03	2007	08
2008	08	2009	09
2010	04	2011	03
2012	01		

टिप्पणी: अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने वाले वर्षों के दौरान केन्द्र में सत्ता में रही सरकारों की स्थिति निम्नलिखित है:-

पहली लोक सभा:	2 अप्रैल, 1952 से 4 अप्रैल, 1957 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
दूसरी लोक सभा:	5 अप्रैल, 1957 से 31 मार्च, 1962 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
तीसरी लोक सभा:	2 अप्रैल, 1962 से 3 मार्च, 1967 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू, 1 अप्रैल, 1962 से 27 मई, 1964 तक; श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 27 मई, 1964 से 9 जून, 1964 तक; श्री लाल बहादुर शास्त्री दिनांक 9 जून, 1964 से 11 जनवरी, 1966 तक और श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी, 1966 तक तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 24 जनवरी, 1966 से 3 मार्च, 1967 तक)
चौथी लोक सभा:	4 मार्च, 1967 से 27 दिसम्बर, 1970 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 4 मार्च, 1967 से 15 मार्च, 1971 तक)
पांचवी लोक सभा:	15 मार्च, 1971 से 18 जनवरी, 1977 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी)
छठी लोक सभा:	23 मार्च, 1977 से 22 अगस्त, 1979: कांग्रेस (आई)/जनता पार्टी (श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 18 जनवरी, 1977 से 24 मार्च, 1977 तक) (श्री मोरारजी देसाई दिनांक 24 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979 तक और चौधरी चरण सिंह दिनांक 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक)
सातवीं लोक सभा:	10 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1984 तक: कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 14 जनवरी,

	1980 से 31 अक्तूबर, 1984 तक और श्री राजीव गांधी दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 से 31 दिसम्बर, 1984 तक)
आठवीं लोक सभा:	31 दिसम्बर, 1984 से 27 नवम्बर, 1989 तक: कांग्रेस (आई) (श्री राजीव गांधी दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 से 2 दिसम्बर, 1989 तक)
नौवीं लोक सभा:	2 दिसम्बर, 1989 से 13 मार्च, 1991 तक: (श्री वी.पी. सिंह दिनांक 2 दिसम्बर, 1989 से 10 नवम्बर, 1990 तक और श्री चन्द्रशेखर दिनांक 10 नवम्बर, 1990 से 21 जून, 1991 तक)
दसवीं लोक सभा:	20 जून, 1991 से 10 मई, 1996 तक: कांग्रेस (आई) (श्री पी.वी. नरसिम्हाराव दिनांक 21 जून, 1991 से 16 मई, 1996 तक)
ग्यारहवीं लोक सभा:	15 मई, 1996 से 4 दिसम्बर, 1997 तक: भारतीय जनता पार्टी/संयुक्त मोर्चा (1) (श्री अटल बिहारी वाजपेयी दिनांक 16 मई, 1996 से 1 जून, 1996 तक) (2) (श्री एच.डी. देवेगौड़ा दिनांक 1 जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997 तक और श्री आई.के. गुजराल दिनांक 21 अप्रैल, 1997 से 19 मार्च, 1998 तक)
बारहवीं लोक सभा:	10 मार्च, 1998 से 26 अप्रैल, 1999 तक: भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल (श्री अटल बिहारी वाजपेयी दिनांक 19 मार्च, 1998 से 13 अक्तूबर, 1999 तक)
तेरहवीं लोक सभा:	10 अक्तूबर, 1999 से 6 फरवरी, 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एन.डी.ए. (श्री अटल बिहारी वाजपेयी दिनांक 13 अक्तूबर, 1999 से 22 मई, 2004 तक)
चौदहवीं लोक सभा	17 मई, 2004 से 18 मई, 2009 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह 22 मई, 2004 से 22 मई, 2009 तक)
पंद्रहवीं लोक सभा	22 मई, 2009 भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन -II (डॉ. मनमोहन सिंह 22 मई, 2009 से आगे)

अध्याय-4

संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण

एक झलक

- वर्ष 2012-13 के लिए बजट (रेल) 14 मार्च, 2012 को प्रस्तुत किया गया।
- वर्ष 2012-13 के लिए बजट (सामान्य) 16 मार्च, 2012 को प्रस्तुत किया गया।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा 32 विधेयक पारित किए गए।

सरकारी कार्य

4.1 संसद के समक्ष मुख्य कार्य, किसी भी संसदीय प्रजातंत्र में सरकारी कार्य से संबंधित होता है। अत: सरकारी कार्य की आयोजना ने बहुत महत्ता अर्जित कर ली है। यह सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह यह देखे कि इस कार्य के लिए समय का ठीक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में यह प्रावधान है कि सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए नियत किए गए दिनों में सरकारी कार्य की पूर्ववर्तिता होगी और इस कार्य की व्यवस्था ऐसे क्रम में होगी जैसा कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी, संबंधित सदनों के नेताओं के परामर्श से निर्धारित करें। सरकारी कार्य की आयोजना और समन्वय का यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए मंत्रालय, संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति के निर्देशानुसार कार्य करता है।

4.2 संसद सत्र के दौरान शुक्रवार को ढाई घंटे तथा प्रतिदिन प्रश्न काल को छोड़कर करीब-करीब सारे का सारा समय सरकारी कार्य के लिए सरकार की व्यवस्था में रहता है। तथापि, सरकार अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर विचार के लिए सदस्यों द्वारा समय-समय पर की गई मांग पर और दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर विचार हेतु समय देने के लिए सहमत हो जाती है।

सरकारी कार्य की आयोजना

4.3 संसद के सत्र की शुरूआत से पर्याप्त समय पूर्व, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से संसद के आगामी सत्र के दौरान विचार के लिए उनके विधायी और गैर-विधायी प्रस्तावों का विवरण देने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, सत्र का कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर ही तैयार नहीं किया जाता है। मंत्रालय विधेयकों के प्रारूपण के संबंध में सही

स्थिति सुनिश्चित करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग से सूचना की जांच करता है। तत्पश्चात, संसद के प्रत्येक सत्र के आरम्भ होने के पूर्व संसदीय कार्य मंत्री विधायी प्रस्तावों और सरकारी कार्य की अन्य मदों को अंतिम रूप देने में प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। वे विधायी प्रस्ताव जो तैयार नहीं है और जिनके समय पर पूरे होने की संभावना नहीं है उनको छोड़ दिया जाता है। इस तरह की तीन बैठकें आयोजित की गई - पहली बैठक बजट सत्र से पूर्व दिनांक 5 मार्च, 2012 को आयोजित की गई, दूसरी बैठक मानसून सत्र से पहले 2 अगस्त, 2012 को आयोजित की गई और तीसरी बैठक शीतकालीन सत्र से पूर्व 16 नवंबर, 2012 को आयोजित की गई। सरकारी कार्यों का सही आंकलन करने के पश्चात प्रत्येक सत्र के लिए सरकारी कार्यों का एक अस्थायी कैलेण्डर तैयार किया जाता है। दिनांक 1.1.2012 से 31.12.2012 की समयावधि के दौरान सरकारी कार्य की तीन अस्थायी सूचियां बनाई गई और संसद सदस्यों को परिचालन के लिए लोक/राज्य सभा सचिवालयों को उपलब्ध कराई गई। जिससे उन्हें सत्र के दौरान आने वाले विधेयकों/विषयों का मोटे तौर पर बोध हो जाता है और वे उन पर चर्चा के लिए भाग लेने की तैयारी कर सकते हैं।

4.4 सदस्यों को संसद के दोनों सदनों द्वारा किए जाने वाले सरकारी कार्य की अग्रिम सूचना देने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री प्रत्येक सप्ताह की अंतिम बैठक के दिन आगामी सप्ताह के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्य के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा में वक्तव्य देते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा प्रत्येक में 7 वक्तव्य दिए गए।

4.5(क) सरकारी कार्य के कार्यक्रम के आयोजन की प्रक्रिया सप्ताह में एक बार पूर्वसूचना देने से ही समाप्त नहीं हो जाती है। कार्य की प्रगति पर निरन्तर तथा निकट से निगरानी रखी जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अल्प सूचना पर भी समायोजन किया जा सके। वस्तुत: ऐसे समायोजन दिन-प्रतिदिन करने पड़ते हैं। इस कार्य के लिए मंत्रालय दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के लिए दैनिक कार्य की सूची में शामिल करने हेतु संसद के संबंधित सचिवालय को सरकारी कार्य की सूची भेजता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान सरकारी कार्य के निष्पादन के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा प्रत्येक के लिए सरकारी कार्य की 78 सूचियां संसद के दोनों सचिवालयों को जारी की गई।

4.5(ख) कार्य मंत्रणा समिति, लोक सभा और कार्य मंत्रणा समिति, राज्य सभा संसदीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से सरकारी कार्य की विभिन्न मदों पर चर्चा के लिए समय का आबंटन करती है। वर्ष के दौरान लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को 167 मदों (लोक सभा - 57, राज्य सभा -110) के संबंध में समय आबंटन के लिए टिप्पण भेजे गए।

सरकारी कार्य का प्रबन्धन

4.6 सरकारी कार्य का प्रबन्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है तथा इसमें संसदीय कार्य मंत्री से अत्यंत कार्य-कुशलता और निपुणता की अपेक्षा की जाती है। शासकीय दल का मुख्य सचेतक होने के नाते उसे सदैव ही सदन में अपने दल के सदस्यों और संबद्ध/समर्थक दलों के सदस्यों, यदि कोई हों तो, की उपस्थिति सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है। वे पीठासीन अधिकारियों, विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं के साथ-साथ उनके मुख्य सचेतकों और सचेतकों के साथ निकट और सतत संबंध भी बनाए रखते हैं।

निष्पादित सरकारी कार्य का सार

(i) विधायी

4.7 पंद्रहवीं लोक सभा के 9वें सत्र तथा राज्य सभा के 224वें सत्र की समाप्ति पर कुल 96 विधेयक (लोक सभा में 47 विधेयक और राज्य सभा में 49 विधयेक) लंबित थे। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, दोनों सदनों में 41 विधेयक (लोक सभा में 32 विधेयक तथा राज्य सभा में 9 विधेयक) पुर:स्थापित किए गए, इस प्रकार कुल 137 विधेयक हो गए। इनमें से, दोनों सदनों द्वारा 32 विधेयक पारित किए गए (**परिशिष्ट-2**)। लोक सभा में एक विधेयक अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2009 वापस लिया गया। पंद्रहवीं लोक सभा के 12वें सत्र और राज्य सभा के 227वें सत्र की समाप्ति पर संसद के दोनों सदनों में कुल 104 विधेयक (लोक सभा में 54 विधेयक और राज्य सभा में 50 विधेयक) लंबित थे, जैसा कि **परिशिष्ट-3** में दर्शाया गया है।

(ii) वित्तीय

4.8 लोक सभा नियमों के नियम 204 में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे 'बजट' के रूप में जाना जाता है, संसद में ऐसे दिन पेश किया जाएगा जैसाकि राष्ट्रपति निर्देश दें। केन्द्रीय सरकार का बजट दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है-रेल और सामान्य। रेल बजट बजट (सामान्य) से दो से तीन दिन पहले पेश किया जाता है, जो सामान्यत: फरवरी के महीने के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों का राज्य बजट भी प्रस्तुत किया जाता है। बजट लोक सभा में उस समय पेश किया जाता है जब रेल मंत्री तथा वित्त मंत्री अपने बजट भाषण पढ़ते हैं। राज्य सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्यत: लोक सभा में मंत्रियों के भाषणों की समाप्ति पर सभा पटल पर रखा जाता है।

4.9 बजट सत्र, 1993 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में एक निर्णय यह भी था कि विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया जाए जिनका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर सदन में मतदान और चर्चा से पूर्व इनकी संवीक्षा करना है। स्थायी समितियों के अन्य कार्यों में अध्यक्ष अथवा सभापति द्वारा उन्हें निर्दिष्ट विधेयकों, मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों और सदनों को प्रस्तुत दीर्घकालीन मूल नीति संबंधी दस्तावेजों तथा पीठासीन अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट कागजातों की जांच करना शामिल है।

(iii) बजट

4.10 दिनांक 1.1.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान, बजट (रेल) और बजट (सामान्य) पर विचार करने की तारीखों का विवरण संलग्न है (**परिशिष्ट-4**)।

(iv) अन्य सरकारी कार्य

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव

4.11 मंत्रिपरिषद में विश्वास की आवश्यकता व्यक्त करने की सामान्य प्रक्रिया यह है कि लोक सभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के नियम 198 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। विश्वास प्रस्ताव का आविष्कार आधुनिक उत्पत्ति है। मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया नियमों में कोई नियम नहीं है। लोक सभा के नियम बनाते समय शायद ऐसे प्रस्ताव की कल्पना नहीं की गई थी। ऐसा प्रस्ताव, जो कि एक प्रकार से लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने को प्रदर्शित करता है, के द्वारा चर्चा करने की आवश्यकता सत्तर के दशक के अंत में पैदा हुई, जबकि अल्पमत की सरकारों के दल में विभाजन हुए और उसके पश्चात त्रिशंकु संसद के परिणामस्वरूप गठबंधन सरकारें बनने लगी। इस संबंध में कोई विशिष्ट नियम न होने के कारण, ऐसे विश्वास प्रस्तावों को नियम 184 में उल्लिखित प्रस्तावों की श्रेणी में लिया गया जो कि लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए बना है। ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा नियम 191 के अंतर्गत सदन के समक्ष सभी आवश्यक प्रश्न रखकर की जाती है।

4.12 ऐसा पहला विश्वास प्रस्ताव 21 दिसंबर, 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसे सदन द्वारा उसी दिन ध्वनिमत से स्वीकृत कर दिया गया था। अब तक प्रस्तुत किए गए ग्यारह विश्वास प्रस्तावों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (**परिशिष्ट-5**)।

स्वीकृत सरकारी प्रस्ताव/सांविधिक संकल्प

4.13 उन सरकारी सांविधिक संकल्पों का विवरण नीचे दिया गया है जिन्हें प्रतिवेदित अवधि के दौरान प्रस्तुत किया गया, जिन पर विचार किया गया और जिन्हें स्वीकृत किया गया:-

क्र.सं.	विषय	तारीख (तारीखें)	लोक सभा		तारीख (तारीखें)	राज्य सभा	
			लिया गया समय			लिया गया समय	
			घंटे	मिनट		घंटे	मिनट
1.	रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व इत्यादि को संदेय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2009) की दिनांक 30.8.2011 को लोक सभा और राज्य सभा के सभा पटल पर प्रस्तुत दूसरी रिपोर्ट के पैरा 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82 और 84 में निहित सिफारिशों के अनुमोदन की मांग करने वाला सांविधिक संकल्प। (स्वीकृत)	22.3.2012	#	#	22.3.2012	#	#

रेल बजट और अनुदानों की अनुपूरक मागों (रेल) के साथ चर्चा की गई।

सरकारी समय का मुख्य आबंटन

4.14 संसद के दोनों सदनों में विधायी, वित्तीय और गैर-वित्तीय मदों (सरकारी कार्यों के संचालन के लिए नियत समय के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर बहस की व्यवस्था सहित) पर कुल सरकारी समय के मुख्य आबंटन का विवरण निम्न प्रकार हैं:-

क्र.सं.	मद	लोक सभा		राज्य सभा		प्रतिशत	
		घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	लोक सभा	राज्य सभा
1.	विधायी	43	16	43	12	25.88%	31.02%
2.	वित्तीय	68	18	36	08	40.84%	25.96%
3.	गैर-वित्तीय	55	39	59	54	33.28%	43.02%

व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय

4.15 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, विभिन्न अवसरों पर व्यवधानों/अव्यवस्था के दृश्यों के कारण लोक सभा और राज्य सभा स्थगित की गई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा में ऐसे स्थगनों इत्यादि पर लगा समय नीचे दर्शाया गया है:-

लोक सभा

सत्र	**कुल समय**		**व्यवधान/अव्यवस्था के दृश्यों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय**		**व्यवधान/अव्यवस्था के दृश्यों इत्यादि के कारण स्थगनों आदि पर लगे समय का प्रतिशत**
	घंटे	**मिनट**	**घंटे**	**मिनट**	
10वां (15वीं लोक सभा)	194	09	48	03	24.79%
11वां (15वीं लोक सभा)	100	55	77	46	77.06%
12वां (15वीं लोक सभा)	111	39	57	39	51.63%
कुल =	406	43	183	28	45.10%

राज्य सभा

सत्र	**कुल समय**		**व्यवधान/अव्यवस्था के दृश्यों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय**		**व्यवधान/अव्यवस्था के दृश्यों इत्यादि के कारण स्थगनों आदि पर लगे समय का प्रतिशत**
	घंटे	**मिनट**	**घंटे**	**मिनट**	
225वां	155	26	17	06	11.08%
226वां	85	38	61	17	71.56%
227वां	93	46	46	54	50.02%
कुल =	334	50	125	17	37.41%

अन्य गैर-सरकारी कार्य

4.16 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में 8 और राज्य सभा में 7 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, लोक सभा में आधे घंटे की 1 चर्चा हुई और राज्य सभा में आधे घंटे की दो चर्चाएं हुई।

संसद की बैठकों की संख्या और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की संख्या

(वर्ष 1952 से 2012 तक)

वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक
	लोक सभा	राज्य सभा			लोक सभा	राज्य सभा	
1	2	3	4	1	2	3	4
1952	103	60	82	1953	137	100	58
1954	137	103	54	1955	139	111	60
1956	151	113	106	1957	104	78	68
1958	125	91	59	1959	123	87	63
1960	121	87	67	1961	102	75	63
1962	116	91	68	1963	122	100	58
1964	122	97	56	1965	113	96	51
1966	119	109	57	1967	110	91	38
1968	120	103	67	1969	120	102	58
1970	119	107	53	1971	102	89	87
1972	111	99	82	1973	120	105	70
1974	119	109	68	1975	63	58	57
1976	98	84	118	1977	86	70	48
1978	115	97	50	1979	66	54	32
1980	96	90	72	1981	105	89	62
1982	92	82	73	1983	93	77	49
1984	77	63	73	1985	109	89	92
1986	98	86	71	1987	102	89	61
1988	102	89	71	1989	83	71	38
1990	81	66	30	1991	90	82	63
1992	98	90	44	1993	89	79	75
1994	77	75	61	1995	78	77	45
1996	70	64	36	1997	65	68	35
1998	64	59	40	1999	51	48	39
2000	85	85	63	2001	81	81	61
2002	84	82	86	2003	74	74	56
2004	48	46	18	2005	85	85	56
2006	77	77	65	2007	66	65	46
2008	46	46	47	2009	64	63	41
2010	81	81	43	2011	73	73	36
2012	74	74	32				

अध्याय-5

गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य

5.1 लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में, उन सदस्यों के लिए जो मंत्री-परिषद के सदस्य नहीं हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पावधि चर्चा, अनियत दिन वाले प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव, आधे घन्टे की चर्चा के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने और जन-साधारण की शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आमतौर पर प्रत्येक शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए ढ़ाई घन्टे का समय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के बारी-बारी से लिए जाने के लिए अलग रखा गया है। इन मामलों पर चर्चा सरकारी कार्य के लिए निर्धारित समय के दौरान होती है।

5.2 1.1.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान निम्नलिखित चर्चाएं की गई:-

लोक सभा

स्थगन प्रस्ताव - अस्वीकृत

क्र.सं.	**प्रस्ताव का पाठ, प्रस्तावक का नाम और परिणाम**	**चर्चा की तारीख**	**लिया गया समय** **घंटे मिनट**
1.	श्री लालकृष्ण आडवाणी ने "असम में अवैध घुसपैठ से उत्पन्न स्थिति का आकलन करने और कोकराझार जिले के बीटीएसी और अन्य भागों में बड़े पैमाने पर हुई नस्ली हिंसा जिसमें बहुत से लोग मारे गए और हजारों बेघर हुए, पर काबू पाने में सरकार की विफलता" के बारे में स्थगन प्रस्ताव पेश किया। (ध्वनि मत से अस्वीकृत)	08.08.2012	04 - 42

नियम 193 के अंतर्गत चर्चाएं

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबद्ध मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय
				घंटे मिनट
1.	सरकार की त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण श्रमिक वर्ग के बीच व्यापक असंतोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा। (श्री गुरूदास दासगुप्त)	श्रम और रोजगार	24.03.2011 19.03.2012	04 - 38
2.	राष्ट्रीय कैरियर अर्थात एयर इंडिया और कुछ अन्य प्राइवेट कैरियर के कार्यकलापों में बड़े स्तर पर कुप्रबंधन के कारण नागर विमानन क्षेत्र में व्यापक नीतिगत परिवर्तन लाए जाने की आवश्यकताओं पर चर्चा। (श्री गुरूदास दासगुप्त)	नागर विमानन	10.5.2012 15.5.2012	05 - 20
3.	गंगा नदी को प्रदूषण तथा हिमालय को निर्मम दोहन से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा। (कुंवर रेवती रमण सिंह)	पर्यावरण और वन	14.5.2012 17.5.2012	04 - 20
4.	खाद्यानों की खरीद की दोषपूर्ण नीति तथा उसके भण्डारण की अपर्याप्त सुविधाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा। (श्री शरद यादव)	उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	18.5.2012	00 - 32 (चर्चा पूरी नहीं हुई)
5.	केंद्र - राज्य संबंधों पर चर्चा। (श्री बसुदेव आचार्य)	गृह	21.5.2012	01 – 24 (चर्चा पूरी नहीं हुई)
6.	देश में नक्सलवादी गतिविधियों में हुई वृद्धि पर चर्चा। (श्री बसुदेव आचार्य)	गृह	17.12.2009 14.8.2012	01 – 51 (चर्चा पूरी नहीं हुई)

7.	देश के विभिन्न भागों में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर चर्चा। (श्री राजीव रंजन सिंह)	कृषि	22.8.2012	00 – 02 (चर्चा पूरी नहीं हुई)
8.	देश में एक समान शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर चर्चा। (श्री शैलेन्द्र कुमार)	मानव संसाधन विकास	13.12.2012	02 – 00 (चर्चा पूरी नहीं हुई)

नियम 184 के अंतर्गत चर्चा - अस्वीकृत

क्र.सं.	**प्रस्ताव का पाठ, प्रस्तावक का नाम और परिणाम**	**संबद्ध मंत्रालय**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**लिया गया समय**
				घंटे मिनट
1.	श्रीमती सुषमा स्वराज, विपक्ष की नेता ने प्रस्ताव किया कि यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में 51% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने का अपना निर्णय तत्काल वापस ले। प्रस्ताव पर सदन में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम 'हॉ - 229, नहीं - 258' रहा। तदनुसार प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।	वाणिज्य और उद्योग	04.12.2012 05.12.2012	10 - 45

सांविधिक प्रस्तावों पर चर्चा - अस्वीकृत

क्र.सं.	**प्रस्ताव का पाठ, प्रस्तावक का नाम और परिणाम**	**संबद्ध मंत्रालय**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**लिया गया समय**
				घंटे मिनट
1.	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के	वाणिज्य और उद्योग	04.12.2012 05.12.2012	10 - 45

	अंतर्गत जारी और 30 नवंबर, 2012 को लोक सभा के पटल पर रखी गई अधिसूचना [सा.का.नि.795(ई) दिनांक 19 अक्तूबर, 2012] में उपांतरण के लिए प्रस्ताव, जिसका नोटिस प्रो. सौगत राय और श्री हसन खान द्वारा दिया गया था, पर नियम 184 के अंतर्गत श्रीमती सुषमा स्वराज, विपक्ष की नेता द्वारा लाए गए प्रस्ताव के साथ चर्चा की गई) (इन प्रस्तावों को हॉ - 227, नहीं - 258 के मत-विभाजन द्वारा अस्वीकृत किया गया)			

राज्य सभा

नियम 176 के अंतर्गत चर्चा

क्र.सं.	**विषय और सदस्य**	**संबद्ध मंत्रालय**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**लिया गया समय**	
				घंटे	**मिनट**
1.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा के दौरान प्रोन्नति में आरक्षण के मामले पर चर्चा। (श्री सतीश चन्द्र मिश्रा)	कार्मिक और प्रशिक्षण	3.5.2012	03	- 58
2.	देश में खाद्यान्न भंडारण की समस्या पर चर्चा। (श्री शान्ता कुमार)	उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	14.5.2012	03	- 28
3.	पाकिस्तान के साथ रिश्तों के सामान्यीकरण और पाकिस्तान	विदेश	17.5.2012	01	- 48

	में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर चर्चा। (श्री बलबीर पुंज)			
4.	असम में सांप्रदायिक हिंसा की हाल की घटनाओं पर चर्चा। (श्री बलबीर पुंज)	गृह	8.8.2012 9.8.2012	04 - 20

नियम 168 के अंतर्गत चर्चा - अस्वीकृत

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबद्ध मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय
				घंटे मिनट
1.	डॉ. वी. मैत्रेयन द्वारा प्रस्ताव लाया गया कि यह सभा मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के सरकार के निर्णय का निरनुमोदन करती है। (यह प्रस्ताव हॉ – 109, नहीं – 123 के मत-विभाजन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया)	वाणिज्य और उद्योग	6.12.2012 7.12.2012	10 - 26

सांविधिक प्रस्तावों पर चर्चा - अस्वीकृत

क्र.सं.	प्रस्ताव का पाठ, प्रस्तावक का नाम और परिणाम	संबद्ध मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय
				घंटे मिनट
1.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत जारी और 12 अगस्त, 2011 को राज्य सभा के पटल पर रखी गई अधिसूचना [सा.का.नि.314(ई) दिनांक 13 अप्रैल, 2011] को रद्द करने के लिए प्रस्ताव। (श्री पी. राजीव) (ध्वनि-मत से अस्वीकृत)	सूचना प्रौद्योगिकी	17.5.2012	01 - 38
2.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत जारी और	नागर विमानन	18.5.2012	00 - 38 (चर्चा पूरी नहीं

	25 अगस्त, 2011 को राज्य सभा के पटल पर रखी गई अधिसूचना [सा.का.नि.597(ई) दिनांक 2 अगस्त, 2011] में आशोधन के लिए प्रस्ताव। (श्री के.एन. बालगोपाल)			हुई)

राज्य सभा में मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा

क्र.सं.	**मंत्रालय**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**लिया गया समय घंटे मिनट**
1.	श्रम और रोजगार	26.4.2012	04 – 20
2.	कोयला	2.5.2012	03 – 04
3.	रक्षा	7.5.2012 8.5.2012	07 – 15

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख

5.3 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति का एक कार्य संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार करने के लिए स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का निश्चय करना है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से उन विधेयकों और संकल्पों के संबंध में सरकार के रूख पर पक्षसार भेजने का अनुरोध किया गया जो दोनों सदनों में विचार करने और पारित करने हेतु सूची में शामिल किए गए अथवा जिन्हें इस कार्य के लिए हुए बैलट में काफी उच्च प्राथमिकता प्राप्त होती है।

5.4 प्रतिवेदित अवधि के दौरान संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति छह बैठकें की। समिति ने 3 जनवरी, 23 मई, 11 सितंबर और 22 दिसंबर, 2012 को आयोजित अपनी बैठकों में (i) दोनों सदनों का उनके अनिश्चितकाल के लिए स्थगन के पश्चात सत्रावसान करने और (ii) संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन, उनके द्वारा अनुमोदित गैर सरकारी सदस्यों के 27 विधेयकों (लोक सभा में 13 और राज्य सभा में 14) और 32 संकल्पों (लोक सभा में 15 और राज्य सभा में 17) का विरोध करने अथवा संबंधित सदस्यों से उन्हें वापस लेने हेतु अनुरोध करने के लिए सरकार के रूख के मामलों का अनुसमर्थन करने के प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया। संसद का मानसून सत्र, 2012 प्रधानमंत्री के अनुमोदन से बुलाया गया था क्योंकि संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति मंत्रिमंडल के फेरबदल के पश्चात गठित नहीं की गई थी। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने प्रधान मंत्री कार्यालय के निदेशों के अनुपालन में 11 सितंबर, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में मानसून सत्र, 2012

को बुलाने के लिए कार्योत्तर मंजूरी भी प्रदान की। समिति ने 7 फरवरी और 22 अक्तूबर, 2012 को आयोजित अपनी बैठकों में वर्ष 2012 के लिए बजट सत्र और शीतकालीन सत्र बुलाने के प्रस्तावों पर विचार करके उन्हें अनुमोदित किया।

5.5 दिनांक 1.1.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान, गैर-सरकारी सदस्यों के 197 विधेयक (125 विधेयक लोक सभा में और 72 विधेयक राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए (**परिशिष्ट-6**)। उपर्युक्त अवधि के दौरान जिन गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा हुई उनका विवरण नीचे दिया गया है :-

दिनांक 1.1.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा			
क्र.सं.	**विधेयक और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**
1.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (आठवीं अनुसूची में संशोधन) (श्री सतपाल महाराज)	19.8.2011 2.9.2011 27.4.2012	वापस लिया गया
2.	जादू-टोना पर पांबदी विधेयक, 2010 (श्री ओम प्रकाश यादव)	27.4.2012 9.8.2012 7.12.2012	अस्वीकृत
3.	वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का उपबंध विधेयक, 2010 (श्री जय प्रकाश अग्रवाल)	7.12.2012	चर्चा पूरी नहीं हुई
राज्य सभा			
1.	परीक्षा-पूर्व कोचिंग सेंटर विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010 (श्री मोहन सिंह)	27.4.2012	वापस लिया गया
2.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (नए अनुच्छेद 371जे का अंत:स्थापन) (श्री भगत सिंह कोश्यारी)	27.4.2012 11.5.2012	वापस लिया गया
3.	रैगिंग का प्रतिषेध और उन्मूलन विधेयक, 2011 (डॉ. जनार्दन वाघमरे)	11.5.2012 9.8.2012	वापस लिया गया
4.	भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (श्री डी. राजा)	9.8.2012	वापस लिया गया
5.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 124 और 217 का संशोधन) (श्री एच.के. दुआ)	23.11.2012 7.12.2012	वापस लिया गया

6.	बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2012 (श्री रामचन्द्र खूंटिआ)	7.12.2012	चर्चा पूरी नहीं हुई

दिनांक 1.1.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

लोक सभा			
क्र.सं.	**संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**
1.	देश के मरू प्रदेशों के लिए विशेष आर्थिक विकास पैकेज। (श्री हरीश चौधरी)	26.8.2011 4.5.2012 18.5.2012	अस्वीकृत
2.	बिहार राज्य के मोतीहारी जिले में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। (श्री ओम प्रकाश यादव)	18.5.2012 17.8.2012	अस्वीकृत
3.	देश के विभिन्न भागों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाए। (श्री बसुदेव आचार्य)	17.8.2012	अस्वीकृत
4.	पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले लोगों के समक्ष आ रही समस्याएं। (श्री अर्जुन मेघवाल)	17.8.2012 30.11.2012 14.12.2012	चर्चा पूरी नहीं हुई
राज्य सभा			
1.	एक पृथक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ एक पृथक तेलंगाना राज्य का सृजन करने के लिए। (श्री प्रकाश जावड़ेकर)	4.5.2012 17.8.2012	अस्वीकृत
2.	मांस निर्यात नीति (श्री विजय जे. दर्डा)	17.8.2012	चर्चा पूरी नहीं हुई
3.	चुनावों में सरकार द्वारा वित्त पोषण और अन्य संबंधित विधियां। (श्री भुपेन्द्र यादव)	30.11.2012	वापस लिया गया
4.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए का संशोधन करने के लिए। (श्री पी. राजीव)	14.12.2012	चर्चा पूरी नहीं हुई

संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2012 के दौरान पारित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक		
(क) लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक		
क्र.सं.	**विधेयक का संक्षिप्त शीर्षक**	**अधिनियम संख्या/ स्वीकृति की तारीख**
1.	मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952 (श्री सय्यद मोहम्मद अहमद कासमी)	1954 का 29 21.5.1954
2.	भारतीय पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 1955 (श्री एस.सी. सामन्त)	1956 का 17 06.04.1956
3.	संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1956 (श्री फिरोज़ गांधी)	1956 का 24 26.05.1956
4.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1953 (श्री रघुनाथ सिंह)	1956 का 39 01.09.1956
5.	महिला और बालक संस्था (अनुज्ञापन) विधेयक, 1954 (राजमाता कमलेन्दुमति शाह)	1956 का 105 30.12.1956
6.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1957 (श्रीमती सुभद्रा जोशी)	1960 का 56 26.12.1960
7.	संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1964 (श्री रघुनाथ सिंह)	1964 का 26 29.09.1964
8.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चन्द शर्मा)	1964 का 44 20.12.1964
9.	उच्चतम न्यायालय (दाण्डिक अपील अधिकारिता का विस्तारण) विधेयक, 1968 (श्री आनन्द नारायण मुल्ला)	1970 का 28 09.08.1970
(ख) राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक		
10.	प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) विधेयक, 1954 (डॉ. रघुवीर सिंह)	1956 का 70 15.12.1956
11.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1956 (डॉ. (श्रीमती) सीता परमानन्द)	1956 का 73 20.12.1956
12.	अनाथालय और अन्य धर्मार्थ आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) विधेयक, 1960 (श्री कैलाश बिहारी लाल)	1960 का 10 09.04.1960
13.	समुद्री बीमा विधेयक, 1959 (श्री एम.पी. भार्गव)	1963 का 11 18.04.1963

14.	भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चमन लाल)	1969 का 36 07.09.1969

लोक सभा में स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

क्र.स.	संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य	स्वीकृति की तारीख
1.	पूरे देश में गाय और इसके बछड़ों की हत्या पर रोक लगाने के लिए। - श्री प्रह्लाद सिंह	10.4.2003

अध्याय – 6

अश्वासनों के कार्यान्वयन का प्रबोधन (मानीटरिंग)

<u>एक झलक</u>

- प्रतिवेदित अवधि के दौरान मंत्रियों द्वारा लोक सभा में 1429 आश्वासन और राज्य सभा में 1087 आश्वासन दिए गए ।
- लोक सभा में दिए गए 1368 आश्वासन और राज्य सभा में दिए गए 980 आश्वासन पूरे कर दिए गए है ।
- इसके अतिरिक्त, लोक सभा में 39 आश्वासन और राज्य सभा में 51 आश्वासन आंशिक रूप से पूरे किए गए हैं ।

6.1 संसद में प्रश्नों या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान मंत्रीगण कई बार आश्वासन दे देते हैं कि इन मामलों पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी अथवा अपेक्षित जानकारी दी जाएगी। सरकार इन आश्वासनों को पूरा करने और संबंधित सदन को प्रत्येक आश्वासन पर एक प्रतिवेदन देने के लिए बाध्य है। संसदीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय एजेन्सी है कि मंत्रालय समय पर अपने आश्वासनों की पूर्ति करें।

सामान्य प्रक्रिया

6.2 मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों मे से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेज देता है। प्रत्येक सदन के लिए अभिव्यक्ति की एक निश्चित शब्दावली है जो आश्वासन बनाती है। ये अभिव्यक्तियां उदाहरण स्वरूप हैं, पूर्ण नहीं है। किसी मंत्री के वक्तव्य को एक आश्वासन मानते समय इस बात का यथोचित ध्यान रखा जाता है कि वह किस संदर्भ मे दिया गया है और क्या आश्वासन एक उचित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के योग्य है।

6.3 संसद को दिए गए सभी आश्वासनों को तीन महीने की अवधि के अन्दर पूरा करना अपेक्षित है। जहां मंत्रालय द्वारा आश्वासन को पूरा करने में कुछ यथार्थ कठिनाईयों के कारण विलम्ब होता है अथवा किसी ठोस कारण से आश्वासन को पूरा करना व्यवहारिक नहीं होता, तब मंत्रालय/विभाग, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को समय बढाए जाने अथवा आश्वासन को छोडने हेतु, जैसी भी स्थिति हो, इस मंत्रालय को सुचित करते हुए सीधे अनुरोध करते हैं ।

6.4 आश्वासनों की पूर्ति के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री द्वारा लोक सभा/राज्य सभा के सभा पटल पर रखा जाता है। कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात, प्रतिवेदनों की प्रतियां संबंधित सदस्य (सदस्यों) को भी भेजी जाती हैं तथा संसद ग्रन्थालय में रखी जाती है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भी कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभापटल पर रखे जाने की सूचना दी जाती हैं।

6.5 वर्ष 2012 के दौरान, लोक सभा में 1429 आश्वासन दिए गए थे। जिनमें से 224 पूरे कर दिए गए, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा द्वारा 5 आश्वासनों को छोड दिया गया और शेष 1200 वर्ष के अन्त तक लंबित रहे। इस वर्ष के दौरान 1407 आश्वासनों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन (39 आंशिक पूर्ति के रूप मे) सभा पटल पर रखा गया। इसी प्रकार 1087 आश्वासन राज्य सभा में दिये गये थे, उनमें से 167 पूरे कर दिये गये, 11 को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा छोड़ दिया गया तथा शेष 909 वर्ष के अन्त तक लंबित रहे। इस वर्ष के दौरान 1031 आश्वासनों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन (51 आंशिक पूर्ति के रूप मे) सभा पटल पर रखा गया। वर्ष 1956 से 2012 के दौरान दिये गए/पूरे किए गए/छोडे गए आश्वासनों और कार्यान्वयन के लिए शेष रहे आश्वासनों की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

लोक सभा

वर्ष	कुल रिकार्ड किए गए आश्वासन	आश्वासनों की संख्या		कुल	शेष	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	विलोप			
1.	2.	3.	4.	5(3+4)	6(2-5)	7.
1956	1543	1543	-	1543	-	100
1957	893	893	-	893	-	100
1958	1324	1324	-	1324	-	100
1959	1138	1138	-	1138	-	100
1960	1000	1000	-	1000	-	100
1961	1244	1244	-	1244	-	100
1962	1333	1333	-	1333	-	100
1963	781	781	-	781	-	100
1964	883	883	-	883	-	100
1965	1073	1073	-	1073	-	100
1966	1542	1542	-	1542	-	100
1967	2116	2116	-	2116	-	100
1968	4174	4174	-	4174	-	100
1969	4260	4260	-	4260	-	100
1970	3331	3331	-	3331	-	100
1971	1824	1824	-	1824	-	100
1972	1577	1577	-	1577	-	100
1973	1757	1757	-	1757	-	100
1974	1789	1789	-	1789	-	100
1975	925	925	-	925	-	100
1976	521	521	-	521	-	100
1977	889	889	-	889	-	100
1978	1655	1655	-	1655	-	100

1979	1069	1069	-	1069	-	100
1980	1105	1105	-	1105	-	100
1981	1587	1587	-	1587	-	100
1982	1541	1541	-	1541	-	100
1983	1726	1726	-	1726	-	100
1984	1284	1284	-	1284	-	100
1985	783	783	-	783	-	100
1986	1098	1098	-	1098	-	100
1987	2616	2615	-	2615	1	99.96
1988	1171	1170	-	1170	1	99.91
1989	1868	1868	-	1866	2	99.89
1990	2396	2396	-	2394	2	99.92
1991	1674	1674	-	1673	1	99.94
1992	2195	2195	-	2194	1	99.95
1993	1759	1759	-	1759	-	100
1994	2524	2524	-	2524	-	100
1995	1464	1464	-	1464	-	100
1996	700	700	-	699	-	99.86
1997	2093	2093	-	2093	-	100
1998	1127	1126	-	1124	1	99.73
1999	749	746	-	744	3	99.33
2000	1719	1716	1	1717	2	99.88
2001	1528	1520	2	1522	6	99.61
2002	1507	1497	1	1498	9	99.40
2003	1090	1072	-	1072	18	98.35
2004	1159	1151	-	1151	24	99.31
2005	1734	1668	5	1673	61	96.48
2006	1074	1026	3	1029	45	95.81
2007	1276	1196	2	1198	78	93.89
2008	1111	992	2	994	117	89.47
2009	1311	1078	-	1078	233	82.23
2010	1573	1110	4	1114	459	70.82
2011	1829	870	12	882	947	48.22
2012	1429	224	5	229	1200	16.03
	88441	**85215**	**37**	**85241**	**3211**	**96.38**

राज्य सभा

वर्ष	कुल रिकार्ड किए गए आश्वासन	आश्वासनों की संख्या		कुल	शेष	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	विलोप			
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5(3+4)**	**6(2-5)**	**7.**
1956	373	373	-	373	-	100
1957	238	238	-	238	-	100
1958	287	287	-	287	-	100
1959	235	235	-	235	-	100
1960	233	233	-	233	-	100
1961	257	257	-	257	-	100
1962	479	479	-	479	-	100
1963	218	218	-	218	-	100
1964	349	349	-	349	-	100

1965	1342	1342	-	1342	-	100
1966	436	436	-	436	-	100
1967	495	495	-	495	-	100
1968	827	827	-	827	-	100
1969	1104	1104	-	1104	-	100
1970	591	591	-	591	-	100
1971	447	447	-	447	-	100
1972	832	832	-	832	-	100
1973	1009	1009	-	1009	-	100
1974	724	724	-	724	-	100
1975	384	384	-	384	-	100
1976	781	781	-	781	-	100
1977	1117	1117	-	1117	-	100
1978	1655	1655	-	1655	-	100
1979	748	748	-	748	-	100
1980	1391	1391	-	1391	-	100
1981	1688	1688	-	1688	-	100
1982	1466	1466	-	1466	-	100
1983	1472	1472	-	1472	-	100
1984	1082	1082	-	1082	-	100
1985	1315	1315	-	1315	-	100
1986	1295	1295	-	1295	-	100
1987	1810	1809	-	1809	1	99.94
1988	1705	1705	-	1705	-	100
1989	1420	1420	-	1420	-	100
1990	1642	1642	-	1642	-	100
1991	1678	1678	-	1678	-	100
1992	2052	2052	-	2052	-	100
1993	1544	1544	-	1544	-	100
1994	1261	1260	-	1260	1	99.92
1995	740	740	-	740	-	100
1996	672	672	-	672	-	100
1997	906	904	-	904	2	99.78
1998	232	230	-	230	2	99.14
1999	261	258	-	258	3	98.85
2000	706	703	-	703	3	99.58
2001	382	378	-	378	4	98.95
2002	677	661	-	661	16	97.64
2003	843	811	-	811	32	96.20
2004	544	521	-	521	23	95.77
2005	1152	1081	-	1081	71	93.85
2006	860	839	-	839	21	97.56
2007	807	806	1	807	-	100
2008	622	589	-	589	33	94.69
2009	679	623	1	624	55	91.90
2010	1070	793	3	796	274	74.39
2011	995	552	6	558	437	56.08
2012	1087	167	11	178	909	16.38
	51217	**49308**	**22**	**49330**	**1887**	**96.32**

लम्बित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई

6.6 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में दिए गए सभी आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से जोरदार पैरवी करता रहा है। आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उदेश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों से आश्वासनों की आवधिक पुनरीक्षा की गई।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

6.7 सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 15वीं लोक सभा ने सदन में 15वां, 16वां, 17वां एवं 18वां प्रतिवेदन दिनांक 30 अगस्त, 2011 को और 19वां, 20वां एवं 21वां प्रतिवेदन दिनांक 16 मई, 2012 को तथा 22वां, 23वां, 24वां एवं 25वां प्रतिवेदन दिनांक 4 सितम्बर, 2012 को प्रस्तुत किया। इन प्रतिवेदनों पर कार्रवाई की गई और जहां कहीं आवश्यक हुआ समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई की गई। इसी तरह सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा का 66वां प्रतिवेदन दिनांक 19 दिसंबर, 2012 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन पर जहां कहीं आवश्यक हुआ समिति की सिफ़ारिशों पर कार्रवाई की गई।

अध्याय-7

लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले और राज्य सभा में नियम 180ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख

एक झलक

- 31.12.2011 को लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाए गए 885 मामले और राज्य सभा में किए गए 325 विशेष उल्लेख उत्तर के लिए लंबित थे।
- दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 891 मामले उठाए गए और राज्य सभा में 383 विशेष उललेख किए गए।
- नियम 377 के अधीन उठाए गए कुल 1776 मामलों में से 753 मामलों के उत्तर दिये जा चुके हैं और 1023 मामले लंबित रह गए हैं।
- कुल 708 विशेष उल्लेखों में से 359 विशेष उल्लेखों के उत्तर दिये जा चुके हैं और 349 विशेष उल्लेखों के मामले लंबित रह गए हैं।

नियम 377 (लोक सभा) के अधीन उठाए गए मामले

7.1 लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अन्तर्गत सदस्यों को ऐसे मामले उठाने की अनुमति होती है जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है अथवा जिन्हें किसी और नियम के अन्तर्गत उस सत्र में नहीं उठाया गया हो। सदस्यों को इस नियम के अन्तर्गत मामला उठाने की सूचना एक निर्धारित प्रपत्र में भेजनी अपेक्षित होती है जिसके साथ प्रस्तावित वक्तव्य जो कि 150 शब्दों से अधिक नहीं हो, भी संलग्न करना होता है। मामला केवल अध्यक्ष की अनुमति से ही उठाया जा सकता है। इस नियम के अन्तर्गत एक सप्ताह में कोई सदस्य केवल एक ही मामला उठा सकता है। दलों के नेताओं के साथ माननीय अध्यक्ष, लोक सभा की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रतिदिन अधिकतम 20 मामलें उठाने की अनुमति होती है।

नियम 180 ए-ई (राज्य सभा) के अधीन विशेष उल्लेख

7.2 राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए से 180ई के अन्तर्गत, स्वीकार्यता की शर्तों के अधीन रहते हुए, सदस्यों को राज्य सभा में लोक महत्व के मामलों पर विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी जाती है। इस नियम के अंतर्गत कोई मामला उठाने के लिए सदस्यों को महासचिव को निर्धारित प्रप्रत्र में सूचना देनी होती है

जिसके साथ मामले का पाठ संलग्न किया जाता है जो 250 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दे, कोई सदस्य एक सप्ताह के दौरान केवल एक मामला उठा सकता है और एक दिन के लिए स्वीकृत किए जाने वाले विशेष उल्लेखों की कुल संख्या सामान्यत: सात से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई सदस्य किसी खास विषेश उल्लेख के साथ अपने आपको सहयोजित करना चाहता है तो वह अध्यक्ष की अनुमति से ऐसा कर सकता है।

अनुवर्ती कार्रवाई

7.3 दोनों सदनों में प्रतिदिन उठाए गए इन मामलों का संगत उद्धरण जिस दिन मामला उठाया जाता है उसके अगले दिन संसदीय सचिवालयों द्वारा संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई विषय छूटे नहीं, संसदीय कार्य मंत्रालय भी दोनों सदनों में उठाए गए मामलों का सार शामिल करते हुए एक साप्ताहिक विवरण संबंधित मंत्रालयों को भेजता है ताकि वे उनके द्वारा दो सचिवालयों से प्राप्त हुए विवरण से इसका मिलान कर सकें। मंत्रालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि जिस दिन सदन में मामला उठाया गया है उसके एक महीने के भीतर उठाए गए प्रत्येक मामले पर पूरी कार्रवाई करके वांछित उत्तर संबंधित सदस्य को भेज दें और इस संबंध में संबंधित संसदीय सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को सूचित कर दे।

7.4 वर्ष 2011 की समाप्ति पर लोक सभा में 885 मामले तथा राज्य सभा में 325 विशेष उल्लेख लंबित थे। दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान लोक सभा में 891 मामले और राज्य सभा में 383 मामले उठाये गए, जिससे कि लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामलों की कुल संख्या 1776 तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेखों की कुल संख्या 708 हो गई। इस मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31.12.2012 तक लोक सभा में 753 मामलों के उत्तर संबंधित सदस्यों को भेज दिए गए और 1023 मामले लंबित रह गए। इसी प्रकार जहां तक राज्य सभा के मामलों के बारे में स्थिति का संबंध है, 31.12.2012 तक 359 विशेष उल्लेखों के उत्तर संबंधित सदस्यों को भेज दिए गए हैं और 349 मामले लंबित रह गए। संसद के दोनों सदनों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए मंत्री महोदय के स्तर पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अर्ध शासकीय पत्र भी भेजे गए।

प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई

7.5 (i) प्रश्न काल के पश्चात अर्थात तथाकथित शून्य काल के दौरान दोनों सदनों के सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाते हैं।

कभी-कभी सदस्य बिना पूर्व अनुमति के भी मामले उठाते हैं। जब तक पीठासीन अधिकारी निर्देश न दें, मंत्रियों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि इन मामलों के उत्तर उसी समय दें जब ये मामले सदन में उठाए जाते हैं अथवा बाद मे औपचारिक पत्र-व्यवहार द्वारा उत्तर भेजें, तथापि कभी-कभी मंत्रीगण सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों पर सदन में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।

(ii) संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी अक्सर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करते हैं और सदन को आश्वासन देते हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मामलों को आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित मंत्री के ध्यान में लाया जाएगा। पीठासीन अधिकारी भी कभी-कभी शून्य काल के दौरान दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों पर निर्देश देते हैं अथवा टिप्पणियां करते हैं। तब संसदीय कार्य मंत्रालय सदन की कार्यवाही का उद्धरण संबंधित मंत्री (मंत्रियों) को संसदीय कार्य मंत्री अथवा संसदीय कार्य राज्य मंत्री के हस्ताक्षर से यथासम्भव उसी दिन उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजता है।

(iii) मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.9.2000 को लिए गए निर्णय के फलस्वरूप, यह मंत्रालय संसद के शीतकालीन सत्र 2000 से शून्य काल के दौरान उठाए गए ऐसे सभी मामलों के संबंध में भी सदनों की कार्यवाही के उद्धरण संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ एवं उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेज रहा है जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देश/संसदीय कार्य मंत्रियों द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिए गए।

7.6 दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान, दोनों सदनों में शून्य काल के दौरान उठाये गए 960 मामले (लोक सभा: 809 और राज्य सभा: 151) संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेजे गए। जिनमें से 38 मामले (लोक सभा: 18, राज्य सभा: 20) मंत्री स्तर से भेजे गए।

अध्याय-8

परामर्शदात्री समितियां

एक झलक

- विभिन्न मंत्रालयों के लिए 35 परामर्शदात्री समितियाँ कार्य कर रही हैं।
- दिनांक 1.1.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि के दौरान परामर्शदात्री समितियों की 97 बैठकें आयोजित हुई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

8.1 वर्तमान संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का उनकी मुख्य रूप-रेखा पर उद्‌गम वर्ष 1954 में प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू द्‌वारा मंत्रिमण्डल के सदस्यों को परिचालित एक टिप्पण में दिए गए सुझावों में है। श्री नेहरू यह चाहते थे कि संसद की किसी प्रकार की स्थायी सलाहकार परामर्शदात्री समितियां हों जो सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झांकी प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर सकें जिससे सदस्यों द्‌वारा संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या भी कम हो सकती है। तदनुसार वर्ष 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियां गठित की गई।

8.2 वर्ष 1969 में, संसद में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श हुआ और इन समितियों के गठन और कार्यचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए। उस समय यह भी निर्णय लिया गया कि इन समितियों में विचार विमर्श की अनौपचारिक प्रकृति को देखते हुए ये समितियां "परामर्शदात्री समितियों" के नाम से जानी जाएंगी। तत्पश्चात कई निर्णय लिए गए थे तथा कुछ परम्पराएं विकसित हो चुकी थी और इन दिशा-निर्देशों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता थी। दिनांक 21.7.2005 को रक्षा मंत्री तथा सदन के नेता (लोक सभा) की अध्यक्षता में हुई संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों/उप नेताओं की बैठक में इन निर्णयों तथा परम्पराओं को शामिल करके संशोधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। जिन्हें दिनांक 2.9.2005 को मंत्रिमण्डल द्‌वारा अनुमोदित भी किया गया। तब से ये समितियां इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही हैं। (**परिशिष्ट-7**)

8.3 दिशा-निर्देशों के अनुसार इन समितियों की मुख्य विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं:-

i) इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है जिसे सदस्य और उसके दल के नेता की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है।

ii) इन समितियों का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन के ढंग पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श करना है।

iii) इन समितियों की अध्यक्षता अपने-अपने मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री द्वारा की जाती है जिससे समिति सम्बद्ध होती है।

iv) किसी समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 30 होती है। समिति का गठन सामान्यत: तब किया जाता है जब 10 अथवा उससे अधिक सदस्यगण समिति पर नामांकित होना चाहते हों।

v) सदस्यों को एक परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है, यदि उसे किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि है। एक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 सदस्यों को स्थायी विशेष आंमत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है। तथापि, स्थायी विशेष आमंत्रित व्यक्ति परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होते हैं।

vi) सामान्यतया एक वर्ष के दौरान इन समितियों की 6 बैठकें आयोजित की जानी चाहिएं - तीन बैठकें सत्रावधि के दौरान और तीन बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान। एक वर्ष में परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकों में से, 4 बैठकें - 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी अनिवार्य होगी।

vii) कार्यसूची मदें या तो सदस्यों से मंगाई जाती हैं अथवा मंत्रालयों द्वारा समिति के सदस्यों के परामर्श से स्वयं निर्धारित की जाती हैं।

viii) जो सदस्य किसी समिति के सदस्य नहीं है, यदि उन्होंने बैठक में विचार हेतु कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए किसी विषय की सूचना दी है और वह मद कार्यसूची में सम्मिलित हो गई है अथवा उन्होंने ऐसी समिति की किसी बैठक की चर्चा में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की हो, तो संसदीय कार्य मंत्री के

अनुमोदन से उन्हें समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

ix) इन समितियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। तथापि, समिति द्वारा किसी विषय पर सर्वसम्मति से व्यक्त किए गए मत को, दिशा-निर्देशों में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए आमतौर पर सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

x) मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण मंत्रियों की सहायतार्थ और किसी भी अपेक्षित स्पष्टीकरण को देने हेतु बैठकों में उपस्थित रहते हैं।

xi) बैठकों में चर्चा की अनौपचारिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देश सदस्यों को और सरकार को बाध्य करते हैं कि इन समितियों की बैठकों में हुई किसी भी चर्चा का उल्लेख किसी भी सदन में नहीं किया जाए।

xii) परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

8.4 लोक सभा के लिए आम चुनावों के पश्चात, सामान्यत: नई लोक सभा के गठन के पश्चात परामर्शदात्री समितियां गठित की जाती हैं। पंद्रहवीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए कुल 35 परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं **(परिशिष्ट-8)**।

8.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का ब्यौरा और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय **परिशिष्ट-9** में दिए गए हैं।

8.6 परामर्शदात्री समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं संबंधी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलेंडर वर्ष में, अंत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों की बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित की गई:-

क्र.सं.	**मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति का नाम**	**बैठक की तारीख और स्थान**
1.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	21-23.01.2012 को कोचिन, केरल
2.	पर्यटन मंत्रालय	08.07.2012 को तिरूपति, आंध्र प्रदेश
3.	कोयला मंत्रालय	13-14.07.2012 को नागपुर, महाराष्ट्र
4.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	13.07.2012 को इंदौर, मध्य प्रदेश

5.	नागर विमानन मंत्रालय	17.07.2012 को बंगलूरू, कर्नाटक
6.	विद्युत मंत्रालय	30.07.2012 को तिरूपति, आंध्र प्रदेश
7.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	05.10.2012 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर

अध्याय-9

सरकार द्वारा प्रायोजित संसदविदों के शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान

एक झलक

- संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल का दक्षिण अफ्रीका का दौरा।
- संसदीय कार्य मंत्री ने विदेश भेजे गए विभिन्न सरकारी शिष्टमंडलों के लिए 61 संसद सदस्यों को नामांकित किया।

9.1 निरन्तर और तेजी से परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारी राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और समस्याओं को सही और स्पष्ट रूप से विभिन्न देशों में प्रसारित व प्रचारित करने और उनके दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी। किसी भी देश के संसदविद उस देश की नीति के निर्धारण और अन्य देशों से संबंधों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विशेषकर, भारत जैसे प्रगतिशील प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लिए निसंदेह यह अति आवश्यक और: उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों व गण्यमान्य व्यक्तियों का चयन करें और इनका इस कार्य के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग करें कि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों और अन्य विचार बनाने वालों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, कार्यक्रमों, समस्याओं और उपलब्धियों को स्पष्ट करके उनको भारत के पक्ष में कर सकें। निसंदेह, पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है। अत: संसद सदस्यों के तीन से चार शिष्टमंडल संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में, जिसमें संसद के दोनों सदनों में मुख्य सचेतक तथा संबंधित राजनैतिक दलों द्वारा चुने गए विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य विदेशों का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय भी अन्य देशों से ऐसे ही शिष्टमंडलों का स्वागत करता है।

9.2 विदेश मंत्रालय तथा संबंधित भारतीय मिशनों के परामर्श से और प्रधानमंत्री के अनुमोदन से संसदविदों के एक सद्भावना शिष्टमंडल ने 9 अक्तूबर, 2012 से 16 अक्तूबर, 2012 तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया।

9-16 अक्तूबर, 2012 के दौरान दक्षिण अफ्रीका का दौरा

गठन

9.3 संसदीय कार्य तथा जल संसाधन मंत्री द्वारा संसदविदों के सद्भावना शिष्टमंडल का नेतृत्व किया गया था। शिष्टमंडल के सदस्य निम्न प्रकार थे:-

1. श्री पवन कुमार बंसल, संसदीय कार्य तथा जल संसाधन मंत्री
   - **शिष्टमंडल के नेता संसद सदस्य**

संसद सदस्य

2. श्री सुदर्शन नाच्चीयप्पन, संसद सदस्य (राज्य सभा), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
3. श्रीमती माया सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा), भारतीय जनता पार्टी
4. श्री तिरूची सिवा, संसद सदस्य (राज्य सभा), डी.एम.के.
5. श्री बासुदेव आचार्य, संसद सदस्य (लोक सभा), नेता, सी.पी.आई.(एम)
6. श्री बिरेंद्र प्रसाद बैश्य, संसद सदस्य (राज्य सभा), ए.जी.पी.
7. श्री घनश्याम अनुरागी, संसद सदस्य (लोक सभा), समाजवादी पार्टी

9.4 संसदीय कार्य मंत्रालय से निम्नलिखित अधिकारी भी शिष्टमंडल के साथ गए:-

1. श्री देश दीपक वर्मा, सचिव, संसदीय कार्य मंत्री
2. श्री नरसिंह देव, माननीय संसदीय कार्य तथा जल संसाधना मंत्री के विशेष कार्याधिकारी
3. श्री जगदीश कुमार, अवर सचिव (प्रोटोकॉल और कल्याण), संसदीय कार्य मंत्रालय

9.5 भारतीय शिष्टमंडल ने दिनांक 11.10.2012 को दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय एसेंबली का दौरा किया। राष्ट्रीय एसेंबली की उपाध्यक्ष सुश्री एन.सी. मेफक्टो, संसद सदस्य तथा प्रांतों की राष्ट्रीय परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री एम.जे. महालंगू, संसद सदस्य ने प्रांतों की राष्ट्रीय परिषद के प्रवेश द्वार पर शिष्टमंडल का स्वागत किया। महामहिम श्री गलेमा मोटानेथ, टी.बी.सी. (केपटाऊन) के उपाध्यक्ष के साथ कमरा नं. वी8, पुराना एसेंबली बिल्डिंग में मुलाकात के दौरान माननीय अध्यक्ष ने दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा सभी क्षेत्रों में प्राप्त उँचाईयों की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के बीच एतिहासिक संबंधों तथा दक्षिण अफ्रीका और भारतीय लोगों के बीच समानताओं को प्रतिबिम्बित किया। उन्होंने निवेश और व्यापार के लिए एक गंतव्य के रूप में भारत की आर्थिक क्षमता तथा पर्यटन के माध्यम से लोगों से लोगों का संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता का विस्तार पूर्वक

निरूपण किया। माननीय उपाध्यक्ष ने विशेषकर संसदीय मामलों में दोनों देशों के रिश्तों के बारे में बात की। माननीय संसदीय कार्य तथा जल संसाधन मंत्री (शिष्टमंडल के अध्यक्ष) ने प्रभावशाली ढंग से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और सामरिक प्रौद्योगिक साझेदारी से उत्पन्न होने वाले लाभों के बारे में बात की। उन्होंने सभी क्षेत्रों में भारत के लिए दक्षिण अफ्रीका के महत्व पर बल दिया। भारत की विस्तृत समृद्ध लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं पर बोलते हुए, उन्होंने यह भी बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, जो भारत में लोकप्रिय प्रचलन में है, कोई भी नागरिक सरकारी नीतियों और कार्यकलाप के बारे में सूचना मांग सकता है।

9.6 शिष्टमंडल ने दिनांक 12.10.2012 को रोब्बन आईलैंड का दौरा किया जिसे अंग्रेजों द्वारा राजनीतिक कारागार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। श्री नेलसन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी कैद के 27 वर्षों में से 18 वर्ष रोब्बन आईलैंड में बिताए थे। शिष्टमंडल ने उस कोठरी का भी दौरा किया जहां श्री मंडेला को रोब्बन आईलैंड में उनके कारावास के दौरान रखा गया था। इस द्वीप की यात्रा बहुत प्रेरणादायक थी तथा शिष्टमंडल दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संघर्ष और रंगभेद विरोधी आंदोलन के बारे में बहुत कुछ जान सका।

9.7 शिष्टमंडल ने पिटरमरिटजबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में पिटरमरिटजबर्ग रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया था। यह शहर के दक्षिण पश्चिम किनारे में रेलवे और पाइन स्ट्रीट पर स्थित है। इस स्टेशन पर शोशोलोजा मेले द्वारा संचालित लंबी-दूरी की यात्री रेल सेवाएं ठहरती हैं। ऐतिहासिक रूप से, यह स्टेशन ऐसे स्थान के रूप में प्रसिद्ध है जहां 1893 में प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के लिए महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था। शिष्टमंडल ने बाद में दिनांक 13.10.2012 को पी.एम.बी. रेलवे स्टेशन पर गांधी स्मृति पट्टिका का दौरा किया तथा गांधी जी की याद में श्रद्धांजति अर्पित की। माननीय मंत्री ने लंच पर दिनांक 13.10.2012 को डरबन में भारत के काउंसेल जनरल के निवास पर भारतीय मूल के विशिष्ट सदस्यों के साथ भी मुलाकात की।

9.8 माननीय मंत्री ने दिनांक 15.10.2012 को जोहांसबर्ग में भारत व्यापार फोरम द्वारा आयोजित बैठक (लंच के साथ) के दौरान दक्षिण अफ्रीका के विशिष्ट कारोबारियों के साथ भी मुलाकात की तथा द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मामले पर चर्चा की। माननीय मंत्री ने दिनांक 15.10.2012 को शाम में जोहांसबर्ग में भारत के उच्चायुक्त के निवास पर भारतीय मूल के विशिष्ट सदस्यों के साथ भी मुलाकात की।

9.9 यह दौरा बहुत सफल था तथा शिष्टमंडल का अच्छा स्वागत किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने मेजबान देश पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डाला। एक बेहतर दुनिया के लिए एक साथ काम करने के लिए विचारों और धारणाओं तथा प्रतिबद्धता का स्वतंत्र और उपयोगी आदान-प्रदान किया गया।

विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन

9.10 संसदीय कार्य मंत्री विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विदेश भेजे जाने वाले शिष्टमंडलों के लिए संसद सदस्यों के नामों का नामांकन/अनुमोदन करते हैं। वर्ष 2012 के दौरान, निम्नलिखित संसद सदस्यों को उनके नामों के समक्ष दर्शाए शिष्टमंडल में नामांकित किया गया:-

1.	श्री प्रताप सिंह बाजवा, संसद सदस्य (लोक सभा)	दिनांक 13-15 फरवरी, 2012 तक श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य और उद्योग तथा वस्त्र मंत्री (सी.आई.टी.एम.), द्वारा नेतृत्व किए गए शिष्टमंडल के एक सदस्य के रूप में पाकिस्तान का दौरा
2.	1. डॉ. अरविंद कुमार शर्मा, संसद सदस्य (लोक सभा) 2. श्री एस.डी. मांडलिक, संसद सदस्य (लोक सभा) 3. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, संसद सदस्य (लोक सभा)	दिनांक 19-21 मार्च, 2012 को बैंकाक, थाईलैंड में राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए सांसदों के क्षेत्रीय परामर्श में भाग लेने के लिए
3.	1. श्रीमती सुषमा स्वराज, संसद सदस्य (लोक सभा) 2. श्री एम. कृष्णस्वामी, संसद सदस्य (लोक सभा) 3. श्री एन.एस.वी. चित्तन, संसद सदस्य (लोक सभा) 4. श्री मनीका टैगोर, संसद सदस्य (लोक सभा) 5. डॉ. ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन, संसद सदस्य (राज्य सभा)	श्रीमती सुषमा स्वराज, लोक सभा में विपक्ष की नेता के नेतृत्व में 16 अप्रैल, 2012 से 21 अप्रैल, 2012 तक एक संयुक्त दलीय शिष्टमंडल का श्रीलंका का दौरा

	6. श्री ज.डी. सेलम, संसद सदस्य (राज्य सभा) 7. श्री टी.के. रंगराजन, संसद सदस्य (राज्य सभा) 8. डॉ. सुचारू रंजन हल्दर, संसद सदस्य (लोक सभा) 9. श्री बलबीर पुंज, संसद सदस्य (राज्य सभा) 10. श्री प्रल्हाद वेंकटेश जोशी, संसद सदस्य (लोक सभा) 11. श्री शिवानंद तिवारी, संसद सदस्य (राज्य सभा) 12. श्री शैलेंद्र कुमार, संसद सदस्य (लोक सभा) 13. श्री टी.के.एस. इलेंगोवन, संसद सदस्य (लोक सभा) 14. श्री सिद्धांत महापात्र, संसद सदस्य (लोक सभा) 15. श्री ए.डब्ल्यू, रबी बेरनार्ड, संसद सदस्य (राज्य सभा) (माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के परामर्श से शिष्टमंडल के लिए उपरोक्त संसद सदसयों का नामांकन किया)। ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी ने शिष्टमंडल से श्री ए.डब्ल्यू, रबी बेरनार्ड, संसद सदस्य (राज्य सभा) का नाम वापिस ले लिया।	
4.	1. श्री पूनम प्रभाकर, संसद सदस्य (लोक सभा) लोक सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित नामांकन माननीय संसदीय	24 से 30 मई, 2012 तक सामोया में 23वां वार्षिक राष्ट्रमंडल संसदीय सेमीनार

	कार्य मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया।	
5.	1. डॉ. भोला सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा) 2. श्री चोंगसेन एम. चांग, संसद सदस्य (लोक सभा) 3. श्री मोहम्मद अदीब, संसद सदस्य (राज्य सभा)	श्री सलमान खुर्शीद, अल्पसंख्यक कार्य, विधि और न्याय मंत्री के नेतृत्व में काजी नजरूल इस्लाम द्वारा 'बिद्रोही' के प्रकाशन की 90वीं वर्षगांठ के संयुक्त समारोह पर भारत के प्रतिनिधित्व के लिए 24-26 मई, 2012 तक शिष्टमंडल का ढ़ाका का दौरा।
6.	1. श्री हमदुल्लाह सईद, संसद सदस्य (लोक सभा) 2. श्री प्रदीप माझी, संसद सदस्य (लोक सभा) 3. श्रीमती सरोज पांडे, संसद सदस्य (लोक सभा) 4. श्री निशिकांत दूबे, संसद सदस्य (लोक सभा) 5. श्री देवजी मानसिंहराम पटेल, संसद सदस्य (लोक सभा) 6. सुश्री भावना गवली पाटील, संसद सदस्य (लोक सभा) 7. सुश्री सतावदी रॉय, संसद सदस्य (लोक सभा)	10-17 जून, 2012, संसदविदों का स्वीडन का दौरा।
7.	1. डॉ. निर्मल खतरी, संसद सदस्य (लोक सभा), भा.रा.कां. 2. श्री राजेंद्र अग्रवाल, संसद सदस्य (लोक सभा), भा.ज.पा. 3. श्री शिवानंद तिवारी, संसद सदस्य (लोक सभा), ज.द.(यू.) 4. श्री प्रदीप टम्टा, संसद सदस्य (लोक सभा), भा.रा.कां. 5. श्री दिनेश चंद्र यादव, संसद सदस्य (लोक सभा), ज.द.(यू.) 6. श्री निनोंग ईरींग, संसद सदस्य	विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए 22-24, सितंबर, 2012 तक जोहांसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के लिए संसदीय राजभाषा समिति का दौरा।

	(लोक सभा), भा.रा.कां. 7. श्री अशोक अर्गल, संसद सदस्य (लोक सभा), भा.ज.पा. 8. श्री गजानन धर्मश्री बाबर, संसद सदस्य (लोक सभा), शिव सेना 9. श्री महाबल मिश्र, संसद सदस्य (लोक सभा), भा.रा.कां. 10. श्री दारा सिंह चौहान, संसद सदस्य (लोक सभा), ब.स.पा. 11. श्री रघुनंदन शर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा), भा.ज.पा. 12. डॉ. (प्रो.) प्रसन्न कुमार पाटसानी, संसद सदस्य (लोक सभा), बी.ज.द. 13. सत्यव्रत चतुर्वेदी, संसद सदस्य (राज्य सभा), भा.रा.कां. 14. श्री बृजेश पाठक, संसद सदस्य (लोक सभा), ब.स.पा. 15. श्री किशनभाई वी. पटेल, संसद सदस्य (लोक सभा), भा.रा.कां. 16. श्री रमेश बैस, संसद सदस्य (राज्य सभा), भा.ज.पा. 17. डॉ. वाई.पी. त्रिवेदी, संसद सदस्य (लोक सभा), रा.कां.पा. 18. डॉ. (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी, संसद सदस्य (लोक सभा), भा.रा.कां. 19. श्री धर्मेंद यादव, संसद सदस्य (लोक सभा), स.पा. 20. श्री सुरेश कांशीनाथ तवारे, संसद सदस्य (लोक सभा), भा.रा.कां. 21. प्रो. अल्का बलारम क्षत्रीय, संसद सदस्य (राज्य सभा), भा.रा.कां. 22. श्री हुकुमदेव नारायण यादव,	

	संसद सदस्य (लोक सभा), भा.ज.पा. 23. प्रो. रामगोपाल यादव, संसद सदस्य (राज्य सभा), स.पा. 24. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा), रा.ज.द. 25. श्री प्रभात झा, संसद सदस्य (राज्य सभा), भा.ज.पा. 26. श्री जे.एम. आरून रशीद, संसद सदस्य (लोक सभा), भा.रा.कां. 27. श्री मदन लाल शर्मा, संसद सदस्य (लोक सभा), भा.रा.कां. 28. डॉ. राम प्रकाश, संसद सदस्य (राज्य सभा), भा.रा.कां. 29. श्रीमती झरना दास बैद्य, संसद सदस्य (राज्य सभा), सी.पी.आई.(एम)	
8.	1. श्री मनीष तिवारी, संसद सदस्य (लोक सभा), भा.रा.कां. 2. कुमारी मीनाक्षी नटराजन, संसद सदस्य (लोक सभा), भा.रा.कां.	27-28 अक्तूबर, 2012 तक मारीशस में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस (पी.बी.डी.) सम्मेलन के विभिन्न पूर्ण सत्रों में वक्ताओं के रूप में भाग लिया।

विदेशों से आए संसदीय शिष्टमंडल के साथ बैठक

9.11 1.1.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान, विदेशों से निम्नलिखित संसदीय शिष्टमंडलों ने संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री से मुलाकात की तथा संसद के कार्यचालन और आपसी हित के अन्य मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया:-

1.	1 मार्च, 2012	महामहिम श्री लोरेंट मोसर, चेंबर ऑफ ड्पयूटी सी.एस.वी. **लक्संबर्ग** से 10 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल
2.	5 मार्च, 2012	महामहिम राजसुर पुराग, जी.सी.एस.के.जी.ओ.एस.के., राष्ट्रीय एसेंबली के अध्यक्ष के नेतृत्व में **मारीशस** से 7 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल
3.	16 मार्च, 2012	श्री टिमोथी हेमल स्मिथ, सेनेट के अध्यक्ष के नेतृत्व में

		त्रिनिदाद और टोबागो से 7 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल
4.	9 मई, 2012	महामहिम डॉ. अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल-शेख, मजलिस अश शुरा के अध्यक्ष के नेतृत्व में **साउदी अरब** से 9 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल
5.	10 जुलाई, 2012	महामहिम श्री एम.वी. सिसुलु, अध्यक्ष के नेतृत्व में **दक्षिण अफ्रीका** से 18 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल
6.	9 अगस्त, 2012	महामहिम नामगे पेजोर, अध्यक्ष के नेतृत्व में **भूटान** से 10 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल
7.	23 अगस्त, 2012	माननीय सर एलन हेसलहर्ट, सांसद ओर अध्यक्ष, सी.पी.ए. के नेतृत्व में **युनाइटिड किंगडम** से 11 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल
8.	20 सितंबर, 2012	महामहिम श्री ली वयुवे, उपाध्यक्ष, चीनी पीपुल्स राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति (सी.पी.पी.सी.सी.) चीनी ओमिंगतांग की क्रांतिकारी समिति के कार्यकारी उपाध्यक्ष के नेतृत्व में **चीन** से 10 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल
9.	20 नवंबर, 2012	महामहिम सुश्री आसता आर. जाननिसडोट्टर, अलथिंगी की प्रेजीडेंट (अध्यक्ष), आइसलैंड की संसद के नेतृत्व में **आइसलैंड** से 4 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल
10.	27 नवंबर, 2012	महामहिम डॉ. लासलो कोवर, हंगरी की राष्ट्रीय असेंबली के अध्यक्ष के नेतृत्व में **हंगरी** से 8 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल

संसद सदस्यों के विदेश दौरे

9.12 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 30 संसद सदस्यों (राज्य सभा से 21 सदस्यों और लोक सभा से 9 सदस्यों) ने विदेशों के अपने निजी दौरों/अध्ययन दौरों के बारे में इस मंत्रालय को सूचित किया। इन सदस्यों की मांग पर, विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में हमारे मिशनों के माध्यम से उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की गई।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति

9.13 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन, विदेश जाने वाले संसद सदस्यों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि ऐसे दौरों के संबंध में

जिनमें विदेशी सरकार या संगठन से 'विदेशी आतिथ्य' स्वीकार किया जाता हो, उनके संबंध में गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाए। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा सदस्यों को समय-समय पर सूचित किया जाता है। इस संबंध में सदस्यों द्वारा मांगी गई आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाती है।

विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति

9.14 मंत्रिमंडल सचिवालय के दिशा-निदेशों (का.ज्ञा.सं.21/1/7/94-मंत्रिमंडल दिनांक 30.03.1995) के अनुसार सरकारी विदेश दौरों से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमति लेना/प्राप्त करना अपेक्षित है।

9.15 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, संसदीय कार्य मंत्रालय ने विदेश जाने वाले सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों के संबंध में आंध्रप्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों को अनुमति/अनापत्ति जारी की।

अध्याय - 10

युवा संसद योजना

<u>एक झलक</u>

- विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 10वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 18 जनवरी, 2012 को किया गया।
- केंद्रीय विद्यालयों के लिए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 15 फरवरी, 2012 को किया गया।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, शिक्षा निदेशालय के अधीन विद्यालयों के लिए 46वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 26 अप्रैल, 2012 को किया गया।
- "युवा संसद प्रतियोगिताओं" के लिए निम्नलिखित अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए :-
  1. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय (ज.न.वि.), सूयलबाड़ी, नैनीताल और ज.न.वि., बैंगलोर (ग्रामीण), में क्रमश: 4-5 अप्रैल, 2012 और 17-18 अप्रैल, 2012 के दौरान।
  2. केंद्रीय विद्यालयों के लिए केंद्रीय विद्यालय, लोनावाला, केंद्रीय विद्यालय, पंचमढ़ी, केंद्रीय विद्यालय, मसूरी और केंद्रीय विद्यालय, पुरी में क्रमश: 1-2 मई, 2012, 7-8 मई, 2012, 11-12 मई, 2012 और 4-5 जुलाई, 2012 के दौरान;
  3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, शिक्षा निदेशालय के अधीन विद्यालयों के लिए 25.05.2012 को कोंस्टीट्यूशन क्लब, वी.पी. हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली में;
  4. विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 23-24 जून, 2012 को किट विश्चविद्यालय, भुवनेश्वर, ओड़ीशा में;
- जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 15वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 12 जुलाई, 2012 को किया गया।
- दिल्ली और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, शिक्षा निदेशालय के अधीन विद्यालयों के लिए 47वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2012-13 के 4 सर्वोत्तम विद्यालयों के प्रदर्शन की रिकार्डिंग 15 दिसंबर, 2012 को जी.एम.सी. बालयोगी ऑडिटोरियम, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में की गई।

प्रस्तावना

10.1 युवा वर्ग में प्रजातांत्रिक भावना के विकास के उद्देश्य से युवा संसद प्रतियोगिता की योजना देश में पहली बार इस मंत्रालय द्वारा शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के सहयोग से वर्ष 1966-67 में दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शुरू की गई। इस कार्यकलाप का और अधिक विस्तार करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.)

द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को भी युवा संसद योजना में वर्ष 1995 से शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं की 3 अलग योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक भी युवा संसद योजना का विस्तार किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता से पहले मंत्रालय प्रतिभागी विद्यालयों/विश्वविद्यालयों में इस कार्यकलाप के प्रभारी अध्यापकों के लाभ और मार्गदर्शन के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता है। प्रत्येक प्रतियोगिता की समाप्ति पर, मंत्रालय द्वारा एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाता है और पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों, संस्थाओं और प्रधानाचार्यों/प्रभारी अध्यापकों को ट्राफियां, मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं।

1. 47वीं युवा संसद प्रतियोगिता के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता

10.2 इस मंत्रालय ने प्रतिभागी विद्यालयों में 47वीं युवा संसद प्रतियोगिता के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ 25 मई, 2012 को डिप्टी चेयरमैन हॉल, कांस्टीट्यूशन क्लब, वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली में एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन किया। पृष्ठभूमि संबंधी आवश्यक सामग्री वितरित की गई और संसदीय कार्य मंत्रालय तथा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा व्याख्यात्मक भाषण दिए गए। 33 विद्यालयों के 75 अध्यापकों/प्रधानाचार्यों ने इस अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लिया।

47वीं युवा संसद प्रतियोगिता

10.3 वर्ष के दौरान 33 विद्यालयों के बीच 47वीं युवा संसद प्रतियोगिता के मूल्यांकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग्यता क्रम में सर्वोत्तम 4 विद्यालयों के प्रदर्शन को लोक सभा/राज्य सभा टीवी द्वारा 15 दिसंबर, 2012 को जी.एम.सी. बालयोगी आडिटोरियम, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में रिकार्ड किया गया।

जी.एम.सी. बालयोगी आडिटोरियम, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में दिनांक 15.12.2012 को 47वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2012-13 के लिए दिल्ली इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, रोहिणी, दिल्ली के विद्यार्थियों द्वारा मंच प्रदर्शन।

46वीं युवा संसद प्रतियोतगिता का पुरस्कार वितरण समारोह

10.4 46वीं युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 26 अप्रैल, 2012 को मावलंकर सभागार, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री हरीश रावत, संसदीय कार्य एवं कृषि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। एस.एस.एल.टी., गुजरात उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजनिवास मार्ग, दिल्ली-54, जो प्रतियोगिता में प्रथम आया था, ने अपनी युवा संसद की बैठक को पुन: अभिनीत किया और इस विद्यालय को प्रतियोगिता में प्रथम आने पर "पंडित मोती लाल नेहरू संसदीय चल वैजयन्ती" और एक ट्राफी प्रदान की गई। 46वीं युवा संसद प्रतियोगिता में नए भाग लेने वाले विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने की ट्राफी भी एस.एस.एल.टी., गुजरात उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजनिवास मार्ग, दिल्ली-54 को प्रदान की गई। 46वीं युवा संसद प्रतियोगिता में 8 विद्यालयों को उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, 33 विद्यालयों से 256 विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट अभिनय लिए व्यक्तिगत योग्यता पुरस्कार प्रदान किए गए। 46वीं युवा संसद प्रतियोगिता में सर्वोत्तम शिक्षा जिले के लिए 'उत्तर' जिले को जिला ट्राफी प्रदान की गई।

दिनांक 26.04.2012 को आयोजित 46वीं युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर श्री हरीश रावत, कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री एस.एस.एल.टी., गुजरात उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजनिवास मार्ग, दिल्ली-54 के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ।

2. केन्द्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.5 केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक अलग युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1988 में आरंभ की गई थी। अब तक 24 प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं।

24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोतगिता का पुरस्कार वितरण समारोह

10.6 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 15 फरवरी, 2012 को मावलंकर सभागार, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री हरीश रावत, संसदीय कार्य एवं कृषि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। केन्द्रीय विद्यालय, पनगोड, केरल, जो प्रतियोगिता में प्रथम आया था, ने अपनी युवा संसद की बैठक को पुनः अभिनीत किया और इस विद्यालय को प्रतियोगिता में प्रथम आने पर ''पंडित जवाहर लाल नेहरू संसदीय चल वैजयन्ती'' और एक ट्रॉफी प्रदान की गई। पांच केन्द्रीय विद्यालयों को उनके अपने-अपने अंचलों में योग्य निष्पादन के लिए आंचलिक प्रथम ट्रॉफियां प्रदान की गई और 12 विद्यालयों को क्षेत्रीय स्तर पर उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की

गई। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागी केन्द्रीय विद्यालयों के 739 पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों को भी प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए गए (540 विद्यार्थियों को क्षेत्रीय स्तर और 199 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर उनके योग्य निष्पादन के लिए)।

दिनांक 15.02.2012 को आयोजित 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर श्री हरीश रावत, कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री केन्द्रीय विद्यालय, पनगोड, केरल के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ।

केन्द्रीय विद्यालयों में 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.7 अभिविन्यास पाठ्यक्रम को गहन और प्रयोजनमूलक बनाने के उद्देश्य से, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के परामर्श से मंत्रालय ने निम्न चार अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए:-

(क) पहला अभिविन्यास पाठ्यक्रम 1 और 2 मई, 2012 को केन्द्रीय विद्यालय, लोनावला, पूणे में आयोजित किया गया। पाठ्यक्रम का उदघाटन श्री आर.सी. महान्ति, उप सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 6 क्षेत्रों अर्थात बंगलोर, भुवनेश्वर, जबलपुर, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद से 60 अध्यापकों/प्रधानाचार्यों और केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के 4 सहायक आयुक्तों/उपायुक्तों ने भाग लिया।

(ख) दूसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम 7 और 8 मई, 2012 को केन्द्रीय विद्यालय, पंचमढ़ी, में आयोजित किया गया। पाठ्यक्रम का उदघाटन श्री आर.सी. महान्ति, उप सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 6 क्षेत्रों अर्थात कोलकाता, सिलचर, पटना, लख्ननऊ, गुवाहाटी और भोपाल से 60 अध्यापकों/प्रधानाचार्यों और केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के 3 सहायक आयुक्तों/उपायुक्तों ने भाग लिया।

(ग) तीसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम 11 और 12 मई, 2012 को केन्द्रीय विद्यालय, मसूरी में आयोजित किया गया। पाठ्यक्रम का उदघाटन श्री आर.सी. महान्ति, उप सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 6 क्षेत्रों अर्थात अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली, जम्मू और देहरादून से 60 अध्यापकों/प्रधानाचार्यों और केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के 3 सहायक आयुक्तों/उपायुक्तों ने भाग लिया।

(घ) चौथा अभिविन्यास पाठ्यक्रम 4 और 5 जुलाई, 2012 को केन्द्रीय विद्यालय, पुरी में आयोजित किया गया। पाठ्यक्रम का उदघाटन श्री आर.सी. महान्ति, उप सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 7 क्षेत्रों अर्थात आगरा, एरनाकुलम, रांची, रायपुर, सिरसा, तिनसुकिया और वाराणसी से 77 अध्यापकों/प्रधानाचार्यों और केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के 4 सहायक आयुक्तों/उपायुक्तों ने भाग लिया।

25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.8 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देश के विभिन्न भागों में 125 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई। प्रतियोगिता पहले अपने-अपने क्षेत्रों के प्रतिभागी केंद्रीय विद्यालयों के बीच क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की गई। तत्पश्चात, आंचलिक/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता अपने-अपने क्षेत्रों में प्रथम आए केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई।

3. जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.9 जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1997 में आरंभ की गई थी और अब तक 15 प्रतियोगिताएं पूरी की जा चुकी हैं।

जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 15वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह

10.10 15वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 12 जुलाई, 2012 को जी.एम.सी. बालयोगी आडिटोरियम, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री हरीश रावत, संसदीय कार्य और कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। जवाहर नवोदय विद्यालय, वैशाली, बिहार, जो प्रतियोगिता में प्रथम आया था, ने अपनी युवा संसद की बैठक को पुन: अभिनीत किया और इस विद्यालय को "संसदीय चल वैजयन्ती" प्रदान की गई। आठ विद्यालयों को क्षेत्रीय स्तर पर उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागी विद्यालयों के 503 पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत पुरस्कार भी प्रदान किए गए (384 विद्यार्थियों को क्षेत्रीय स्तर पर और 119 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर उनके योग्य निष्पादन के लिए)।

दिनांक 12.07.2012 को आयोजित 15वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर श्री हरीश रावत, कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री जवाहर नवोदय विद्यालय , वैशाली, बिहार के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ।

जवाहर नवोदय विद्यालयों में 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.11 युवा संसद गतिविधि के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ, इस मंत्रालय द्वारा नवोदय विद्यालय समिति के परामर्श से 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2012-13 के संबंध में दो अभिविन्यास पाठ्यक्रम निम्न प्रकार आयोजित किए गए:-

(1) पहला अभिविन्यास पाठ्यक्रम 4 और 5 अप्रैल, 2012 को जवाहर नवोदय विद्यालय, सूयालबाड़ी, नैनीताल, उत्तराखंड में चंडीगढ़, पुणे, लखनऊ और जयपुर क्षेत्रों के अध्यापकों के लिए आयोजित किया गया।

(2) दूसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम 17 और 18 अप्रैल, 2012 को जवाहर नवोदय विद्यालय, बेंगलोर (ग्रामीण) में हैदराबाद, भोपाल, पटना और शिलांग क्षेत्रों के अध्यापकों के लिए आयोजित किया गया।

जवाहर नवोदय विद्यालयों (ज.न.वि.) के लिए 16वीं युवा संसद प्रतियोगिता

10.12 प्रतियोगिता देश कें विभिन्न भागों में 64 जवाहर नवोदय विद्यालयों में आयोजित की गई। क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता पहले अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिभागी जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई और उसके बाद अपने-अपने क्षेत्रों में प्रथम आए विद्यालयों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई।

4. विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता

10.13 वर्ष 1997-98 से पूरे देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों में अब तक 10 राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं।

पुरस्कार वितरण समारोह

10.14 10वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2010-11 का पुरस्कार वितरण समारोह 18 जनवरी, 2012 को जी.एम.सी. बालयोगी आडिटोरियम, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री राजीव शुक्ल, माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। डी.ए.वी. कॉलेज, जालंधर, जो प्रतियोगिता में प्रथम आया था, ने अपनी युवा संसद की बैठक को पुन: अभिनीत किया और इसे संसदीय चल वैजयन्ती प्रदान की गई। 4 संस्थानों को ग्रुप स्तर पर उत्कृष्ट निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागी संस्थानों के

124 पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत पुरस्कार भी प्रदान किए गए (84 विद्यार्थियों को ग्रुप स्तर पर और 40 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर उनके योग्य निष्पादन के लिए)।

श्री राजीव शुक्ल, माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री डी ए वी कॉलेज, जालंधर, (पंजाब) के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों के साथ।

विश्वविद्यालयों/कालेजों में 11वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.15 23-24 जून, 2012 को युवा संसद गतिविधि के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ 11वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2012-13 के संबंध में के.आई.आई.टी., भुवनेश्वर, ओडिशा में अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता (यु.सं.प्र.)

10.16 मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक वित्तीय सहायता योजना कार्यान्वित की जाती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान वर्ष 2008-09 के लिए केरल को (रू.2,00,000/-) और वर्ष 2010-11 के लिए (रू.4,00,000/-), वर्ष 2011-12 के लिए

हिमाचल प्रदेश को (रू.274042/-), वर्ष 2011-12 के लिए हरियाणा को (रू.300000/-), वर्ष 2011-12 के लिए राजस्थान को (रू.400000/-), वर्ष 2010-11 के लिए मध्य प्रदेश को (रू.238394/-) और वर्ष 2009-10 के लिए ओडीशा को (रू.400000/-) वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद योजना आरंभ करने के लिए प्रशिक्षण

10.17 मंत्रालय युवा संसद प्रतियोगिता योजना को आरंभ करने और कार्यान्वित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और साहित्य भी उपलब्ध कराता है। इस प्रयोजन के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी प्रतियोगिताओं के संबंध में प्रधानाचार्यों, प्रभारी अध्यापकों और आयोजकों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा आयोजित 'अभिविन्यास पाठ्यक्रमों' में, यदि अनुरोध किया जाता है तो इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा ''युवा संसद प्रतियोगिता'' के संचालन के सिद्धांत और प्रक्रिया संबंधी सहायता भी प्रदान की जाती है। हरियाणा राज्य सरकार के अनुरोध पर, हरियाणा राज्य में प्रधानाचार्यों और युवा संसद कार्यकलाप के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ 18 जुलाई, 2012 को एस.सी.ई.आर.टी., गुड़गांव, हरियाणा में आयोजित अभिविन्यास पाठ्यक्रम में मंत्रालय के एक अधिकारी ने व्याख्यान दिए और मंत्रालय ने युवा संसद के संचालन संबंधी साहित्य भी उपलब्ध कराया।

अध्याय - 11

मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

11.1 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

11.2 राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसरण में, मंत्रालय दिनांक 5.1.1978 को केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया था जिसके कर्मचारी वर्ग ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

11.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यह अनिवार्य है कि उसमें विनिर्दिष्ट कुछ मामलों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए। उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत कुछ कार्यों के लिए हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कागजात द्विभाषी रूप में अथवा केवल हिन्दी में ही जारी हों, मंत्रालय के सामान्य अनुभाग (प्रेषण अनुभाग) में एक जांच-बिन्दु स्थापित किया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

11.4 राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें 01 मार्च, 08 जून, 19 सितंबर और 13 दिसंबर, 2012 को आयोजित की गई।

हिन्दी सलाहकार समिति

11.5 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सलाह देने के लिए मंत्रालय में एक हिन्दी सलाहकार समिति गठित है। समिति का पुनर्गठन किया गया है और संबंधित संकल्प 23 जुलाई, 2012 को जारी किया गया है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान इस समिति की एक बैठक 18 दिसंबर, 2012 को आयोजित की गई।

11.6 मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा हिन्दी के प्रयोग संबंधी उपबंधों के कार्यान्वयन पर लगातार निगरानी रखने के लिए मंत्रालय के अनुभागों का निरीक्षण किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान पांच अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

हिन्दी पखवाड़ा

11.7 14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2012 के दौरान मंत्रालय में "हिन्दी पखवाड़ा" मनाया गया। पखवाड़े के उद्घाटन के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने की अपील की गई। पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित सात प्रतियोगिताएं स्थल पर आयोजित की गई:-

1. हिंदी में टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता;
2. हिन्दी टंकण प्रतियोगिता;
3. गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिता;
4. हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता;
5. हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता;
6. अंताक्षरी प्रतियोगिता; और
7. हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता।

11.8 हिन्दी पखवाड़े का समापन समारोह 28 सितम्बर, 2012 को आयोजित किया गया। समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी टिप्पण - आलेखन नकद पुरस्कार योजना (एक वर्ष में टिप्पण और आलेखन में हिंदी के कम से कम 20,000 शब्द लिखने वाले कर्मचारियों के लिए) के पुरस्कार विजेताओं सहित कुल 27 अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

बाएं से दाएं: कु. मृगनयनी पाण्डेय, वरिष्ठ अनुवादक, श्रीमती मनोरमा भारद्वाज, सहायक निदेशक (हिंदी), श्री धीरेन्द्र चौबे, अवर सचिव, श्री आर.सी. महान्ति, उप सचिव, श्री देश दीपक वर्मा, सचिव और श्रीमती आर.सी. ख्वाजा, संयुक्त सचिव

11.9 मंत्री के वैयक्तिक अनुभाग और अनुसंधान प्रकोष्ठ को छोड़कर मंत्रालय के 12 अनुभागों में से छः अनुभाग शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए और अन्य छः अनुभाग 50 प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट हैं। विभिन्न अनुभागों द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1.	सामान्य अनुभाग	100%
2.	कार्यान्वयन-I अनुभाग	100%
3.	कार्यान्वयन-II अनुभाग	100%
4.	हिन्दी अनुभाग	100%
5.	प्रशासन अनुभाग	100%
6.	विधायी-II अनुभाग	100%
7.	युवा संसद अनुभाग	50%
8.	प्रोटोकॉल एवं कल्याण अनुभाग	50%
9.	समिति अनुभाग	50%
10.	विधायी-I अनुभाग	50%
11.	सांसद परिलब्धियां अनुभाग	50%
12.	लेखा और क्रय अनुभाग	50%

हिन्दी कार्यशाला

11.10 मंत्रालय में हिन्दी के कार्य को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिवेदित अवधि के दौरान दो हिंदी कार्यशालाओं का संचालन किया गया। पहली कार्यशाला 06 से 15 फरवरी, 2012 तक और दूसरी कार्यशाला 08 से 17 अक्तूबर, 2012 तक चलाई गई। इन कार्यशालाओं में 23 कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण और आलेखन का प्रशिक्षण दिया गया।

11.12 हिंदी कार्यशालाओं के अतिरिक्त मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए 03 अक्तूबर, 2012 को एक विशेष कार्यशाला भी आयोजित की गई थी, जिसमें मंत्रालय के कर्मचारियों को हिंदी संबंधी विभिन्न नवीनतम साफ्टवेयरों संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए राजभाषा विभाग से अधिकारी आमंत्रित किए गए थे।

अध्याय - 12

सामान्य

एक झलक

- संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित नामांकन किए:-
  - (i) विभिन्न सरकारी निकायों, परिषदों, बोर्डों इत्यादि पर 193 संसद सदस्य (136 लोक सभा और 57 राज्य सभा); और
  - (ii) विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर 4 संसद सदस्य (राज्य सभा)

सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

12.1 भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में गठित विभिन्न समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों इत्यादि पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसद सदस्यों का नामांकन किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 193 संसद सदस्यों (136 लोक सभा और 57 राज्य सभा) को सरकारी निकायों पर नामांकित किया विभिन्न, जैसा कि **परिशिष्ट-10** में दिखाया गया है।

हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

12.2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के अंतर्गत आने वाले सरकारी कार्य और संबद्ध कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी मामलों पर परामर्श देने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों के साथ संसद सदस्यों को सहयोजित किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इन प्रत्येक समितियों में चार संसद सदस्य (2 लोक सभा और 2 राज्य सभा) नामांकित किए जाते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान **परिशिष्ट-11** में दर्शाए गए रूप में 4 संसद सदस्यों (राज्य सभा) को विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर नामित किया गया।

संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

12.3 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित प्रतिवेदनों में निहित सामान्य प्रकृति की सिफारिशों पर कार्रवाई की गई:-

(i) पंद्रहवीं लोक सभा की याचिका समिति का 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 29वां 21वां, 22वां, 23वां और 24वां प्रतिवेदन।

(ii) राज्य सभा की याचिका समिति का 143वां वां और 144वां प्रतिवेदन।

(iii) लोक सभा के सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का 8वां, 9वां और 10वां प्रतिवेदन।

(iii) राज्य सभा के सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का 140वां, 141वां और 142वां प्रतिवेदन।

संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते

12.4 यह मंत्रालय संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है:-

(क) संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम, 1954;

(ख) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953;

(ग) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977; और

(घ) संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998

12.5 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति, जिसमें क्रमश: अध्यक्ष, लोक सभा और सभापति, राज्य सभा द्वारा नामांकित लोक सभा के 10 सदस्य और राज्य सभा के 5 सदस्य शामिल होते हैं, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों पर नियम बनाने के लिए गठित की जाती है। संयुक्त समिति की सिफारिशों पर लोक/राज्य सभा सचिवालयों एवं संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस मंत्रालय में कार्रवाई की जाती है। जहां आवश्यक हो विधि-निर्माण के लिए कार्रवाई की जाती है।

12.6 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम 37) संसद द्वारा पारित किया गया था जिसके द्वारा सांसदों/पूर्व सांसदों के वेतन और पेंशन बढ़ाए गए थे। वेतन और पेंशन 18 मई, 2009 से बढ़ाए गए थे जोकि पंद्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख है। भत्ते 1 अक्तूबर, 2010 से बढ़ाए गए थे।

12.7 सांसदों/पूर्व सांसदों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते, पेंशन और सुविधाएं इत्यादि दर्शाने वाला अद्यतन विवरण क्रमश: **परिशिष्ट-12** और **परिशिष्ट-13** पर दिया गया है।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

12.8 15वीं लोक सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की रिपोर्टों पर मंत्रालय में कार्रवाई की गई। मंत्रालय के अधिकारीगण समिति के समक्ष भी उपस्थित हुए और समिति की प्राय: दोहराई गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में मौखिक साक्ष्य दिया।

संसद सदस्यों का कल्याण

12.9 ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्यों की आवश्यकताओं की देख-रेख करने के उद्देश्य से, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के साथ अस्वस्थ संसद सदस्यों की दिन-प्रतिदिन की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी टेलीफोन संदेश द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस मंत्रालय के अधिकारी सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा सदस्य द्वारा मांगी गई अन्य कोई सहायता प्रदान करने के लिए अस्पताल का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री एवं उच्च अधिकारी भी शिष्टाचार के नाते अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में, जब-जब अपेक्षित हो, जानकारी लेते हैं।

12.10 संसदीय कार्य मंत्रालय अपनी वेबसाइट http://www.mpa.gov.in पर दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बीमार संसद सदस्यों की द्विभाषी जानकारी दैनिक आधार पर उपलब्ध कराता है।

12.11 किसी संसद सदस्य की दिल्ली में मृत्यु होने की दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिवंगत सदस्य के अंतिम संस्कार के लिए सदस्य के पार्थिव शरीर को उसके परिवार की पसंद के स्थान पर ले जाने के लिए शोक संतप्त परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कराता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान श्री बृज भूषण तिवारी, संसद सदस्य (राज्य सभा) (समाजवादी पार्टी) को जिनका दिनांक 25.4.2012 को जगजीवन अस्पताल, नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया था, सहायता प्रदान की गई तथा उसी दिन स्व. श्री बृज भूषण तिवारी के पार्थिव शरीर को चार्टड विमान द्वारा अंतिम संस्कार के लिए लखनऊ भेज दिया गया।

संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रि भोजन की व्यवस्था

12.12 संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद सदस्यों को सत्रावधि के दौरान उनके आवास से संसद भवन लाने और वापिस ले जाने के लिए परिवहन व्यवस्था का समन्वय करता है। मंत्रालय सदन (सदनों) की देर तक चलने वाली बैठकों के दौरान, देर रात्रि में अपने आवास तक जाने के लिए संसद सदस्यों/ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों हेतु विशेष किराए पर दिल्ली परिवहन निगम (डी.टी.सी.) की बसों की व्यवस्था भी करता है।

12.13 यह मंत्रालय सदन (सदनों) की देर रात बैठक (बैठकें) चलने के दौरान संसद भवन में संसद सदस्यों, प्रेस और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए रात्री भोजन/जलपान की व्यवस्था करता है।

फिल्म शो

12.14 संसदीय कार्य मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समन्वय से संसद सदस्यों के लिए विभिन्न भाषाओं की फीचर फिल्मों के प्रदर्शन की व्यवस्था करता है।

महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य

12.15 यह मंत्रालय महत्वपूर्ण सार्वजनिक समारोहों पर, जिनमें संसद सदस्य आमंत्रित किए जाते हैं, अगवानी कार्य करता है। ऐसी ड्यूटी गणतंत्र दिवस परेड, समापन समारोह और निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा पद-ग्रहण समारोह आदि के अवसर पर की जानी अपेक्षित होती है।

संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क

12.16 संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों और प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रुपो के नेताओं और सचेतकों के साथ संपर्क करना भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत इस मंत्रालय को आबंटित प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रोटोकॉल और कल्याण अनुभाग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं में सर्वसम्मति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों के लिए आवश्यक व्यवस्था/समन्वय करता है। इस वर्ष के दौरान, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्न प्रकार से बैठकें बुलाई गई :

क्र.सं.	बैठक की तारीख	जिनके द्वारा बैठक बुलाई गई	विषय	स्थान
1.	23.03.2012	प्रधानमंत्री	लोकपाल विधेयक	7, रेसकोर्स रोड, नई दिल्ली
2.	21.08.2012	प्रधानमंत्री	पदों और सेवाओं में अ.जा. और अ.ज.जा. को पदोन्नति में आरक्षण	7, रेसकोर्स रोड, नई दिल्ली
3.	26.11.2012	संसदीय कार्य मंत्री	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	63, संसद भवन, नई दिल्ली

नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों के संस्थान

12.17 संसदीय प्रणाली का सुचारू कार्यचालन बहुत हद तक विधानमण्डलों में दलीय मशीनरी की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। संसद में दलों तथा ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक दल के महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता होते हैं, जो विधानमंडलों में दलों और ग्रुपों के सुचारू कार्यचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में, संसद में सभी दलों/ग्रुपों के नेताओं/मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों में कार्य के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

वर्ष के दौरान संसद में विभिन्न राजनैतिक दलों/ग्रुपों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ बैठकें

12.18 संसदीय कार्य मंत्री आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक सत्र से पहले संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ बैठक आयोजित करते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान ऐसी तीन बैठकें 07.03.2012, 03.08.2012 और 20.11.2012 को आयोजित हुईं।

केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

12.19 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संसद एककों के कार्यचालन में सुधार करने और संसदीय कार्य के बेहतर निपटान के उद्देश्य से, केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों के संसद एककों में कार्यरत अधिकारियों और स्टाफ के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति पर अभिविन्यास

कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता महसूस हुई। संसदीय कार्य मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुमोदन से, वर्ष 1985 से मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में तीन दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है। आरंभ में, संसद एककों के अधिकारियों/स्टाफ के लिए इन पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता था। तत्पश्चात, संसद एककों में कार्यरत स्टाफ से इतर अधिकारियों को भी शामिल किया गया और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया गया।

12.20 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों के अनुसरण में, मंत्रालय केंद्र और विभिन्न राज्यों में प्रचलित प्रक्रियाओं और पद्धतियों के बारे में जानकारी और सूचना के आदान-प्रदान, जो अंतत: पद्धतियों के बेहतर निष्पादन और मानकीकरण का कारण बन सकता है, के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकारियों के लिए भी संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में पांच दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है।

अनुसंधान कार्य

12.21 अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, जब संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति के मामलों पर सलाह/मार्ग-दर्शन मांगा जाता है, उसे उपलब्ध कराया जाता है। समय-समय पर सरकारी उपयोग के लिए विभिन्न संसदीय और संवैधानिक मामलों पर टिप्पणियां और संक्षिप्त विवरण तैयार किए जाते हैं।

12.22 अनुसंधान प्रकोष्ठ संसदीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक सांख्यिकी पुस्तिका भी तैयार करता है और प्रशासनिक सुधार आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में निहित सभी संगत सिफारिशों पर कार्रवाई करता है।

12.23 अनुसंधान प्रकोष्ठ में संसदीय कार्य मंत्रालय का पुस्तकालय भी है जिसका रखरखाव अनुसंधान प्रकोष्ट के स्टाफ द्वारा किया जाता है। वर्तमान में पुस्तकालय में 1366 पुस्तकें हैं।

12.24 दिनांक 1.1.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए:-

1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2012 तक अनुसंधान प्रकोष्ठ के कार्यकलाप

क्र.सं.	कार्यकलापों का ब्यौरा	उपलब्धि
1.	प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टें	दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की पहली और चौथी रिपोर्ट पर कार्रवाई प्रगति पर है।
2.	संविधान समीक्षा आयोग	संविधान की समीक्षा के लिए आयोग की सिफारिशों पर टिप्पणियां देने के लिए गठित सचिवों की समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई।
3.	साख्यिकी पुस्तिका	सांख्यिकी पुस्तिका 2011 (हिंदी रूपांतर अंग्रेजी रूपांतर) का संकलन और प्रकाशन किया गया और मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।
4.	याचिकाएं जिन पर कार्रवाई की गई:	24 मामलों पर कार्रवाई की गई।

बजट की स्थिति

12.25 संसदीय कार्य मंत्रालय के बजट की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(धनराशि हजार रूपयों में)

मुख्य शीर्ष	विषय-शीर्ष	बजट अनुमान 2012-2013		संशोधित अनुमान 2012-2013		बजट अनुमान 2013-2014		वास्तविक व्यय 2012-2013	
		योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
मुख्य शीर्ष "2052", सचिवालय सामान्य सेवाएं, 00.090 सचिवालय (लघु शीर्ष), 13-संसदीय कार्य मंत्रालय	13.00.01-वेतन	--	5,94,00	--	6,95,00	--	7,50,00	--	6,40,59
	13.00.03-समयोपरि भत्ता	--	4,00	--	3,60	--	4,00	--	3,59
	13.00.06-चिकित्सा उपचार	--	7,00	--	6,30	--	7,00	--	5,95
	13.00.11-देशीय यात्रा व्यय	--	20,00	--	18,00	--	20,00	--	15,17
	13.00.12-विदेशी यात्रा व्यय	--	5,50,00	--	2,25,00	--	2,50,00	--	23,86
	13.00.13-कार्यालय व्यय	--	1,30,00	--	1,17,00	--	1,30,00	--	85,55
	13.00.16-प्रकाशन	--	7,00	--	6,10	--	7,00	--	3,51
	13.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय	--	70,00	--	63,00	--	70,00	--	45,12
	13.00.50-अन्य प्रभार	--	90,00	--	81,00	--	90,00	--	43,20
	कुल मुख्य शीर्ष "2052"	--	**11,72,00**	--	**12,15,00**	--	**13,28,00**	--	**8,66,53**

12.26 वित्तीय वर्ष 2012-13 में लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात पी.ए.सी. को ए.टी.एन. प्रस्तुत की गई है	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों का विवरण जिन पर ए.टी.एन. लंबित है		
			मंत्रालय द्वारा प्रथम बार भी न भेजी गई ए.टी.एन. की संख्या	भेजी गई परंतु टिप्पणी के साथ लौटाई गई ए.टी.एन. की संख्या और मंत्रालय द्वारा जिनके पुन: प्रस्तुत करने के लिए लेखापरीक्षा प्रतीक्षा कर रही है	उन ए.टी.एन. की संख्या जिनका लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर लिया गया है परंतु जिन्हें मंत्रालय द्वारा पी.ए.सी. को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1	2012-13 तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अक्षम व्यक्तियों के लाभार्थ किए गए कार्यकलाप

12.27 यह मंत्रालय नियुक्तियों इत्यादि में अक्षम व्यक्तियों के लाभों के मामले पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी नियमों, विनियमों और अनुदेशों का पालन करता है। इस विषय पर नीति निर्माण का कार्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

परिशिष्ट-1

(देखें पैरा 1.2)

संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारत सरकार (कार्य का आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को सौंपे गए कार्य:-

1. संसद की दोनों सभाओं को बुलाने और उनका सत्रावसान करने की तिथियां, लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण;
2. दोनों सभाओं में विधायी और अन्य सरकारी कार्य का आयोजन तथा समन्वय;
3. सदस्यों द्वारा सूचित किए गए प्रस्तावों पर चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का नियतन;
4. संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं और सचतेकों के साथ सम्पर्क;
5. विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समितियों के सदस्यों की सूचियां;
6. सरकार द्वारा गठित समितियों और अन्य निकायों पर संसद सदस्यों की नियुक्ति;
7. विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन;
8. संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन;
9. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख;
10. संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति को सचिवालयिक सहायता;
11. प्रक्रिया और अन्य संसदीय मामलों में मंत्रालयों को सलाह;
12. संसदीय समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप से लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय;
13. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित रोचक स्थानों के दौरे;
14. संसद सदस्यों के स्वत्वों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामले। संसदीय सचिव- कार्य;
15. सम्पूर्ण देश में विद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन;
16. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन;
17. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का दूसरे देशों के साथ आदान-प्रदान;
18. लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के नियम 377 के अधीन तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नीति का अवधारण और अनुवर्ती कार्रवाई;
19. मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य करने संबंधी निदेशिका;

20. संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20)
21. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30);
22. संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33);
23. संसद में मान्यताप्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5)।

परिशिष्ट-2

(देखें पैरा 4.7)

दिनांक 1.1.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक					
					लो.स.= लोक सभा, रा.स. = राज्य सभा
पंद्रहवीं लोक सभा का 10वां सत्र और राज्य सभा का 225वां सत्र					
क्र.सं.	**अधिनियम का नाम**	**विधेयक के पुर:स्थापन की तारीख (तारीखें)**	**विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने की तारीख**		**अधिनियम संख्या एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति**
			लो.स.	**रा.स.**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
वित्त मंत्रालय					
1.	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2012	27.3.2012 (लो.स.)	27.3.2012	28.3.2012	2012 का 17 29.3.2012
2.	विनियोग अधिनियम, 2012	27.3.2012 (लो.स.)	27.3.2012	28.3.2012	2012 का 18 29.3.2012
3	विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2012	27.3.2012 (लो.स.)	27.3.2012	28.3.2012	2012 का 19 29.3.2012
4.	वित्त अधिनियम, 2012	16.3.2012 (लो.स.)	8.5.2012	16.5.2012	2012 का 23 28.5.2012
5.	विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 2012	3.5.2012 (लो.स.)	3.5.2012	16.5.2012	2012 का 22 22.5.2012
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय					
6	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2012	3.5.2012	7.5.2012	9.5.2012	2012 का 20 12.5.2012
गृह मंत्रालय					
7	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012	26.4.2012 (लो.स.)	11.5.2012	16.5.2012	2012 का 26 4.6.2012
मानव संसाधन विकास मंत्रालय					
8	प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012	19.4.2010 (रा.स.)	22.5.2012	17.5.2012	2012 का 27 7.6.2012
9	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012	15.4.2010 (लो.स.)	19.8.2011 11.5.2012	30.4.2012	2012 का 28 7.6.2012
10	नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012	16.4.2010 (रा.स.)	9.5.2012	24.4.2012	2012 का 30 19.6.2012

11	केंद्रीय शैक्षिक संस्थाएं (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2012	6.8.2010 (रा.स.)	16.5.2012	27.4.2012	2012 का 31 19.6.2012
12	प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012	30.8.2010 (लो.स.)	24.3.2011 11.5.2012	30.4.2012	2012 का 34 20.6.2012
विधि और न्याय मंत्रालय					
13	आनंद विवाह (संशोधन) अधिनियम, 2012	7.5.2012 (रा.स.)	22.5.2012	21.5.2012	2012 का 29 7.6.2012
14	महाप्रशासक (संशोधन) अधिनियम, 2012	18.8.2011 (रा.स.)	17.5.2012	4.5.2012	2012 का 33 19.6.2012
रेल मंत्रालय					
15	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2012	22.3.2012 (लो.स.)	22.3.2012	22.3.2012	2012 का 14 27.3.2012
16	विनियोग (रेल) संख्या 2 अधिनियम, 2012	22.3.2012 (लो.स.)	22.3.2012	22.3.2012	2012 का 15 27.3.2012
17	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2012	22.3.2012 (लो.स.)	22.3.2012	22.3.2012	2012 का 16 27.3.2012
18	विनियोग (रेल) संख्या 3 अधिनियम, 2012	26.4..2012 (लो.स.)	26.4.2012	10.5.2012	2012 का 21 17.5.2012
19	रेलवे संपत्ति (विधिविरूद्ध कब्जा) संशोधन अधिनियम, 2012	18.12.2008 (रा.स.)	18.5.2012 22.5.2012	22.12.2011	2012 का 25 2.6.2012
जनजातीय कार्य मंत्रालय					
20	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2012	27.12.2011 (लो.स.)	15.5.2012	21.5.2012	2012 का 24 31.5.2012
महिला और बाल विकास मंत्रालय					
21	बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012	23.3.2011 (रा.स.)	22.5.2012	10.5.2012	2012 का 32 19.6.2012
पंद्रहवीं लोक सभा का 11वां सत्र और राज्य सभा का 226वां सत्र					
रसायन और उर्वरक मंत्रालय					
22	रासायनिक आयुध अभिसमय (संशोधन) अधिनियम, 2012	16.4.2010 (रा.स.)	30.8.2012	3.5.2012	2012 का 36 11.9.2012
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय					
23	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012	27.8.2012 (लो.स.)	30.8.2012	4.9.2012	2012 का 37 12.9.2012

24	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-तंत्र विज्ञान संस्थान, बंगलौर अधिनियम, 2012	7.12.2012 (रा.स.)	4.9.2012	13.8.2012	2012 का 38 13.9.2012
युवा कार्य और खेल मंत्रालय					
25	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम, 2012	21.12.2011 (लो.स.)	21.5.2012	9.8.2012	2012 का 35 30.8.2012
पंद्रहवीं लोक सभा का 12वां सत्र और राज्य सभा का 227वां सत्र					
वित्त मंत्रालय					
26	विनियोग (संख्या 4) अधिनियम, 2012	14.12.2012 (लो.स.)	14.12.2012	18.12.2012	2012 का 40 24.12.2012
27	बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012	22.3.2012	18.12.2012	20.12.2012	2013 का 4 5.1.2013
28	प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012	12.12.2011 (लो.स.)	7. 12.2012 10.12.2012	20.12.2012	2013 का 1 3.1.2013
29	धन-शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012	27.12.2011 (लो.स.)	29.11.2012	17.12.2012	2013 का 2 3.1.2013
गृह मंत्रालय					
30	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन अधिनियम, 2012	7.12.2011 (लो.स.)	3.9.2012	14.12.2012	2012 का 39 21.12.2012
31	संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2012	7.9.2012 (लो.स.)	18.12.2012 20..12.2012	19.12.2012	1.1.2013
32	विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2012	29.12.2011 (लो.स.)	29.11.2012 30.11.2012	19.12.2012 20.12.2012	2013 का 3 3.1.2013

परिशिष्ट-3

(देखें पैरा 4.7)

लोक सभा के 12वें सत्र और राज्य सभा के 227वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लंबित सरकारी विधेयकों की सूची

<u>लोक सभा</u>

I. राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

1. संविधान (108वां संशोधन) विधेयक, 2010
2. मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2012
3. संविधान (117वां संशोधन) विधेयक, 2012

II. स्थायी समितियों को भेजे गए विधेयक

4. संविधान (115वां संशोधन) विधेयक, 2011
5. खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2011
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011
7. राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012
8. भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) विधेयक, 2012
9. लोक उपापन विधेयक, 2012
10. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2012
11. अनुसंधान और नवाचार विश्वविद्यालय विधेयक, 2012
12. लघु वित्तीय संस्थाएं (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012
13. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012
14. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012
15. पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012
16. कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक, 2012
17. दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012
18. प्रतियोगिता (संशोधन) विधेयक, 2012
19. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2012
20. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012
21. राज्यपाल (परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2012

III. विधेयक जिनपर स्थायी समितियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

22. भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2009
23. संविधान (एक सौ बारहवां संशोधन) विधेयक, 2009
24. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंध बोर्ड विधेयक, 2010
25. संविधान (एक सौ दसवां संशोधन) विधेयक, 2009
26. संविधान (एक सौ चौदहवां संशोधन) विधेयक, 2010 - (चर्चा पूरी नहीं हुई)
27. आयुध (संशोधन) विधेयक, 2010
28. बांध सुरक्षा विधेयक, 2010
29. तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अऋजु व्यवहार का प्रतिषेध विधेयक, 2010
30. विदेशी शिक्षा संस्था (प्रवेश और प्रचालन का विनियमन) विधेयक, 2010
31. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्था प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010 (आंशिक चर्चा हुई)
32. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011
33. अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010
34. शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) दूसरा विधेयक, 2010
35. प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010
36. विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2011
37. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011
38. राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार विधेयक, 2011
39. आयुध (संशोधन) विधेयक, 2011
40. स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011
41. परमाणुवीय सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011
42. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2011
43. बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) विधेयक, 2011
44. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) दूसरा संशोधन विधेयक, 2011
45. भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2011
46. सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक परिदान विधेयक, 2011
47. नागरिक माल और सेवाओं का समयबद्ध परिदान और शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2011
48. जलदस्युता विधेयक, 2012
49. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012
50. क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र विधेयक, 2011
51. बहु-राज्यीय सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2010

52. उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011
53. प्रेस और पुस्तक तथा प्रकाशन रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2011
54. प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012

<u>राज्य सभा</u>

I. संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक

1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 1987

II. लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

2. शैक्षिक अधिकरण विधेयक - **चर्चा आस्थगित**
3. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम विधेयक, 2011
4. सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक, 2011
5. न्यायिक मानक और दायित्व विधेयक, 2010
6. कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और सुधार) विधेयक, 2012
7. कंपनी विधेयक, 2012
8. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012

III. लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक जिन पर प्रवर समितियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

9. उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक खंड विधेयक, 2009 - चर्चा आस्थगित
10. यातना निवारण विधेयक, 2010
11. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010
12. लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011

IV. स्थायी समितियों को नहीं भेजे गए विधेयक

13. परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 1992

V. स्थायी समितियों को भेजे गए विधेयक

14. बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012
15. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2012
16. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2012
17. रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2012
18. सशस्त्र सेना अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012

VI. विधेयक जिन पर स्थायी समितियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

19. प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता विधेयक, 1990
20. संविधान (79वां संशोधन) विधेयक, 1992 (विधायकों के लिए छोटे परिवार के मानक)
21. दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997
22. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000
23. नगरपालिकाओं का उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारण) विधेयक, 2001
24. बीज विधेयक, 2004
25. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005
26. भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005
27. ओषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2007
28. भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी विधेयक, 2005
29. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005
30. साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005
31. नाविक भविष्य-निधि (संशोधन) विधेयक, 2007
32. निजि जासूसी एजेंसी (विनियमन) विधेयक, 2007
33. नाशकजीवमार प्रबंधन विधेयक, 2008
34. भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008
35. राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग विधेयक, 2009
36. लोक वित्तपोषित बौद्धिक संपत्ति का संरक्षण और उपयोग विधेयक, 2008
37. यान-हरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2010
38. वास्तुविद (संशोधन) विधेयक, 2010
39. विवाह विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010 - (उत्तर आस्थगित)
40. बीमा विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008
41. भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, 2010
42. श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन विधेयक, 2011
43. खान (संशोधन) विधेयक, 2011
44. सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2011
45. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक, 2011
46. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2011
47. तमिलनाडु विधान परिषद (निरसन) विधेयक, 2012
48. भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2012
49. राष्ट्रीय मानव संसाधन स्वास्थ्य आयोग विधेयक, 2011
50. उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान विधेयक, 2011

परिशिष्ट – 4

(देखें पैरा 4.10)

दिनांक 1.1.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान रेल और सामान्य बजटों पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण							
(क) रेल बजट							
क्र.सं.	**विषय**	**लोक सभा**			**राज्य सभा**		
		तारीख (तारीखें)	घंटे	मिनट	तारीख (तारीखें)	घंटे	मिनट
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वर्ष 2012-13 के लिए बजट (रेल) का प्रस्तुतीकरण	14.3.2012	1	46	14.3.2012	-	-
*2	वर्ष 2012-13 के लिए बजट (रेल) पर सामान्य चर्चा	20.3.12 21.3.12 22.3.12	16	11	20.3.12 21.3.12 22.3.12	11	00
*3	निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान:- (i) वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) (ii) वर्ष 2012-13 के लिए अनुदान मांगें (रेल) (iii) वर्ष 2009-10 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें (रेल) (*मद 2 और 3 पर एक साथ चर्चा की गई।)				# #	# #	
(ख) सामान्य बजट							
1	वर्ष 2012-13 के लिए बजट (सामान्य) का प्रस्तुतीकरण	16.3.12	1	50	16.3.12	-	-
*2	वर्ष 2012-13 के लिए बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा	22.3.12 26.3.12 27.3.12	9	10	26.3.12 26.3.12 28.3.12	12	02
*3	निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान:- (i) वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) (ii) वर्ष 2012-13 के लिए				# #	# #	# #

	लेखानुदान मांगें (सामान्य) (iii) वर्ष 2009-10 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें (सामान्य) (*मद 2 और 3 पर एक साथ चर्चा की गई)				#	#	#
4	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2012-13 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान	26.4.12 27.4.12	6	29			
5	शहरी विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2012-13 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान	30.4.12	4	28			
6	गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2012-13 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान	2.5.12	6	05			
7	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2012-13 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान	3.5.12	3	50			
8	निम्नलिखित मंत्रालयों/ विभागों से संबंधित वर्ष 2012-13 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदान मांगों को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया और उन पर पूर्ण मतदान किया गया:- (1) कृषि (2) परमाणु ऊर्जा (3) रसायन और उर्वरक (4) नागर विमानन (5) कोयला (6) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (7) उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक	3.5.12	0	10	#	#	#

	वितरण (8) कारपोरेट कार्य (9) संस्कृति (10) रक्षा (11) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (12) पृथ्वी-विज्ञान (13) पर्यावरण और वन (14) विदेश (15) वित्त (16) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (17) भारी उद्योग और लोक उद्यम (18) आवास और शहरी गरीबी उपशमन (19) मानव संसाधन विकास (20) सूचना और प्रसारण (21) श्रम और रोजगार (22) विधि और न्याय (23) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (24) खान (25) अल्पसंख्यक कार्य (26) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (27) प्रवासी भारतीय कार्य (28) पंचायती राज (29) संसदीय कार्य (30) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (31) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (32) योजना (33) विद्युत (34) लोक सभा (35) राज्य सभा (36) उप राष्ट्रपति (37) सडक परिवहन और राजमार्ग (38) ग्रामीण विकास (39) पेयजल और स्वच्छता (40) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (41) पोत परिवतन (42) सामाजिक न्याय और अधिकारिता (43) अंतरिक्ष (44) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (45) इस्पात (46) वस्त्र (47) पर्यटन (48) जनजातीय कार्य (49) जल						

	संसाधन (50) महिला और बाल विकास (51) युवा कार्य और खेल						
9	वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान	12.12.12 13.12.12 14.12.12	4	39	#	#	#

टिप्पणी: # राज्य सभा में संबंधित विनियोग विधेयकों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की जाती है।

परिशिष्ट-5

(देखें पैरा 4.12)

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	प्रस्तावक सहित प्रस्ताव का रूप	चर्चा की तारीख	परिणाम	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.12.89	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	05	15
2	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	7.11.90	अस्वीकृत हां - 151 नहीं - 356	11	10
3	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री चंद्रशेखर, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	16.11.90	स्वीकृत हां – 280 नहीं - 214	06	34
4	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री पी.वी. नरसिंह राव, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	12 और 15 जुलाई, 1991	स्वीकृत हां – 240 नहीं – 109 अनुपस्थित – 112	07	35
5	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.5.96 28.5.96	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देने जा रहे हैं। तत्पश्चात अध्यक्ष ने कहा कि सदन में प्रधान मंत्री द्वारा त्यागपत्र देने की घोषणा को ध्यान में रखते	10	51

			हुए सदन का विश्वास मत प्राप्त करने हेतु सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर मतदान की आवश्यकता नहीं है।		
6	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.6.96 12.6.96	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	12	20
7	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.4.97	अस्वीकृत हां – 190 नहीं – 338 अनुपस्थित – 5	12	50
8	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री आई.के. गुजराल, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	22.4.97	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	09	02
9	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.3.1998 28.3.1998	स्वीकृत हां – 275 नहीं – 260	17	56
10	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	15.4.1999 16.4.1999 17.4.1999	अस्वीकृत हां – 269 नहीं – 270	24	58
11	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – डा. मनमोहन सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.7.2008 22.7.2008	स्वीकृत हां – 275 नहीं – 256	15	11

परिशिष्ट – 6

(देखे पैरा 5.5)

दिनांक 1.1.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुरःस्थापित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा

(1) तटीय परिक्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2011 - डॉ. संजीव गणेश नायक

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नकदी अंतरण का चरणबद्ध निगमन विधेयक, 2011 - श्री वैजयंत पांडा

(3) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 (भाग 2 का संशोधन) - श्रीमती विजया चक्रवर्ती

(4) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 (अनुसूची का संशोधन) - श्री के. मुरूगेसन आनंदन

(5) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (नए अनुच्छेद 24क का अंत:स्थापन) - श्री सतपाल महाराज

(6) राष्ट्रीय बागवानी विकास आयोग विधेयक, 2011 - श्री जगदम्बिका पाल

(7) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 164क का संशोधन) - श्रीमती सुमित्रा महाजन

(8) परीक्षा-पूर्व कोचिंग सेंटर विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011 - श्री जगदम्बिका पाल

(9) पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक, 2011 - श्री जगदम्बिका पाल

(10) मलिन बस्तियों तथा झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र उन्मूलन विधेयक, 2011 - श्री ओम प्रकाश यादव

(11) देश में विदेशी राष्ट्रिक अंतर्वाह निवारण विधेयक, 2011 - श्रीमती विजया चक्रवर्ती

(12) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (अनुच्छेद 85 और 174 का संशोधन) - श्री सतपाल महाराज

(13) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (नए अनुच्छेद 30क का अंत:स्थापन) - श्री सतपाल महाराज

(14) समुद्रपारीय कर्मकार (प्रबंध और कल्याण) विधेयक, 2011 - अधिवक्ता पी.टी. थामस

(15) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (अनुच्छेद 370 का संशोधन) - श्री हंसराज गंगाराम अहीर

(16) विद्यालयों में अनिवार्य खेल शिक्षा विधेयक, 2011 - श्री हंसराज गंगाराम अहीर

(17) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (सातवीं अनुसूची का संशोधन) - श्री हंसराज गंगाराम अहीर

(18) मानसिक विमंदित बालक (कल्याण) विधेयक, 2012 - श्री हंसराज गंगाराम अहीर

(19) मछुआरा (कल्याण) विधेयक, 2011 - श्री अधीर रंजन चौधरी

(20) दलित और पिछड़े युवा कल्याण विधेयक, 2011 - श्री पन्ना लाल पुनिया

(21) केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (नई धारा 3ख का अंत:स्थापन आदि) - श्री प्रताप सिंह बाजवा

(22) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (धारा 6 का संशोधन आदि) - श्री एस. सेम्मलई

(23) नारियल उत्पादक (कल्याण) विधेयक, 2011 - श्री एम.के. राघवन

(24) एयरलाइंस (प्रतिकर का भुगतान) विधेयक, 2011 - श्री एम.के. राघवन

(25) स्वास्थ्य बीमा योजना विधेयक, 2011 - श्री एम.के. राघवन

(26) विवाह समारोह पर अत्यधिक व्यय का प्रतिषेध विधेयक, 2011 - डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहाण

(27) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (धारा 124क का लोप) - श्री अर्जुन मेघवाल

(28) हथकरघा बुनकर (कल्याण) विधेयक, 2011 - श्री पन्ना लाल पुनिया

(29) सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 2 का संशोधन आदि) - श्री जयंत चौधरी

(30) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 171 का संशोधन) - डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

(31) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुसूची का संशोधन) - डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

(32) नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 5 का संशोधन) - श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ

(33) शैक्षिक संस्थाओं में नैतिक शिक्षा का अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना विधेयक, 2012 - डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहाण

(34) कौटुम्बिक अपराध विधेयक, 2012 - डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहाण

(35) महिला और बालिका (अत्याचार निवारण) विधेयक, 2012 - डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहाण

(36) हिंदू विवाह (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 13 का संशोधन) - श्री मनीष तिवारी

(37) विद्यालयों में अनिवार्य चिकित्सा तैयारी विधेयक, 2012 - डॉ. किरीट पी. सोलंकी

(38) अशिष्ट विज्ञापन प्रतिषेध विधेयक, 2012 - डॉ. किरीट पी. सोलंकी

(39) बैंक ऋणों की वसूली के लिए प्रपीड़क तरीकों के प्रयोग का प्रतिषेध विधेयक, 2012 - डॉ. किरीट पी. सोलंकी

(40) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 85 का संशोधन) - श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा

(41) कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र (विनियमन) विधेयक, 2012 - श्री अधीर रंजन चौधरी

(42) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (नए अनुच्छेद 371गक का अंत:स्थापन) - डॉ. थोकचोम मैन्या

(43) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (नए अनुच्छेद 22क का अंत:स्थापन) - डॉ. भोला सिंह

(44) ग्रामीण विद्युतीकरण विधेयक, 2012 - डॉ. भोला सिंह

(45) मेधावी छात्रों के लिए नि:शुल्क आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी शिक्षा का उपबंध विधेयक, 2012 - श्री रमेन डेका

(46) नमक कर्मकार कल्याण विधेयक, 2012 - श्री पन्ना लाल पुनिया

(47) राज्य की राजधानियों में उच्च न्यायालयों की स्थायी न्यायपीठों की स्थापना विधेयक, 2012 - डॉ. शशि थरूर

(48) मछुआरा (कल्याण) विधेयक, 2012 - श्री कोडिकुन्नील सुरेश

(49) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग निगम विधेयक, 2012 - श्री कोडिकुन्नील सुरेश

(50) वाणिज्य फसल कर्मकार (कल्याण) विधेयक, 2012 - श्री कोडिकुन्नील सुरेश

(51) अनुसूचित जाति बस्तियां (आधारभूत सुविधाओं का उपबंध) विधेयक, 2012 - श्री कोडिकुन्नील सुरेश

(52) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 377 का संशोधन) - श्री अर्जुन मेघवाल

(53) गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2012 (नई धारा 16ख का अंत:स्थापन, आदि) - श्री अर्जुन मेघवाल

(54) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (नए अध्याय छह क का अंत:स्थापन आदि) - श्री एल. राजगोपाल

(55) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2011 (नई धारा 44ग का अंत:स्थापन) - श्री एल. राजगोपाल

(56) राष्ट्रीय आस्तियां (संरक्षण) विधेयक, 2011 - श्री ए.टी. नाना पाटील

(57) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2011 (धारा 20क का संशोधन आदि) - श्री ए.टी. नाना पाटील

(58) गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2012 (धारा 2 का संशोधन आदि) - श्री वैजयंत पांडा

(59) भारतीय पर्यटन संवर्धन निगम विधेयक, 2011 - श्री निशिकांत दूबे

(60) राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (गारंटी) विधेयक, 2011 - श्री निशिकांत दूबे

(61) संविधान (आठवीं अनुसूची का संशोधन) विधेयक, 2011 - डॉ. अजय कुमार

(62) स्वास्थ्य बीमा (गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लिए) विधेयक, 2011 - डॉ. अजय कुमार

(63) पर्यावरण संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 (नए अध्याय 3क का अंत:स्थापन) - श्री ए.टी. नाना पाटील

(64) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 16 का संशोधन) - श्री एल. राजगोपाल

(65) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 85 और 100 का संशोधन) - डॉ. राजन सुशांत

(66) खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2012 (नई धारा 59क और 59ख का अंत:स्थापन) - डॉ. महेन्द्र सिंह पी. चौहाण

(67) ग्रामीण श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, 2012 - डॉ. महेन्द्र सिंह पी. चौहाण

(68) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुसूची का संशोधन) - डॉ. अजय कुमार

(69) राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 5 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन) - डॉ. महेन्द्र सिंह पी. चौहाण

(70) चलचित्रों में मद्यसारिक पेय का महिमामंडन (प्रतिषेध) विधेयक, 2012 - डॉ. महेन्द्र सिंह पी. चौहाण

(71) पेट्रोल पंप कर्मकार (कल्याण) विधेयक, 2012 - श्री अधीर रंजन चौधरी

(72) केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 3 का संशोध्न) - प्रो. (डॉ.) रंजन प्रसाद यादव

(73) लक्ष्यद्वीप मछुआरा (कल्याण) विधेयक, 2012 - श्री हमदुल्लाह सईद

(74) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 (अनुसूची का संशोधन) - श्री ए.टी. नाना पाटील

(75) एचआईवी/एड्स विधेयक, 2012 - डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

(76) विदेशों में भारतीय नागरिकों के मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध और प्रवासी भारतीयों का कल्याण विधेयक, 2012 - श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

(77) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र शासन विधेयक, 2012 - श्री विष्णु पद राय

(78) मछुआरा (कल्याण) विधेयक, 2012 - श्री एस.एस. रामासुब्बु

(79) विशेष शैक्षणिक सुविधाएं (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता के बच्चों के लिए) विधेयक, 2012 - श्री एस.एस. रामासुब्बु

(80) औषधि (कीमत नियंत्रण) विधेयक, 2012 - श्री एम.के. राघवन

(81) केरल उच्च न्यायालय (कोझीकोड में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2012 - श्री एम.के. राघवन

(82) वन्य जीव जंतुओं के आक्रमण से ग्रस्त व्यक्तियों को प्रतिकार का संदाय विधेयक, 2012 - श्री एम.के. राघवन

(83) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2012 (धारा 2 का संशोधन आदि) - श्री भर्तृहरि महताब

(84) मसाला बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 16 और 28 का लोप) - एडवोकेट पी.टी. थॉमस

(85) महिला (सेवा में आरक्षण) विधेयक, 2012 - डॉ. (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी

(86) छोटा परिवार संवर्धन विधेयक, 2010 - डॉ. (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी

(87) सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2011 (धारा 7 और 20 का संशोधन) - श्री भूपेन्द्र सिंह

(88) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 12 का संशोधन आदि) - श्री भूपेन्द्र सिंह

(89) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 7, 17 और 19 का संशोधन) - श्री भूपेन्द्र सिंह

(90) कपास उत्पादक कल्याण विधेयक, 2012 - श्री चन्द्रकांत खैरे

(91) अनिवार्य मतदान विधेयक, 2012 - श्री चन्द्रकांत खैरे

(92) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को प्रतिकर का उपबंध विधेयक, 2012 - श्री चन्द्रकांत खैरे

(93) आतंकवाद पीड़ित (प्रतिकर और कल्याणकारी उपायों का उपबंध) विधेयक, 2012 - श्री चन्द्रकांत खैरे

(94) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (आठवीं अनुसूची का संशोधन) - श्री भूपेन्द्र सिंह

(95) अभावग्रस्त और पिछड़ा क्षेत्र (विकास) विधेयक, 2012 - श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण

(96) केरल उच्च न्यायालय (तिरूवनंतपुरम में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2012 - एडवोकेट ए. सम्पत

(97) जलवायु परिवर्तन विधेयक, 2012 - श्री कालीकेश नारायण सिंह देव

(98) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 25 का संशोधन) - डॉ. रतन सिंह अजनाला

(99) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों (पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण) विधेयक, 2012 - श्री हंसराज गंगाराम अहीर

(100) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा प्राधिकरण विधेयक, 2012 - श्री हंसराज गंगाराम अहीर

(101) नक्सल प्रभावित राज्य विकास परिषद विधेयक, 2012 - श्री हंसराज गंगाराम अहीर

(102) मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 2 का संशोधन आदि) - डॉ. भोला सिंह

(103) संस्कृत भाषा (विद्यालयों में अनिवार्य शिक्षण) विधेयक, 2012 - डॉ. भोला सिंह

(104) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 58 का संशोधन आदि) - डॉ. भोला सिंह

(105) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (नए अनुच्छेद 31 का अंत:स्थापन) - डॉ. भोला सिंह

(106) वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक विद्यालयों की स्थापना विधेयक, 2012 - श्री जय प्रकाश अग्रवाल

(107) विद्युत (महानगरीय क्षेत्रों को अग्रता प्रदाय) विधेयक, 2012 - श्री जय प्रकाश अग्रवाल

(108) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 214 का संशोधन) - श्री जय प्रकाश अग्रवाल

(109) भारतीय प्रौद्योगिकी बैंक विधेयक, 2012 - श्री अर्जुन मेघवाल

(110) भारतीय शिक्षा बैंक विधेयक, 2012 - श्री अर्जुन मेघवाल

(111) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (आठवीं अनुसूची का संशोधन) - कुमारी सरोज पाण्डेय

(112) राजस्थान उच्च न्यायालय (बीकानेर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2012 - श्री अर्जुन मेघवाल

(113) कृषक कल्याण विधेयक, 2012 - श्री मधुसूदन यादव

(114) शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में रैगिंग और अऋजु व्यवहार का प्रतिषेध विधेयक, 2012 - श्री राकेश सिंह

(115) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012 (धारा 3 का संशोधन आदि) - श्री वैजयन्त पांडा

(116) अनुसूचित जाति बस्तियां (आधारभूत सुविधाओं का उपबंध) विधेयक, 2012 - श्री पन्ना लाल पुनिया

(117) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग निगम विधेयक, 2012 - श्री पन्ना लाल पुनिया

(118) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) संशोधन विधेयक, 2012 (धारा 2 और 33 का संशोधन) - श्री अर्जुन मेघवाल

(119) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 124क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन) - श्री वैजयन्त पांडा

(120) कृषि उपज (लाभकारी समर्थन मूल्य और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, 2012 - श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण

(121) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 38 का संशोधन) - श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण

(122) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा और छात्रावास सुविधाएं विधेयक, 2012 - श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण

(123) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 130 का संशोधन) - श्री आर. थामराईसेलवन

(124) शिक्षा ऋण विधेयक, 2012 - श्री आर. थामराईसेलवन

(125) भिक्षावृत्ति उत्सादन विधेयक, 2012 - श्री आर. थामराईसेलवन

राज्य सभा

(1) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (दसवीं अनुसूची का संशोधन) - श्री शान्ताराम नायक

(2) पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक, 2011 - श्री शान्ताराम नायक

(3) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (अनुच्छेद 371झ का संशोधन) - श्री शान्ताराम नायक

(4) सोयाबीन उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2010 - श्री प्रभात झा

(5) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (अनुच्छेद 346 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन) - श्री प्रभात झा

(6) बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार गारंटी विधेयक, 2011 - श्री प्रभात झा

(7) हितों के टकराव का निवारण और प्रबंधन विधेयक, 2011 - डॉ. ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन

(8) मानावाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2012 - डॉ. ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन

(9) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन और अनुच्छेद 51क का संशोधन) - डॉ. ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन

(10) सिम कार्ड का अनिवार्य पुलिस सत्यापन विधेयक, 2012 - श्री पुरूषोत्तमखोडाभाई रूपाला

(11) गाय और इसकी संतति के वध का प्रतिषेध विधेयक, 2012 - श्री पुरूषोत्तमखोडाभाई रूपाला

(12) निजी क्षेत्र में रिश्वतखोरी का निवारण विधेयक, 2012 - श्री प्रकाश जावड़ेकर

(13) सौर ऊर्जा (विकास, संवर्धन और आज्ञापक उपयोग) विधेयक, 2012 - प्रो. पी.जे. कुरियन

(14) किसान (प्राकृतिक आपदाओं से संरक्षण एवं अन्य कल्याणकारी उपाय) विधेयक, 2011 - श्री अवतार सिंह करीमपुरी

(15) निराश्रित और जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक (देशभाल, सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2011 - श्री अवतार सिंह करीमपुरी

(16) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 - श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप

(17) सूचना प्रदाता (जनहित प्रकटीकरण में संरक्षण) विधेयक, 2010 - श्री विजय जवाहरलाल दर्डा

(18) विकृति-विज्ञान प्रयोगशाला और क्लिनिक (विनियमन और नियंत्रण) विधेयक, 2010 - श्री विजय जवाहरलाल दर्डा

(19) महिलाओं पर अत्याचार निवारण विधेयक, 2010 - श्री विजय जवाहरलाल दर्डा

(20) महिला कृषक हकदारी विधेयक, 2011 - प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन

(21) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (उद्देशिका, अनुच्छेद 1 और 28 का संशोधन) - श्री म. रामा जोयिस

(22) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 220 का प्रतिस्थापन और नए अनुच्छेद 220क का अंत:स्थापन) - श्री तरूण विजय

(23) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 39 का संशोधन) - श्री तरूण विजय

(24) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (नए अनुच्छेद 18क का अंत:स्थापन) - श्री शादी लाल बत्रा

(25) हरियाणा उच्च न्यायालय विधेयक, 2012 - श्री शादी लाल बत्रा

(26) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2012 - श्री शादी लाल बत्रा

(27) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 - श्रीमती कानीमोझी

(28) सशस्त्र बल प्रसंविदा विधेयक, 2012 - श्री राजीव चन्द्रशेखर

(29) नक्सली हिंसा के कृत्यों के पीड़ित (राहत और पुनर्वास) विधेयक, 2012 - श्री राजीव चन्द्रशेखर

(30) नवीकरणीय ऊर्जा (संवर्धन और अनिवार्य उपयोग) विधेयक, 2012 - श्री राजीव चन्द्रशेखर

(31) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2012 - श्री रामचन्द्र खूंटिया

(32) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2012 - श्री रामचन्द्र खूंटिया

(33) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012 - श्री रामचन्द्र खूंटिया

(34) ओषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) संशोधन विधेयक, 2012 - श्री शान्ताराम नायक

(35) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (उद्देशिका और अनुच्छेद 1 का संशोधन) - श्री शान्ताराम नायक

(36) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 243जी और 243बी का संशोधन) - श्री शान्ताराम नायक

(37) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 124 और 217 का संशोधन) - श्री एच.के. दुआ

(38) गन्ना उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2012 - श्री शादी लाल बत्रा

(39) जनसंख्या स्थिरीकरण विधेयक, 2012 - श्री शादी लाल बत्रा

(40) ग्रामीण विद्युतीकरण प्राधिकरण विधेयक, 2012 - श्री शादी लाल बत्रा

(41) बिहार पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2012 - श्री जय प्रकाश नारायण सिंह

(42) अनाथ (सरकारी स्थापन में पदों का आरक्षण) विधेयक, 2012 - श्री अविनाश राय खन्ना

(43) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 75 और 165 का संशोधन) - श्री म. रामा जोयिस

(44) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2012 - श्री रामचन्द्र खूंटिया

(45) उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2012 - श्री रामचन्द्र खूंटिया

(46) पटरी पर रहने वाले बेघर व्यक्ति (कल्याण) विधेयक, 2011 - श्री राजकुमार धूत

(47) भारतीय अवैध आप्रवासी और लापता विदेशी राष्ट्रिक पहचान और विवासन प्राधिकरण विधेयक, 2011 - श्री राजकुमार धूत

(48) शोषण, ऋण ग्रस्त और गरीबी से ग्रस्त किसान (आत्महत्या से संरक्षा, निवारण और कल्याण) विधेयक, 2011 - श्री राजकुमार धूत

(49) खेल प्रतिस्पर्धाओं की मेजबानी, प्रायोजन और विज्ञापन (विनियमन) विधेयक, 2011 - डॉ. अखिलेश दास गुप्ता

(50) विवाह (साधारण अनुष्ठापन, अनिवार्य पंजीकरण और खाद्य वस्तुओं की बर्बादी का निवारण) विधेयक, 2011 - डॉ. अखिलेश दास गुप्ता

(51) सरकार खर्च पर निर्वाचन विधेयक, 2012 - श्री प्रभात झा

(52) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 155 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन) - श्री प्रभात झा

(53) कीमत नियंत्रण विशेष प्राधिकरण विधेयक, 2012 - श्री प्रभात झा

(54) भारत में प्रचालित किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रीपेड सिम कार्डों का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2012 - श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला

(55) विद्यालयों में एक अनिवार्य भाषा के रूप में संस्कृत का शिक्षण विधेयक, 2012 - श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला

(56) महिलाओं के लिए विशेष न्यायालय विधेयक, 2012 - श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला

(57) बालिका का वाणिज्यिक दुर्व्यापार (निवारण, पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2012 - डॉ. ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन

(58) ग्रामीण श्रमिक (कल्याण) विधेयक, 2012 - डॉ. ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन

(59) कामकाजी बालक (बचाव, पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2012 - डॉ. ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन

(60) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 72 का संशोधन) - डॉ. भारतकुमार राऊत

(61) घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2012 - श्री शान्ताराम नायक

(62) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2012 - श्री शान्ताराम नायक

(63) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (नए अनुच्छेद 50क का अंत:स्थापन) - श्री शान्ताराम नायक

(64) शारीरिक रूप से विकलांग (सार्वजनिक क्षेत्रों तक अभिगम हेतु अवसंरचना) विधेयक, 2012 - श्री विवेक गुप्ता

(65) विनियामक प्राधिकरण (जवाबदेही) विधेयक, 2012 - श्री विवेक गुप्ता

(66) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 15 का संशोधन) - श्री वीर सिंह

(67) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 341 और 342 का संशोधन) - श्री वीर सिंह

(68) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (नए अनुच्छेद 335क का अंत:स्थापन) - श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप

(69) नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विधेयक, 2012 - श्री अविनाश राय खन्ना

(70) अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक, 2012 - श्री अविनाश राय खन्ना

(71) राजभाषा विधेयक, 2012 - श्री तिरूची शिवा

(72) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 124 का संशोधन) - श्री एच.के. दुआ

परिशिष्ट-7

(देखें पैरा 8.2)

विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितम्बर, 2005 में बनाए गए दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

वर्ष, 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति प्रणाली स्थापित की गई थी। इसे अप्रैल, 1969 में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ परामर्श करके, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करके एक औपचारिक रूप दे दिया गया था।

2. उद्देश्य

- सरकार के कार्यचालन के बारे में संसद सदस्यों में जागरूकता पैदा करना।
- सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन की रीति पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श को बढ़ावा देना।
- नीतिगत मामलों तथा कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में संसद सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन से सरकार को लाभ के अवसर उपलब्ध कराना।

3. गठन और भंग करना

3.1 भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए यथासंभव परामर्शदात्री समितियाँ गठित की जाएंगी। संसद में विभिन्न दलों की अपनी-अपनी सदस्य संख्या के अनुसार इन समितियों का संघटन सरकार निश्चित करेगी।

3.2 एक परामर्शदात्री समिति की न्यूनतम सदस्य संख्या 10 होगी और अधिकतम सदस्य संख्या 30 होगी।

3.3 परामर्शदात्री समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है। यदि संसद सदस्य किसी परामर्शदात्री समिति पर नियमित सदस्य के रूप में कार्य करना चाहती/चाहता है तो वह अपना अनुरोध (संलग्न प्रोफार्मा में) लोक सभा/राज्य सभा में अपने दलों/ग्रुपों के नेता को तीन मंत्रालयों/विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के विकल्प प्राथमिकता के क्रम पर उपलब्ध कराएगा, जबकि मनोनीत सदस्य तथा छोटे दलों/ग्रुपों के सदस्य (5 सदस्यों से

कम) अपनी प्राथमिकता सीधे संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज सकते हैं। दल/ग्रुप के नेता इस पर विचार के पश्चात उनकी सिफारिश को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजेंगे। एक संसद सदस्य किसी भी समय में केवल किसी एक परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य बन सकता है।

3.4 यदि संसद सदस्य किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि रखते हैं तो उन्हें उस परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। एक सदस्य को केवल एक ही परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामित किया जा सकता है। तथापि, ऐसे सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होंगे। प्रत्येक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 स्थायी विशेष आमंत्रित अनुमत होंगे।

3.5 संसदीय कार्य मंत्रालय रिक्ति की स्थिति और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संसद सदस्य की प्राथमिकता को देखते हुए किसी परामर्शदात्री समिति पर संसद सदस्य की सदस्यता को अधिसूचित करेगा।

3.6 एक सदस्य, जो न तो एक नियमित सदस्य है और न ही स्थायी विशेष आमंत्रित है, को परामर्शदात्री समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है, यदि उसने चर्चा के लिए किसी विषय का नोटिस दिया है और उस विषय को कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है अथवा यदि उसने परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए अधिसूचित कार्यसूची मद (मदों) पर चर्चा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है और उनके इस अनुरोध को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तथापि, ऐसा सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लेने के लिए किसी यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा।

3.7 परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य उसकी हकदारी के अनुसार अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

3.8 मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री अपने मंत्रालय/विभाग से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जब भी आपवादिक कारणों से, प्रभारी मंत्री पहले से बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर पाने में असमर्थ होते हैं, तो या तो बैठक की अध्यक्षता उस मंत्रालय/विभाग के राज्य मंत्री करेंगे अथवा बैठक स्थगित कर दी जाएगी।

3.9 परामर्शदात्री समिति उस स्थिति में भंग हो जाएगी, यदि उसकी सदस्य संख्या सदस्य (सदस्यों) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने के कारण दस से कम हो जाती है। ऐसी भंग समिति के शेष सदस्यों से अनुरोध किया जाएगा कि उपरोक्त पैरा 3.3 में निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं दर्शाएं ताकि उन्हें जहां भी रिक्तियां उपलब्ध हैं उस परामर्शदात्री समिति पर नामित किया जा सके।

3.10 प्रत्येक लोक सभा के भंग होने पर परामर्शदात्री समितियां भी भंग हो जाएंगी और प्रत्येक लोक सभा का गठन होने पर पुनर्गठित की जाएंगी।

3.11 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों के गठन को अधिसूचित करेगा।

4. कार्य और सीमाएं

4.1 परामर्शदात्री समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर अनौपचारिक वातावरण में मुक्त और खुली चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

4.2 संसद सदस्य किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर संसद में समुचित रूप में चर्चा की जा सकती है। तथापि, परामर्शदात्री समिति की बैठक में उठाए गए किसी भी विषय का संसद के किसी भी सदन में हवाला देना वांछनीय नहीं होगा। यह सरकार और सदस्यों दोनों के लिए बाध्य होगा।

4.3 परामर्शदात्री समितियों को किसी गवाह को बुलाने, किसी मिसिल को मंगवाने अथवा प्रस्तुत कराने अथवा किसी सरकारी रिकार्ड की जांच करने का अधिकार नहीं होगा।

5. बैठकें

बैठकों की संख्या

5.1 सामान्यतया परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकें सत्रावधि और अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जाएंगी। परामर्शदात्री समितियों की एक वर्ष में 6 बैठकों में से, 4 बैठकें होनी अनिवार्य हैं। इनमें से, समिति के अध्यक्ष की सुविधानुसार, 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए।

दिल्ली से बाहर बैठकें

5.2 समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलैंडर वर्ष में अंत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है।

बैठक की तारीख

5.3 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की अगली बैठक की तारीख का निर्णय समिति की पिछली बैठक में कर लिया जाए।

अवधि

5.4 बैठक की अवधि का निर्णय निष्पादित किए जाने वाले कार्य को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

बैठक के लिए सूचना

5.5 परामर्शदात्री समितियों की बैठकों के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तथा ऐसी बैठकों के एक साथ होने से बचने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों, को जहाँ तक संभव हो, बैठक आयोजित करने के निर्णय की सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय को बैठक की तारीख से कम से कम चार सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.6 परामर्शदात्री समिति की बैठक की सूचना सदस्यों और आमंत्रितों को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सत्रावधि के दौरान कम से कम 10 दिन पहले और अंत:सत्रावधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.7 सदस्यों को बैठक की सूचना सत्रावधि के दौरान दिल्ली में उनके आवास के पते पर भेजी जाएंगी और अंत:सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पते के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजी जाएंगी।

गणपूर्ति (कोरम)

5.8 परामर्शदात्री समिति की बैठक के संचालन के लिए कोई गणपूर्ति (कोरम) नियत नहीं की गई है।

6. कार्यसूची

6.1 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची का निर्णय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के परामर्श से किया जाए। सदस्यगण भी अध्यक्ष के विचार हेतु कार्यसूची में शामिल करने के लिए मद (मदों) का सुझाव दे सकते हैं।

6.2 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की उत्तरवर्ती बैठक की कार्यसूची का निर्णय समिति की पिछली बैठक के दौरान कर लिया जाए।

6.3 परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची कागजात (हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर दोनो) (पिछली बैठक का कार्यवृत्त, पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट और आगामी बैठक के लिए कार्यसूची मद (मदों) पर ब्रीफ/टिप्पणियों सहित) संबंधित मंत्रालय द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कम से कम दस दिन पूर्व भेज दिए जाएं ताकि उन्हें बैठक के दौरान चर्चा में सुविधा हेतु पर्याप्त समय पहले सदस्यों को परिचालित किया जा सके।

6.4 संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कार्यसूची कागजात की प्रतियां (अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतर) पर्याप्त संख्या में भेजी जाएं (सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या जमा दस और अंत:सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या से दोगुनी जमा दस)।

6.5 सदस्यगण संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से संबंधित मंत्रालय/विभाग से कार्यसूची की मदों/अतिरिक्त मदों पर विवरण अथवा अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं।

7. सिफारिशें

7.1 बैठक की अनुमोदित कार्यसूची मदों पर हुई चर्चा का संक्षिप्त रिकार्ड रखा जाए और उसे सदस्यों को परिचालित किया जाए।

7.2 निम्न अपवादों को छोड़कर समिति के दृष्टिकोण में जहां कहीं भी एकमतता होगी, सरकार सामान्यत: उस सिफारिश को मान लेगी अर्थात:-

(i) वित्तीय निहितार्थ सहित कोई सिफारिश;
(ii) सुरक्षा, रक्षा, विदेश और परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई सिफारिश; और
(iii) स्वायत्त संस्थान के कार्यक्षेत्र में आने वाला कोई मामला।

8. प्रशासनिक मामले

8.1 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों से संबंधित मामलों के संबंध में सम्पूर्ण समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।

8.2 संबंधित मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण परामर्शदात्री समिति की बैठकों में उपस्थित होंगे और कार्यसूची मदों के प्रस्तुतीकरण में मंत्री को जानकारी और स्पष्टीकरण इत्यादि उपलब्ध कराके सहायता प्रदान करेंगे।

8.3 सभी सूचनाएं, कार्यसूची कागजात, कार्यवृत्त इत्यादि सत्रावधि के दौरान दिल्ली में सदस्यों के आवास के पतों पर भेजे जाएंगे और अन्त: सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पतों के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजे जाएंगे।

9. उप-समिति

परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

(दिशा -निर्देशों के पैरा 3.3 में उल्लिखित प्रोफार्मा)

<u>परामर्शदात्री समिति पर नामांकन</u>

मुझे निम्नलिखित परामर्शदात्री समितियों में से किसी एक पर निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में नामांकित कर दिया जाए:-

1. .....
2. .....
3. .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

(स्वच्छ अक्षरों में)

सदस्य: लोक/राज्य सभा

दल जिससे संबद्ध हैं:

दूरभाष तथा फैक्स नं.

(क) दिल्ली का पता .....

(ख) स्थायी पता .....

सेवा में

निदेशक,
संसदीय कार्य मंत्रालय,
नई दिल्ली।

परिशिष्ट-8

(देखें पैरा 8.4)

15वीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची

1	कृषि मंत्रालय
2	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
3	नागर विमानन मंत्रालय
4	कोयला मंत्रालय
5	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
6	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7	रक्षा मंत्रालय
8	पर्यावरण और वन मंत्रालय
9	विदेश मंत्रालय
10	वित्त मंत्रालय
11	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
12	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
13	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
14	गृह मंत्रालय
15	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
16	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
17	श्रम और रोजगार मंत्रालय
18	विधि और न्याय मंत्रालय
19	खान मंत्रालय
20	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
21	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
22	विद्युत मंत्रालय
23	रेल मंत्रालय
24	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
25	ग्रामीण विकास मंत्रालय

26	पोत परिवहन मंत्रालय
27	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
28	इस्पात मंत्रालय
29	वस्त्र मंत्रालय
30	पर्यटन मंत्रालय
31	जनजातीय कार्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय
32	शहरी विकास मंत्रालय
33	जल संसाधन मंत्रालय
34	महिला और बाल विकास मंत्रालय
35	युवा कार्य और खेल मंत्रालय

परिशिष्ट-9

(देखें पैरा 8.5)

परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय

कृषि मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	5
बैठकों की तारीखें	21.02.2012, 25.04.2012, 18.07.2012, 31.10.2012
चर्चा किए गए विषय	सब्जी समूहों पर पहल, राष्ट्रीय डेयरी योजना, भोजन और चारे की उपलबध्ता, पूर्वी भारत के लिए हरित क्रांति, कृषि क्षेत्र में महिलाएं
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	**वर्ष के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं हुई**
बैठकों की तारीखें	
चर्चा किए गए विषय	
नागर विमानन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठकों की तारीखें	17.07.2012 (बंगलूरू), 17.12.2012
चर्चा किए गए विषय	नागर विमानन की वर्तमान स्थिति और भावी योजनाएं, हवाई अड्डे के बुनियादी ढ़ांचे और एयर कनेक्टीविटी
कोयला मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	17.05.2012, 13-14.07.2012 (नागपुर), 30.11.2012
चर्चा किए गए विषय	कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति, कोयला क्षेत्र में पर्यावरण और वानिकी मंजूरी, कोयला उत्पादन की वृद्धि - मुद्दे और निवारण
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	1
बैठकों की तारीखें	04.07.2012
चर्चा किए गए विषय	डी.एम.आई.सी. परियोजना की प्रगति
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	14.05.2012, 07.08.2012, 17.12.2012
चर्चा किए गए विषय	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स नीतियों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यसूची (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स), पोस्ट ऑफिसों के माधयम से ग्रामीण विकास - प्रयास और पहल, इलैक्ट्रानिक्स (टेलिकॉम सहित) निमार्ण नीति

पर्यावरण और वन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठकों की तारीखें	15.02.2012, 19.12.2012
चर्चा किए गए विषय	(i) अभिज्ञात और लाभ-सहभाजन संबंधी नगोया नयाचार; और (ii) भारत में आयोजित होने वाले सीबीडी के सीओपी-II के प्रमुख बिंदु, बाघ और बाघों का संरक्षण
रक्षा मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	29.02.2012, 28.05.2012, 05.11.2012, 18.12.2012
चर्चा किए गए विषय	हिंदुस्तान वैमानिकी लिमिटेड (एच.ए.एल.), आयुध डिपो, उड़ान सुरक्षा में सुधार के लिए किए गए उपाय, कर्मचारी योगदान स्वास्थ्य योजना (ई.सी.एच.एस.)
विदेश मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठकों की तारीखें	30.03.2012, 20.12.2012
चर्चा किए गए विषय	पूर्वोन्मुख नीति
वित्त मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	5
बैठकों की तारीखें	19.01.2012, 21.05.2012, 24.08.2012, 30.10.2012, 19.12.2012
चर्चा किए गए विषय	बजट-पूर्व परामर्श, माल एवं सेवा कर - प्रगति की ओर, आंतरिक और बाह्य ऋण के आर्थिक प्रभाव, करदाताओं के लिए सुविधा
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	06.03.2012, 03.05.2012, 03.07.2012, 16.10.2012
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थाना, उद्यमशीलता तथा प्रबंधन संस्थान (निफटम), खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में ढांचागत विकास
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	21-23.02.2012 (कोचिन), 14.05.2012, 05.09.2012,

	07.11.2012
चर्चा किए गए विषय	गैर-संचारी रोग, चिकित्सा शिक्षा, प्रसव-पूर्व निदान तकनीक
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	15.05.2012, 29.08.2012, 27.12.2012
चर्चा किए गए विषय	मंत्रालय पर सामान्य चर्चा, मंत्रालय के कार्यचालन पर सामान्य चर्चा
गृह मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	28.02.2012, 11.05.2012, 24.07.2012, 12.12.2012
चर्चा किए गए विषय	जांच, अभियोग पक्ष और खोज सुधार के लिए जरूरत, बुनियादी ढ़ांचे में आतंकवाद से लडने और तंत्र की पुनरीक्षा, सीमाओं की चौकसी और सीमा प्रबंधन, जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की पुनरीक्षा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठकों की तारीखें	19.03.2012, 31.07.2012
चर्चा किए गए विषय	शिक्षा के अधिकार के डेढ़ वर्ष, शिक्षक और शिक्षा के संबंध में प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	30.03.2012, 06.08.2012, 05.10.2012 (श्रीनगर)
चर्चा किए गए विषय	डिजिटिकरण पहल, पेड समाचार और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.), पेड समाचार
विधि और न्याय मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	1
बैठकों की तारीखें	22.05.2012
चर्चा किए गए विषय	कानूनी शिक्षा
श्रम और रोजगार मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	09.05.2012, 07.08.2012, 21.12.2012
चर्चा किए गए विषय	केंद्र/राज्य क्षेत्र में न्यून्तम मजदूरी, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन का भारत द्वारा अनुसमर्थन, श्रम कानूनों में व्यापक

	संशोधन
खान मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	02..03.2012, 08.05.2012, 03.07.2012, 19.12.2012
चर्चा किए गए विषय	मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.ई.सी.एल.) - वर्तमान स्थिति और विकास के लिए भावी योजनाएं, भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.)
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	27.03.2012, 13.07.2012, 17.10.2012, 27.11.2012
चर्चा किए गए विषय	वक्फ संपत्तियों के अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण की योजना के अंतर्गत विकास के विशेष संदर्भ सहित वक्फ, 11वीं पंच वर्षीय योजना के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा लागू की गई सभी योजनाओं की प्रगति/उपलब्धियॉ, सच्चर समिति की सिफारिश का कार्यान्वयन, प्रधान मंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम और इसका सुचारू कार्यान्वयन और उपलब्धियॉ
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	1
बैठकों की तारीखें	27.02.2012
चर्चा किए गए विषय	तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा तेल और गैस का अन्वेषण और उत्पादन
विद्युत मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	27.03.2012, 30.07.2012 (तिरूपति), 08.11.2012, 21.11.2012
चर्चा किए गए विषय	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.), एन.टी.पी.सी. के निष्पादन की पुनरीक्षा, टिहरी हाइड्रोडेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (टी.एच.डी.सी.), दामोदर वेली कारपोरेशन (डी.वी.सी.)
रेल मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठकों की तारीखें	05.03.2012, 23.08.2012
चर्चा किए गए विषय	भारतीय रेल में सुरक्षा और आधुनिकीकरण, चालू परियोजनाओं की

	पुनरीक्षा
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठकों की तारीखें	17.02.2012, 01.08.2012
चर्चा किए गए विषय	योग्यता और बोली-प्रक्रिया के मापदंड आरएफक्यू तथा आरएफपी, इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ई.पी.सी.) अनुबंध
ग्रामीण विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	06.02.2012, 08.05.2012, 08.08.2012, 11.12.2012
चर्चा किए गए विषय	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.), पीने के पानी की आपूर्ति और स्वच्छता, इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)
पोत परिवहन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	28.03.2012, 23.08.2012, 06.12.2012
चर्चा किए गए विषय	महापत्तनों मे कार्गो की रूपरेखा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, अंतर्देशीय जल परिवहन
सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	23.02.2012, 01.08.2012, 06.09.2012 08.11.2012
चर्चा किए गए विषय	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवत्ति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम (एन.एस.सी.एफ.डी.सी.), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास कारपोरेशन (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.), माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007
इस्पात मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठकों की तारीखें	29.05.2012, 01.11.2012
चर्चा किए गए विषय	एनएमडीसी लिमिटेड का कार्यचालन, राष्टीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) का कार्यचालन
वस्त्र मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	**वर्ष के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं हुई**
बैठकों की तारीखें	

चर्चा किए गए विषय	
जनजातीय कार्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	28.02.2012, 21.05.2012, 13.08.2012, 07.12.2012
चर्चा किए गए विषय	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.टी.जी.) का विकास, टी.आर.आई.एफ.ई.डी. के लिए विपणन विकास रणनीति, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान और जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृति तथा राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृति
पर्यटन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठकों की तारीखें	21.03.2012, 08.07.22012 (तिरूपति)
चर्चा किए गए विषय	रोमांचकारी, इको, चिकित्सा, निरोगता, एम.आई.सी.ई., गोल्फ, पोलो आदि सहित विशिष्ट पर्यटन, स्वच्छ भारत अभियान
शहरी विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठकों की तारीखें	21.02.2012, 29.08.2012
चर्चा किए गए विषय	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, फेस-II के लिए सुझाव, सी.पी.डब्ल्यू.डी. का कार्यचालन और निष्पादन
जल संसाधन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	24.01.2012, 11.07.2012, 19.11.2012, 17.12.2012
चर्चा किए गए विषय	वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण, राष्ट्रीय जल नीति, राष्ट्रीय जल मिशन, नदियों को आपस में जोड़ना
महिला और बाल विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	23.04.2012, 13.07.2012 (इंदौर), 16.11.2012
चर्चा किए गए विषय	गिरता लिंग अनुपात और सबला की भूमिका, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012
युवा कार्य और खेल मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	1
बैठकों की तारीखें	18.05.2012

चर्चा किए गए विषय	(ii) राष्ट्रीय खेल विज्ञान और आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना और (iiii) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय अनुशिक्षण शिक्षा संस्थान, पटियाला की स्थापना

परिशिष्ट-10

(देखें पैरा 12.1)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों, परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	समिति का नाम	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	कोंकण रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (रेल मंत्रालय)	श्री आर. ध्रुवनारायण डॉ. निलेश नारायण राणे श्री फ्रांसिस्को सारदीना श्री एम.बी. राजेश	श्री अविनाश पांडे डॉ. प्रभाकर कोरे श्री शांताराम एल. नायक श्री एम.पी. अच्युतन	12.01.2012
2.	सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद नियंत्रण अधिनियम, 2003 (सी.ओ.टी.पी.ए.) की स्टीरिंग समिति (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)	श्री ए. साई प्रताप	--	11.04.2012
3.	मध्य रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (रेल मंत्रालय)	श्रीमती प्रिया दत्त श्री एकनाथ एम. गायकवाड श्री सुरेश के. तवारे श्री समीर भुजबल श्री हंसराज गंगाराम अहीर श्री विलासराव बी. मुत्तेमवार श्री जयवंत जी. आवले	श्री हुसैन दलवी श्री ईश्वरलाल श्री शंकरलाल जैन श्रीमती स्मृति जुवेन ईरानी	26.07.2012
4.	पूर्व रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (रेल मंत्रालय)	डॉ. (श्रीमती) काकोली घोष दासतीदर श्रीमती सताबदी राय डॉ. तरूण मंडल श्री अबू हसीम खान चौधरी श्रीमती मौसम नूर	श्री पी. भट्टाचार्य श्री डेरेक ओ. ब्रेन डॉ. बरून मुखर्जी	26.07.2012

		श्री अबदुल मन्नन हुसैन श्री राजीव रंजन सिंह (ललन)		
5.	पूर्व मध्य रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (रेल मंत्रालय)	श्रीमती मीना सिंह श्री सयैद शाहनवाज हुसैन श्री जगदानंद सिंह श्री हुकुमदेव नारायण यादव डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह श्री बाबूलाल मरांडी श्री राधे मोहन सिंह	श्री रशीद मसूद श्री राम कृपाल यादव श्री रामचंदर प्रसाद सिंह	26.07.2012
6.	पूर्व तट रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (रेल मंत्रालय)	श्री संजय भोई श्री भृतुहरी महताब श्री भक्त चरन दास डॉ. (श्रीमती) क्रुपारानी किल्ली डॉ. (श्रीमती) झांसी लक्ष्मी बोटचा श्री प्रदीप कुमार माझी श्री रमेश बैस	श्री आर.सी. खूंटिया श्रीमती रेणु बाला प्रधान श्री बलबीर पुंज	26.07.2012
7.	उत्तर रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (रेल मंत्रालय)	श्री रवनीत सिंह श्री अशोक तंवर श्रीमती परमजीत कौर गुलशन श्री प्रदीप टम्टा श्री शरीफुद्दीन शरीक श्री प्रवीन सिंह राणा श्री जगदीश सिंह अरोन	श्री शादी लाल बत्रा श्री अंबेथ राजन श्रीमती बिमला कश्यप सूद	26.07.2012
8.	उत्तर पूर्व रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (रेल मंत्रालय)	श्री कमल किशोर श्री नीरज शेखर श्री दारा सिंह चौहान श्री जफर अली नकवी श्री हर्ष वर्धन श्री के.सी. सिंह बाबा श्री उमाशंकर सिंह	श्री मोहम्मद अदीब श्री नरेश चंद्र अग्रवाल श्री कुसुम राय	26.07.2012

9.	उत्तर मध्य रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (रेल मंत्रालय)	श्री शैलेंद्र कुमार श्री राज बब्बर श्री विजय बहादुर सिंह श्री अवतार सिंह भड़ाना श्री रतन सिंह डॉ. महेश जोशी श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	श्री अक्षक अली टाक डॉ. ज्ञान प्रकाश पिलानिया श्री जय प्रकाश	26.07.2012
10.	उत्तर पूर्व सीमा रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (रेल मंत्रालय)	श्री निनोंग इरिंग श्रीमती रानी नरह श्रीमती अश्वमेध देवी श्री मंगनी लाल मंडल मोलाना अस्रूल हक मौहम्मद श्रीमती सुष्मिता बाउरी श्री अबदुल मन्न हुसैन	श्री मुकुट मिथि श्री बिरेंदर प्रसाद बैश्य श्री अहमद सईद मलीहाबादी	26.07.2012
11	उत्त्र दक्षिण रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (रेल मंत्रालय)	श्री ताराचंद भगोरा श्री बदरी राम जाखड़ श्री रघुवीर सिंह मीणा श्री अर्जुन राम मेघवाल श्रीमती चंद्रेश कुमारी कटोच डॉ. ज्योति मिर्धा श्री हरीश चौधरी	श्री नरेंद्र भुदानिया डॉ. प्रभा ठाकुर श्री वी.पी. सिंह बडनोरे	26.07.2012
12	दक्षिण रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (रेल मंत्रालय)	श्री पी. विश्वनाथन श्री आधि शंकर श्री एस. सेम्मलई श्री एन.एस.वी. चिथ्थन श्री पी. लिंगम श्री कोडिकुन्निल सुरेश श्री एम.आई. शहनवास	श्री बी.एस. गनादिसेकन श्रीमती वसंती स्टानले डॉ. टी.एन. सीमा	26.07.2012
13	दक्षिण मध्य रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (रेल मंत्रालय)	श्री सुरेश कुमार शेटकर श्रीमधु गौड याक्षी श्री सब्बम हरी श्री के. बापी राजू श्री जयवंत जी. अवाले	श्री मो. अली खान श्री वाई.एस. चौधरी श्री राजकुमार धूत	26.07.2012

		श्रीमती भावना गवली (पाटील) श्री एस. पकीरप्पा		
14	दक्षिण पूर्व रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (रेल मंत्रालय)	श्री इंदर सिंह नामधारी डॉ. अजय कुमार श्री मधु कौडा श्री लक्ष्मण तुडु श्री हेमानंद बिस्वाल श्री अनूप कुमार साहा श्री प्रबोध पांडा	श्री धीरज प्रसाद साहू श्री परिमल नाथवानी श्री श्यामलाल चक्रबर्ती	26.07.2012
15	दक्षिण पूर्व मध्य रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (रेल मंत्रालय)	श्रीमती कमला देवी पाटले श्री बसोरी सिंह मसराम श्रीमती रोजश नंदिनी सिंह श्री हंसराज जी. अहीर श्री विलासराव बी. मुत्तेमवर श्री अमरनाथ प्रधान श्री हेमानंद बिसवाल	श्रीमती मोहसिना किदवई श्री शिवप्रताप सिंह श्री मंगला किसन	26.07.2012
16	दक्षिण पश्चिम रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (रेल मंत्रालय)	श्री एन. धर्म सिंह श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ श्री अनंत कुमार डी. हेगड़े श्री आर. ध्रुवनारायण श्री एन. चेलुवरया स्वामी श्री फ्रांसिस्को सारदीना श्री आर. थामराईसेलवन	श्री अनिल एच. लाड डॉ. प्रभाकर कोरे डॉ. विजय माल्या	26.07.2012
17	पश्चिम रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (रेल मंत्रालय)	श्री संजय दीना पाटिल श्री मुकेश कुमार बी. गडवी डॉ. (श्रीमती) प्रभा किशोर तविआड श्री जगदीश ठाकुर	प्रो. अल्का बलराम क्षत्रीय श्री तारीक अनवर श्री भारतकुमार राउत	26.07.2012

		श्री सोमभाई जी. कोली पटेल श्री सज्जन सिंह वर्मा श्री प्रेमचंद गुड्डू		
18	पश्चिम मध्य रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (रेल मंत्रालय)	श्री बसोरी सिंह मासरम श्री गणेश सिंह श्री उदय प्रताप सिंह श्री नारायण सिंह अम्लाबे श्री इजराज सिंह डा. (श्रीमती) गिरिजा व्यास श्री जयंत चौधरी	श्री रघुनंदन शर्मा श्री अनिल माधव दवे श्री कप्तान सिंह सौलंकी	26.07.2012
19	क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति (आर.डी.टी.ए.सी.) (वित्त मंत्रालय)	श्रीमती सुप्रिया सूले श्री प्रताप सिंह बाजवा श्री मोहिंदर सिंह केपी श्री पी.आर. नटराजन श्री किशनभाई वी. पटेल श्री हरिन पाठक श्री गोपाल सिंह शेखावत श्री विरेंद्र कश्यप श्री एन. धर्म सिंह श्री एल. राजा गोपाल श्री पशुपति नाथ सिंह श्री विक्रमभाई ए. मादम श्री एम. राजामोहन रेड्डी श्री सी.एल. रूआला श्री अधीर रंजन चौधरी श्री भारत राम मेघवाल श्री दत्ता आर. मेघे	श्री वी. हनुमंथा राव श्री आर.सी. खूंटिया डॉ. प्रभा ठाकुर श्री शांताराम लक्ष्मण नायक	07.08.2012
20	प्रकाशस्तंभ पर केंद्रीय सलाहकार समिति (पोत परिवहन मंत्रालय)	श्री अंतो अंटोनी	श्री अहमद पटेल	25.09.2012

परिशिष्ट-11

(देखें पैरा 12.2)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों (एच.एस.एस.) पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग जिससे हिंदी सलाहकार समिति संबद्ध है	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	--	श्री राम कृपाल यादव	20.03.2012
2.	डाक विभाग	--	श्री पुरूषोत्तम के. रूपाला	11.09.2012
3.	पर्यटन मंत्रालय	--	श्री अलोक तिवारी	11.09.2012
4.	कोयला मंत्रालय	--	प्रो. एस.पी. सिंह वघेल	11.09.2012

परिशिष्ट-12

(देखें पैरा 12.7)

संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	मद	वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं
1.	वेतन	रूपये 50,000/- प्रतिमाह दिनांक 18.5.2009 से
2.	दैनिक भत्ता	रूपये 2,000/- दिनांक 1.10.2010 से। संसद सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान हर उस दिन, जिस दिन के लिए भत्ते का दावा करना है, (बीच में पड़ने वाली छुट्टियों को छोड़कर, जिनके लिए ऐसे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं हो) लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों द्वारा हस्ताक्षर के उद्देश्य से रखे गए रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होते हैं।
3.	अन्य भत्ते	दिनांक 01.01.2010 से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रूपये 45,000/- प्रतिमाह की दर से और कार्यालय व्यय भत्ता रूपये 45,000/- प्रतिमाह की दर से, जिसमें से रूपये 15,000/- लेखन सामग्री इत्यादि और डाक संबंधी मदों पर व्यय के लिए होंगे; और लोक/राज्य सभा सचिवालय सदस्यों द्वारा सचिवालयिक सहायता प्राप्त करने के लिए रखे गए व्यक्ति (व्यक्तियों) को रूपये 30,000/- प्रतिमाह तक का भुगतान करेगा और एक व्यक्ति सदस्य द्वारा विधिवत प्रमाणित कंम्प्यूटर प्रशिक्षित होगा।
4.	टेलीफोन	दिल्ली के आवास, निर्वाचन क्षेत्र के आवास और इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रयोजनार्थ सभी तीनों टेलीफोनों को मिलाकर प्रतिवर्ष 1,50,000 नि:शुल्क कॉल। ट्रंक काल के बिलों को प्रति वर्ष 1,50,000 स्थानीय कॉल की धनराशि की सीमा के अन्दर रहते हुए समायोजित किया जाएगा। इससे ज्यादा की गई कॉलों को, जो निर्धारित कोटा से अधिक होंगी, अगले वर्ष के कोटे में समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी। जो सदस्य उनको उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग नहीं करते हैं, उनकी अप्रयुक्त शेष टेलीफोन कॉलों को आगे जोड़ दिया जाएगा जब तक कि वे अपना पद नहीं छोड़ देते हैं। सदस्य उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों के उपयोग करने के लिए किसी भी संख्या में, दिल्ली में अपने आवास तथा निर्वाचन क्षेत्र में, टेलीफोनों का प्रयोग करने के हकदार हैं बशर्ते कि टेलीफोन उनके अपने नाम पर होना चाहिए तथा उन्हें उपलब्ध तीन टेलीफोनों

		के अतिरिक्त अन्य टेलीफोनों के लगाने और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। सदस्य महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड, से राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित दो मोबाइल फोन (एक दिल्ली में और दूसरा निर्वाचन क्षेत्र में) अथवा जहां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, किसी अन्य निजी मोबाईल आपरेटर द्वारा मोबाईल फोन का प्रयोग उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों के लिए कर सकता है, बशर्ते कि निजी मोबाईल फोन के लिए पंजीकरण और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। एक टेलीफोन पर ब्राडबैंड सुविधा भी इस शर्त के अधीन रहते हुए दी जाती है कि किराया रू.1500/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होना चाहिए।
5	आवास	नि:शुल्क किराए वाले फ्लैट (जिनमें होस्टल आवास शामिल है)। यदि कोई सदस्य बंगला आवास का हकदार है और यदि उसके अनुरोध पर उसे बंगला आबंटित किया जाता है, तो वह पूरे साधारण किराए का भुगतान करेगा। नव निर्वाचित संसद सदस्य यदि निर्वाचन आयोग द्वारा उसके निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन से पहले दिल्ली पहुंच जाता है तो वह पारगमन आवास का हकदार है। बिना किराए के फर्नीचर रूपये 60,000/- की आर्थिक सीमा तक स्थायी फर्नीचर और रूपये 15,000/- तक गैर-स्थायी फर्नीचर और मूल्यह्रास पर आधारित फर्नीचर की अतिरिक्त मदों के लिए किराया। प्रत्येक तीन महीने में सोफा कवर और पर्दों की नि:शुल्क धुलाई। संसद सदस्य द्वारा मांग किए जाने पर स्नानघर, रसोईघर में टाईल्स लगवाना।
6.	पानी और बिजली	प्रत्येक वर्ष जनवरी से बिजली की प्रतिवर्ष 50,000 यूनिटें (लाईट/पावर प्रत्येक मीटर पर 25,000 यूनिट अथवा दोनों को मिलाकर) और प्रतिवर्ष 4,000 किलो लीटर पानी। जिन संसद सदस्यों के आवास पर पावर मीटर नहीं लगा है उन्हें लाइट मीटर

		पर 50,000 यूनिट प्रतिवर्ष की अनुमति। अप्रयुक्त बिजली और पानी की यूनिटों को अगले वर्षों में ले जाया जाएगा। अधिक उपयोग की गई यूनिटों को अगले वर्ष के कोटा में समायोजित किया जाएगा। यदि पति और पत्नी दोनों संसद सदस्य हैं और एक ही आवास में रहते हैं तो बिजली और पानी की यूनिटों के नि:शुल्क उपभोग की संयुक्त हकदारी। सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु होने पर सदस्य अथवा उसके परिवार को एक महीने के भीतर उस वर्ष में बिजली और पानी की शेष यूनिटों का उपभोग करने की अनुमति दी जा सकती है।
7.	चिकित्सा	केन्द्रीय सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं के समकक्ष चिकित्सा सुविधाएं।
8.	वाहन अग्रिम	दिनांक 1.10.2010 से रूपये 4,00,000/- केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू दर के ब्याज पर। इस धनराशि को 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के अन्दर वापिस लिया जाएगा। यह अवधि संसद सदस्य के कार्यकाल से अधिक नहीं होगी।
9.	पूर्व सांसदों को पेंशन	(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रूपये 20,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्षों से अधिक वर्षों के लिए संसद की सदस्यता के प्रत्येक वर्ष के लिए रूपये 1,500/- प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन। (ii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है। (iii) पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन किसी भी अन्य पेंशन को देखे बिना अनुमत होगी।
10.	संसद सदस्य का उसके कार्यकाल के दौरान निधन होने पर उसकी पत्नी/पति/आश्रित को पेंशन।	दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन के 50% के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती - पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति पूर्व सांसद हो) अथवा आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।

11.	यात्रा भत्ता	**<u>रेल</u>:** एक प्रथम श्रेणी + एक द्वितीय श्रेणी का भाड़ा **<u>वायुयान</u>**: किसी भी एयरलाइन्स में एक और एक चौथाई वायुयान भाड़ा। नेत्रहीन/शारीरिक रूप से विकलांग संसद सदस्य के मामले में एक सहयात्री के लिए भी वायुयान भाड़ा। **<u>स्टीमर</u>** : उच्चतम श्रेणी का एक और 3/5 भाड़ा (भोजन शामिल नहीं है) **<u>सड़क</u>** : (i) रूपये 16/- प्रति किलो मीटर (दिनांक 1.10.2010 से) (ii) दिल्ली के आवास से दिल्ली हवाई अड्डा जाने और हवाई अड्डा से आवास पर आने के लिए न्यूनतम रूपये 120/- (iii) सड़क द्वारा यात्रा भत्ता जब स्थान मेल, एक्सप्रैस और सुपरफास्ट रेल से नहीं जुड़े हों। (iv) बजट सत्र के मध्यान्तर के दौरान विभागीय स्थायी समिति की दो बैठकों के बीच संक्षिप्त अन्तराल के दौरान वायुयान यात्रा (यात्राओं) के लिए यात्रा भत्ता, एक वायुयान भाड़े तक सीमित + अनुपस्थिति के दिनों के लिए दैनिक भत्ता। (v) पत्नी/पति द्वारा जब सदस्य के साथ यात्रा नहीं की जा रही हो, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डा आने-जाने के लिए वर्ष में यथा अनुज्ञेय यात्राएं करने हेतु सड़क मील भत्ता (vi) दिल्ली से 300 कि.मी. की दूरी के भीतर रहने वाले सदस्य सडक द्वारा यात्रा कर सकते हैं और 16 रूपये प्रति कि.मी. की दर से सड़क-मील भत्ते का दावा कर सकते हैं (vii) अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उत्तर-पूर्वी राज्यों के सदस्य/पति या पत्नी निर्वाचन क्षेत्र/राज्य में अपने आवास से निकटतम हवाई अड्डे तक सड़क द्वारा यात्रा कर सकते हैं (viii) शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य को रेल/हवाई यात्रा के बदले सड़क द्वारा यात्रा की अनुमति है।
12.	यात्रा सुविधा	(i) संसद सदस्य को किसी भारतीय रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल पास। पति/पत्नी भी संसद सदस्य के साथ उसी श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। (ii) सहयात्री भी संसद सदस्य के साथ वातानुकूलित दो टीयर में यात्रा कर सकता है। (iii) जिस संसद सदस्य की पत्नी/पति नहीं है वे अपने साथ वातानुकूलित दो टीयर में अनुमत सहयात्री के अतिरिक्त एक व्यक्ति को अपने साथ वातानुकूलित प्रथम श्रेणी/एक्जीक्यूटिव श्रेणी में ले जा सकते हैं। (iv) संसद सदस्य और उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को लद्दाख से दिल्ली आने

		और जाने के लिए वायुयान यात्रा। (v) अंडमान और निकोबर द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के संसद सदस्य को तथा उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को द्वीप और मूख्यभूमि के बीच आने जाने के लिए वायुयान यात्रा की सुविधा। (vi) नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से विकलांग संसद सदस्य वातानुकूलित दो टीयर में सहयात्री के स्थान पर अपने साथ, जिसमें वह स्वयं यात्रा कर रहा हो वायुयान यात्रा/रेल यात्रा में एक परिचर को ले जा सकता है। (vii) भारत में किसी एक स्थान से किसी अन्य स्थान की अकेले या पत्नी/पति या किसी भी संख्या में सहयात्री या रिश्तेदारों के साथ वर्ष में 34 एकल वायुयान यात्राएं उक्त सीमा के अन्दर। (viii) अगले वर्ष की हकदारी में 8 अतिरिक्त हवाई यात्राओं का समायोजन (ix) अप्रयुक्त हवाई यात्राओं को उत्तरवर्ती वर्ष में ले जाना (x) एक वर्ष में सदस्य को उपलब्ध 34 वायुयान यात्राओं के बदले संसद सदस्य की पत्नी/पति अथवा सहयात्री वर्ष में 8 बार सदस्य के पास जाने के लिए एकल यात्रा कर सकता है। (xi) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप के संसद सदस्य और उसकी पत्नी/पति/सहयात्री के लिए स्टीमर का उच्चतम श्रेणी का स्टीमर पास (भोजन शामिल नहीं है) (xii) जहां आवास का प्रायिक स्थान रेल, सड़क या स्टीमर द्वारा अगम्य हो, उस निकटतम स्थान जहां रेल सेवा उपलब्ध है, के बीच आने-जाने के लिए हवाई यात्रा (xiii) संसद सदस्य के रूप में उन्हें उपलब्ध हवाई यात्राओं का लाभ उठाने के लिए सदस्य किसी भी एयरलाइन्स से यात्रा कर सकते हैं।
13	पूर्व संसद सदस्यों को यात्रा सुविधा	(1) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय, यथास्थिति, द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में नि:शुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं। (2) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार। (3) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप से संबंधित सांसदों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा।
14.	दिवंगत संसद सदस्य के परिवार को सुविधाएं	किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:- (क) सदस्य की मृत्यु की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास। (ख) सदस्य की मृत्यु की तारीख से दो माह से अनधिक अवधि

		तक टेलीफोन सुविधाएं।
15.	पूर्व संसद सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधाएं	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में रहने वाले पूर्व सांसदों पर उतनी ही दर पर अंशदान का भुगतान करने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे। यह सुविधा महानिदेशक (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।
16.	समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को सुविधाएं	(क) दिनांक 26.4.1999 से समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रयुक्त (i) नि:शुल्क 1,50,000 टेलीफोन कालों, (ii) 50,000 यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलोलीटर पानी को लोक सभा के भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन की अवधि के बीच प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। ऐसी यूनिटों की अधिक खपत की स्थिति में, यदि सदस्य नई लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा उन्हें उसमें समायोजित करने की अनुमति होगी।
17.	सदस्य की पत्नी/पति को यात्रा सुविधा	दिनांक 1.10.2010 से, संसद सदस्य के पति/पत्नी सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एग्जीक्यूटिव श्रेणी में किसी भी रेल से कितनी भी बार यात्रा कर सकती/सकते हैं, और जब संसद सत्र चल रहा हो, तो इस शर्त के अधीन रहते हुए कि सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए वायुयान से या आंशिक रूप से वायुयान से और आंशिक रूप से रेल से यात्रा करने की अनुमति दी गई कि ऐसी हवाई यात्राओं की कुल संख्या एक वर्ष में आठ से अधिक नहीं होंगी। जब संसद का सत्र चल रहा हो और यदि सदस्य की पत्नी/पति ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सड़क से तय करती/करता है तो रूपये 16/- प्रति किलोमीटर की दर से सड़क मील भत्ते की अनुमति दी गई है। जब संसद का सत्र चल रहा हो और यदि ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सदस्य के प्रायिक निवास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से तय किया जाता है तो सदस्य की पत्नी/पति वास्तविक वायुयान भाड़े के बराबर धनराशि का अथवा प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने अथवा वापिस जाने के लिए वायुयान भाड़ा, जो भी कम हो, का हकदार होगा/होगी।
18.	दिवंगत संसद	किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध

	सदस्य के परिवार को सुविधाएं	हैं:- (क) सदस्य की मृत्यु की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास। (ख) सदस्य की मृत्यु की तारीख से दो माह से अनधिक अवधि तक टेलीफोन सुविधाएं।

परिशिष्ट-13

(देखें पैरा 12.7)

पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं

क्र.सं.	मद	स्वीकार्यता
1.	पेंशन	(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रूपये 20,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्षों से अधिक वर्षों के लिए संसद की सदस्यता, बिना किसी अधिकतम सीमा के प्रत्येक वर्ष के लिए रूपये 1,500/- प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन। (ii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है। (iii) पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन किसी प्रकार की अधिकतम सीमा के बिना कुल मिलाकर किसी भी अन्य पेंशन को देखे बिना अनुमत होगी।
2.	परिवार पेंशन	दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन के 50% के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती - पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति पूर्व सांसद हो) और आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।
3.	यात्रा सुविधा	(i) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय, यथास्थिति, द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में नि:शुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं। (ii) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार। (iii) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप से संबंधित सांसदों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा

4.	चिकित्सा सुविधाएं	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में रहने वाले पूर्व सांसदों पर उतनी ही दर पर अंशदान का भुगतान करने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे। यह सुविधा महानिदेशक (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।
5.	समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को सुविधाएं	(क) दिनांक 26.4.1999 से समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रयुक्त (i) नि:शुल्क 1,50,000 टेलीफोन कालों, (ii) 50,000 यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलोलीटर पानी को लोक सभा के भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन की अवधि के बीच प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। ऐसी यूनिटों की अधिक खपत की स्थिति में, यदि सदस्य नई लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा उन्हें उसमें समायोजित करने की अनुमति होगी।